खण्ड-410, अंक-5
शनिवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(19 मार्च, 1994 ई0)

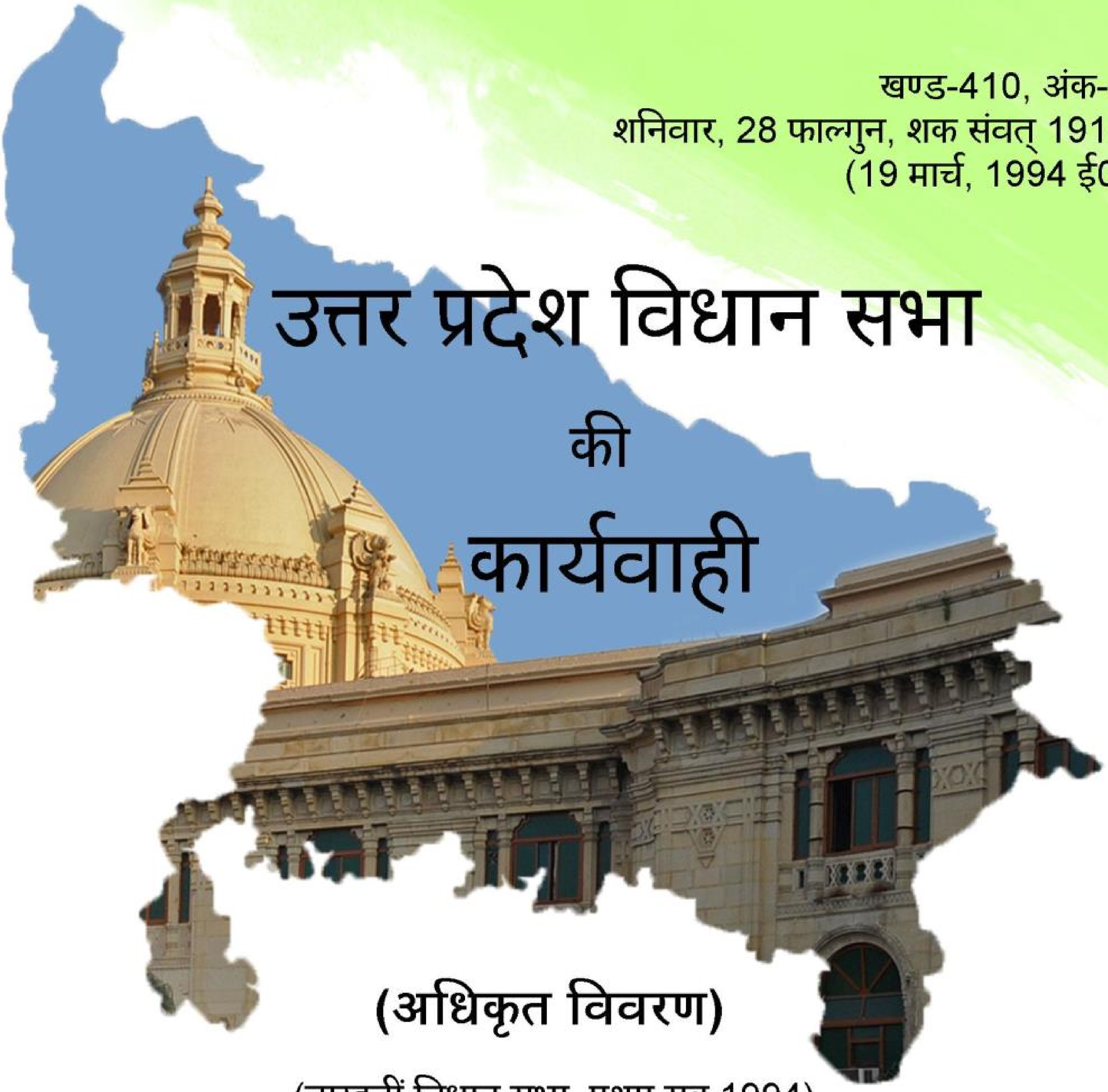

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | |
| उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. .. .. | 1 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .. .. | 1 |
| उत्तर प्रदेश परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .. .. | 1 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .. .. | 2 |
| जनपद कानपुर (देहात), तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत घाटमपुर से मवई-मच्छन मार्ग 4 कि0 मी0 को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन सचान आदि की याचिका (प्रस्तुत की गई) .. .. .. | 2 |
| जनपद कानपुर (देहात), तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत घाटमपुर से गोपालपुर कुरियां मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह आदि की याचिका (प्रस्तुत की गई) .. .. .. | 2 |
| जनपद कानपुर (देहात), तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम मदवारा के पास विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह आदि की याचिका (प्रस्तुत की गई) .. .. .. .. | 2 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी .. .. | 3 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें .. .. | 3 |
| जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड बीरोखाल के कतिपय गावों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 4 |
| जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 से अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 4 |
| इलाहाबाद नगर में समुचित पेयजल आपूर्ति हेतु अधिक क्षमता वाले वाटर वर्क्स की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 4-5 |
| जनपद अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में राजबहों में सिंचाई जल के अभाव की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. . | 5 |
| जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सई नदी के कछार क्षेत्र में सचौली घाट पर पुलिस चौकी या पुलिस बूथ स्थापित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 5-6 |
| शारदा सहायक शाखा सुल्तानपुर के ब्लाक धनपतगंज में स्थित सतहरी ड्रेन से जल निकासी से गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 6 |
| बांदा जिले के मानिकपुर में सिरावल पम्प कैनाल बन्द होने से व्याप्त भुखमरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| सदन में दी गई विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी .. .. | 7–9 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित). | 9–19 |
| उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन), विधेयक, 1994 (पारित) .. .. .. .. | 19–30 |
| कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनायें .. .. .. | 30–42 |
| सदन में किसी मंत्री के उपस्थित न होने पर आपत्ति .. .. | 43 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .. | 43–64 |
| सदन में कोरम के अभाव की सूचना .. .. .. | 65 |
| वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) .. | 65–92 |
| विधायकों की सुविधाओं से सम्बन्धित नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की दी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .. | 91 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .. .. | 91–92 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

| | |
|---|---|
| अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच |
| अखलाख, श्री | मेरठ |
| अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| अजय कुमार पोइया, श्री | मथुरा |
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अमित अग्रवाल, श्री | मेरठ |
| अरविन्द कुमार, श्री | ललितपुर |
| अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| इन्द्रदेव सिंह, श्री | बिजनौर |
| इरशाद, श्री | आजमगढ़ |
| उपदेश सिंह चौहान, श्री | मैनपुरी |
| ओंकार सिंह, श्री | एटा |
| ओम प्रकाश, श्री | गोरखपुर |
| ओम प्रकाश गुप्त, श्री | सीतापुर |
| कल्याण सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| काशी सिंह ऐरी, श्री | पिथौरागढ़ |
| केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |
| कोकब हमीद खां, श्री | मेरठ |
| गजाधर सिंह, श्री | रायबरेली |
| गनपति सिंह, श्री | महराजगंज |
| चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री | मुरादाबाद |
| जितेन्द्र कुमार जयसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री | गोरखपुर |
| जुगेन्द्र सिंह, श्री | बदायूं |
| तीरथ राज, श्री | सोनभद्र |
| तेजपाल सिंह, श्री | बिजनौर |
| तेजपाल सिंह, श्री | मथुरा |
| त्रिपाल सिंह धामा, श्री | मेरठ |
| देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री | ललितपुर |
| धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री | बुलन्दशहर |
| नरेन्द्र सिंह, श्री | मेरठ |
| नरेन्द्र सिंह, श्री | मैनपुरी |
| नरेन्द्र सिंह, श्री | सीतापुर |
| नरेश अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री | खीरी |
| नीरज चतुर्वेदी, श्री | कानपुर नगर |
| परमानन्द दण्डी, स्वामी | रामपुर |
| प्रभा रावत, श्रीमती | गोरखपुर |
| प्रवीण सिंह ऐरन, श्री | बरेली |
| प्रेम लता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| फजलुर्रहमान अंसारी, श्री | बहराइच |
| बंशीधर, श्री | नैनीताल |
| बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| बाल गोविन्द राजवंशी, श्री | सीतापुर |
| ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री | फर्रुखाबाद |
| ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगवत शरण गंगवार, श्री | बरेली |
| मण्डलेश्वर सिंह, श्री | आगरा |
| मनव्वर हसन, श्री | मुजफ्फरनगर |
| महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री | आगरा |
| महेन्द्र पाल सिंह, श्री | बिजनौर |
| मातबर सिंह कण्डारी, श्री | टिहरी गढ़वाल |
| मारकण्डेय सिंह, श्री | बलिया |
| मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां, श्री | बदायूं |
| मुलायम सिंह यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| मोहम्मद अरशद खान, श्री | जौनपुर |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| यशपाल सिंह चौधरी, श्री | सहारनपुर |
| रंगनाथ श्री | वाराणसी |
| रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री | प्रतापगढ़ |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | देवरिया |
| रमेश कान्त लवानियां, श्री | आगरा |
| रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर | मेरठ |
| राजीव कुमार, श्री | नैनीताल |
| रानी देव लता, श्रीमती | सहारनपुर |
| राम किशोर बिन्द, श्री | वाराणसी |
| राम कृष्ण वर्मा, श्री | मेरठ |
| राम तेज, श्री | बहराइच |
| राम धनी, श्री | गाजीपुर |
| राम पाल सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| राम प्रकाश गुप्त, श्री | लखनऊ |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम वीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| राम सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| राम स्वरूप, श्री | मथुरा |

| | |
|---|---|
| रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री | गोण्डा |
| विक्रमा सिंह, श्री | बलिया |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री | अलीगढ़ |
| शराफत यार खां, श्री | बरेली |
| शिव बहादुर सक्सेना, श्री | रामपुर |
| शिवेन्द्र श्री | महराजगंज |
| शूरवीर सिंह सजवाण, श्री | टिहरी गढ़वाल |
| श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |
| श्रीराम पाल, श्री | जालौन |
| संदीप अग्रवाल श्री | मुरादाबाद |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| समई, श्री | आजमगढ़ |
| सियाराम सागर, श्री | बरेली |
| सुन्दर लाल दीक्षित, श्री | बाराबंकी |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| सुरेश पासी, श्री | प्रतापगढ़ |
| सुरेश प्रताप सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| हरक सिंह रावत, श्री | गढ़वाल |
| हरिशंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| हरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1994**

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी नहीं, यह मद तो जाने दीजिये, बाद में ले लूंगा ।

सचिव, विधान सभा–

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण) विधेयक, 1994 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1994 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 18 मार्च, 1994 को वापस प्राप्त हो गया है ।

**उत्तर प्रदेश परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994**

सचिव, विधान सभा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1993–94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 मार्च, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 मार्च, 1994 को प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

**उत्तर प्रदेश परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994**

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 मार्च, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 मार्च, 1994 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

## उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 मार्च, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मार्च, 1994 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1994 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का तीसरा विधिनियम बन गया ।

### जनपद कानपुर (देहात) तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत घाटमपुर से मवई-भच्छन मार्ग 4 कि0 मी0 को पक्का कराए जाने के संबंध में श्री विपिन सचान आदि की याचिका

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद–कानपुर (देहात), तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत घाटमपुर से मवई–भच्छन मार्ग 4 कि0 मी0 को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री विपिन सचान तथा श्री इन्द्रपाल सिंह, निवासीगण–ग्राम मवई भच्छन, पो0 घाटमपुर, जनपद कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ ।

### जनपद कानपुर (देहात) तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत घाटमपुर से गोपालपुर–कुरियां मार्ग को पक्का कराए जाने के संबंध में श्री कुलदीप सिंह आदि की याचिका

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद–कानपुर (देहात), तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत घाटमपुर से गोपालपुर–कुरियां मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री कुलदीप सिंह तथा श्री रामकेश निवासीगण ग्राम गोपालपुर, पो0 रवाईपुर, जनपद कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूँ ।

### जनपद कानपुर (देहात) तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम मदवारा के पास विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह आदि की याचिका

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद–कानपुर (देहात), तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम मदवारा के पास विद्युत् सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री संजय सचान निवासीगण–ग्राम मुरलीपुर, पो0 रार, जनपद कानपुर (देहात) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत करता हूँ ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में जानकारी

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या–9 लेता हूं ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, कार्य-सूची में कार्य-स्थगन मद संख्या–8 पर छपा है . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर नियम 56 नहीं लेना था, तो कार्य-सूची में न छापा जाता, तो हम लोग परिश्रम क्यों करते ?

## नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं :–

पहली सूचना श्री रमेश पांखरियाल निशंक की पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के कई गांवों में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में है ।

दूसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई की नगर पालिका बिलग्राम में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में है ।

तीसरी सूचना श्री बची सिंह रावत की है, वह उपस्थित नहीं हैं ।

चौथी सूचना श्री गया चरन दिनकर की है, वह उपस्थित नहीं हैं ।

पांचवीं सूचना श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की, इलाहाबाद नगर में पेयजल की समुचित आपूर्ति हेतु अधिक क्षमता वाले नये वाटर वर्क्स की स्थापना करने के संबंध में है ।

छठी सूचना श्री जगबीर सिंह की, अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के राजबहों में सिंचाई जल के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

सातवीं सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय की, प्रतापगढ़ के सचौनी घाट पर पुलिस चौकी या पुलिस बूथ स्थापित करने के संबंध में है ।

अब चूंकि श्री बची सिंह रावत और गया चरन दिनकर जी उपस्थित नहीं हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची में जो दो नाम हैं, उनको लेता हूं ।

प्रतीक्षा सूची की पहली सूचना श्री मित्रसेन यादव की, शारदा सहायक शाखा सुल्तानपुर के बढनपुर स्केल से जल निकासी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

प्रतीक्षा सूची की दूसरे नम्बर पर श्री चेतराम का नाम है, परन्तु वह उपस्थित नहीं हैं । इसलिए नं0 1 पर जो सूचना अस्वीकार की गयी है, श्री मन्नू लाल कुरील की, उसको लेता हूं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत 7 सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयी ।)

**जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड बीरोखाल के कतिपय गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड बीरोखाल के मासों-चौखाल ग्राम में, पोखड़ा में डबीला ग्राम समूह में पेयजल की भारी त्रासदी से जहां सैकड़ों पशुओं के मरने की स्थिति पैदा हो गई है। वहां गधेरे के गन्दे पानी को पेयजल के लिए मजबूरन प्रयोग में लाने से मासों, क्षेत्र में कभी भी भीषण हैजे जैसी बीमारी फैलने से सैकड़ों लोगों के हताहत होने की आशंका बन गई है।

यहां एक परिवार को एक बाल्टी पानी के लिए पूरा दिन बर्बाद कर देना पड़ता है। ऐसे ही और गांव अस्त-व्यस्त हो गये हैं, लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो गये हैं, पशु तो एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। विवश होकर लोगों ने पशुओं को रखना छोड़ दिया है। जिस गन्दे पानी को लोग पशुओं को देने में भी संकोच करते हैं दुर्भाग्य से इसी गन्दे पानी को यहां की जनता जीवित रहने मात्र के लिए प्रयोग में ला रही है। वह भी पूरा नहीं है। इस पानी में स्पष्ट कीड़े देखे जा सकते हैं।

आपसे अनुरोध है कि तत्काल सरकार को निर्देश देकर यहां जन-जीवन को इस भारी संकट से बचाने का कष्ट करें]

**जनपद हरदोई की नगरपालिका बिलग्राम में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री विश्राम सिंह यादव–

[महोदय, हरदोई जनपद की 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका बिलग्राम में पेयजल का संकट है बहुत से मोहल्लों में पानी की पाइप लाइन नहीं है और हैण्ड पाइप भी नहीं लगे हैं जिससे जनता काफी परेशान है ऐसी स्थिति में जनता में आक्रोश है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ]

**इलाहाबाद नगर में समुचित पेयजल आपूर्ति हेतु अधिक क्षमता वाले वाटर वर्क्स की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[महोदय, इलाहाबाद महानगर की 10 लाख की आबादी के लिए औसतन 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के हिसाब से 270 मिलियन लीटर पानी की जरूरत प्रतिदिन है। इसके विपरीत इलाहाबाद जल संस्थान की स्थापित क्षमता 220 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है। इसमें से 100 मिलियन लीटर नदी से और 120 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन नलकूपों से प्राप्त होने की व्यवस्था है। वर्तमान समय में जल संस्थान प्रतिदिन 190 मिलियन लीटर पानी मुहैया कराने का दावा कर रहा है। परन्तु वास्तविकता इससे भी कम है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहर में जितने नलकूप लगे हैं, उनमें से कई नलकूप बहुत पुराने होने के कारण उनकी क्षमता समाप्त हो गयी है तथा कई नलकूप खराब पड़े हैं जिसके कारण शहर में जल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है । आगामी गर्मियों में पानी का संकट और हो जायेगा ।

इसका एकमात्र निदान इलाहाबाद नगर में एक अधिक क्षमता की नयी वाटर वर्क्स की स्थापना है, जिसकी शीघ्र स्थापना हेतु सरकार से अपेक्षा है । इस समस्या के तात्कालिक निदान हेतु खराब नलकूपों को ठीक कराना, कुछ नए नलकूपों व हैण्ड पम्पों की व्यवस्था करने हेतु भी सरकार से अपेक्षा है ।

अतः लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

**जनपद अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के राजबहों में सिंचाई जल के अभाव की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री जगवीर सिंह–

[महोदय, अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था पूर्णतः नहर पानी पर आधारित है । राजबहा जेवर, राजबहा बाजोता, राजबाहा बड़ौदा तथा इन राजबहों से निकलने वाली माईनरों में पानी कम आने तथा टेल तक पानी न पहुंच पाने के कारण क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र सिंचाई पानी से वंचित रह जाने से फसलों में प्रतिवर्ष क्षति होती है । इन राजबहों से पानी न आने के मुख्य कारण राजबहों को पूरे गेज से न चलाया जाना सफाई ढंग से न होना आदि के साथ ही इन राजबहों पर बने पुलों की चौड़ाई कम होने के कारण राजबहों में पानी रुक-रुक के चलने से भी सिंचाई जल का अभाव रहता है । यह पुल अधिक पुराने हैं, जेवर राजबहा के चार पुल बड़ौदा राजबहा के तीन पुल तथा बाजोता राजबहों के दो पुल टूट जाने से भी जनता को कठिनाई हो रही है । उक्त राजबहों में पानी कम रहने के कारण अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई न हो पाने कृषकों की खड़ी फसलें सूख जाती हैं । परन्तु बिना सिंचाई किये ही कृषकों से सिंचाई का महसूल प्रतिवर्ष वसूल किए जाने से क्षेत्र के कृषकों में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में संज्ञान में लाकर शासन से त्वरित कार्यवाही की जाने की मांग करता हूं ।]

**जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सई नदी के कछार क्षेत्र में सचौली घाट पर पुलिस चौकी या पुलिस बूथ स्थापित किए जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ स्थित बिन्दागंज शिवगढ़ नौबियापुर, सचौली, गोपालपुर, घोटका मंफरिद, घोटका तालुकदारी आदि स्थानों पर सई नदी का कछार क्षेत्र होने के कारण लगातार राहजनी, लूटपाट, मारपीट, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, यह क्षेत्र अति संवेदनशील है, वातावरण

---

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अत्यन्त तनावपूर्ण हो चुका है । सचौली घाट पर दिन दहाड़े मारपीट व लूट के मामले बढ़ गये हैं, अराजकतत्वों का गिरोह सई नदी के इस क्षेत्र में कुछ तराई व जंगल होने के कारण छिपा रहता है । सचौली घाट पर पुलिस चौकी या पुलिस बूथ की नितान्त आवश्यकता है । थाना रानीगंज 15 कि0मी0 दूर है। ग्रामीण पुरुष, महिलाएं सभी भयाक्रान्त हैं ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत में सदन में चर्चा हेतु सूचना देता हूं ।]

**शारदा सहायक शाखा सुल्तानपुर के ब्लाक धनपतगंज में स्थित सतहरी ड्रेन से जल निकासी से गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मित्रसेन यादव–

[मान्यवर, शारदा सहायक नहर शाखा सुल्तानपुर के ब्लाक-धनपतगंज में स्थित सतहरी ड्रेन से नहर की जल निकासी के कारण ग्राम डोबिया मड़हा, खंभापुर, उपाध्याय और माधवपुर के बीच में स्थित नगला में रेत के जमाव से बहुत बड़ा टीला बन गया है। नहर के पानी के भगले में गिराये जाने से बालू बहुत बड़े पैमाने पर जमाव और भीटा बन गया है जिसके कारण पानी का बहाव उत्तर की दिशा में प्राकृतिक रूप से नहीं हो पा रहा है और नहर के निकासी का पानी उपरोक्त गांव की कृषि क्षेत्र में बराबर फैला रहता है जिससे उपरोक्त गांव की लगभग 2 हजार बीघे जमीन की फसल का बड़े पैमाने पर क्षति हो रही है । नहर के पानी के जलभराव से कृषि क्षेत्र का फसल उत्पादन पूर्ण रूप से अवरूद्ध हो गया है । विगत 10/15 सालों से प्रभावित कृषक तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और फसल उत्पादन न होने के कारण हजारों किसान दाने-दाने के मोहताज और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं परिणामस्वरूप प्रभावित किसानों में व्याप्त असंतोष और आक्रोश व्याप्त है । शारदा सहायक खण्ड-16, सुल्तानपुर ने खुदाई एवं जल निकासी हेतु कार्य योजना का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया है, जो वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला स्तर पर ही लम्बित है ।

अतएव उपरोक्त गम्भीर जनसमस्या के निदान हेतु आपसे मांग करता हूं कि खुदाई कार्य हेतु प्रस्तावित योजना की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश देने की कृपा करें ।]

**बांदा जिले के मानिकपुर में सिरावन पम्प कैनाल बन्द होने से किसानों में व्याप्त भुखमरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मन्नू लाल कुरील–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में सिरावल पम्प कैनाल वर्ष 1983 से बन्द पड़ी है इसके बंद होने से ग्राम सिरावल, हन्ना, सुहेल, बराछी चकौर, पिचावल, बसरेही दुवारी के किसानों की हजारों एकड़ जमीन सूख रही है । किसानों का एक मात्र पेट पालने का साधन कृषि है । यदि पम्प कैनाल न चली तो किसान भुखमरी के कगार तक पहुंच जायेंगे । आग्रह है कि पम्प कैनाल की मरम्मत निश्चित अवधि में करवा कर किसानों की खेती बचाई जाये तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

## सदन में दी गई विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष–

अब मैं चाहूंगा कि पहले मद सं0 9 को ले लिया जाये और मद सं0 10 को ले लिया जाये ।

(व्यवधान उत्पन्न होने पर)

आप हमारी बात को सुन लें । ऐसा है कि हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कल जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी, उसमें यह बात आई थी कि जनपदों से जो सूचनायें आ पाती हैं वह 12.30 बजे तक ही आ पाती हैं और अगर हम पहले ले लेंगे, तो वह सूचनायें नहीं आ पायेंगी । इसलिये पहले उसे ले लिया जाये और 12.30 पर उसको ले लेंगे । नियम 311 में जो सूचनाएं दी जाती हैं, उसमें सरकार की ओर से उत्तर आता है और उसके लिये समुचित समय चाहिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो औचित्य के प्रश्न होते हैं, उनमें तो जनपदों से सूचनाएं नहीं मंगानी होती हैं, वह तो संविधान से जुड़े होते हैं । मान्यवर, आप को याद होगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि सभी दलों से एक-एक प्रश्न औचित्य का ले लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, माननीय वर्मा जी और माननीय किरन पाल जी आप तो बहुत ही जानकार हैं । आप नियमावली को देख लें और हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई गलत परम्परा पड़ी हुई है, तो उसे आगे नहीं चलने देना चाहिये । प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में नियम 300 में दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिये हस्त पुस्तिका के पृष्ठ 15 पर दिया हुआ है, सदन में वाद विवाद के समय जब कोई सदस्य भाषण देता है तो उसका यह अधिकार है कि उसका भाषण बिना किसी रुकावट के सुना जाए । किन्तु ऐसे भाषण के मध्य यदि कोई अन्य सदस्य औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता है तो भाषण देने वाले सदस्य को अपने स्थान पर बैठ जाना होता है जिससे कि औचित्य का प्रश्न सदन के सामने रखा जा सके और उस पर अध्यक्ष अपना निर्णय दे सके । औचित्य के प्रश्न पर कोई वाद विवाद का अवसर नहीं होता है किन्तु अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य सदस्य संक्षेप में उस पर अपना मत व्यक्त कर सकता है । किसी भी औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्ष यह निश्चित करते हैं कि ऐसा प्रश्न औचित्य प्रश्न है अथवा नहीं और उस औचित्य प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है । किसी प्रश्न को औचित्य प्रश्न होने के लिए यह आवश्यक है कि वह तत्समय सदन के समक्ष कार्य से संबंधित संविधान के किसी अनुच्छेद के या विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम के निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में हो और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है...

एक सदस्य–

मान्यवर, जो पाल जी पढ़ना चाहते हैं, उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

तो इस तरह से आप एक फैसला लेने जा रहे हैं और उसके सम्बन्ध में फिर हम सब लोगों को अनुमति देंगे और हम आपसे आग्रह कर सकेंगे, निवेदन कर सकेंगे क्योंकि मान्यवर, औचित्य का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है.....

(समय 11 बजकर 15 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

इसके पहले भी आप देखेंगे कि हमारे माननीय गुप्त जी, वर्मा जी और सब लोग औचित्य का प्रश्न उठाते रहे हैं, हम लोग उठाते रहे हैं, तो प्रक्रिया यही रही, जो प्रक्रिया है इसमें आप अपनी राय हमें दें, इसमें विकल जी की राय लिए लेते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, साढ़े 12 बजे आपने कहा, स्वीकार है। मान्यवर, आपकी सम्मानित पीठ से कल एक व्यवस्था दी गयी थी कि नियम 311 की जिन सूचनाओं को आज नहीं लिया जा सका है उन्हें कल ले लिया जायेगा । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इन सूचनाओं को जब आप साढ़े 12 बजे सुनें तो कल की स्थगित सूचनाओं को भी सुनने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो तैयार हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वह तो आपने व्यवस्था दे दी है लेकिन मेरा कहना है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह उचित नहीं है कि आपका हमसे या किसी सदस्य से वाद विवाद हो, यह उचित नहीं है, आप सर्वोपरि हैं जो भी निर्णय दें । मेरा सुझाव यह था और इसके पहले भी मैंने किसी अवसर पर सुझाव दिया था कि आप नेताओं की या कुछ वरिष्ठ सदस्यों की मीटिंग बुला लें और निर्णय कर लें । परन्तु यह आपकी पीठ के लिए सम्मानजनक नहीं है इसलिए आप जो निर्णय देना चाहें, दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी राय से सब लोगों को बुला लेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पिछली बार मुझसे एक गलती हुई थी और मैंने स्वीकार भी किया था। कार्य-मंत्रणा समिति में कदाचित यह फैसला हो गया था कि नियम 311 नहीं लिया जायेगा लेकिन जब कार्य मंत्रणा समिति के लोग लौटकर आये, सर्कुलर जारी किया, हम लोगों ने सूचना दी थी किसी को सुना, किसी को नहीं सुना, हमने भी प्रेस किया फिर हमने कहा सुनिए । आज भी इसी तरह की बात है कुछ लोग मीटिंग के बाद लौटे थे । आज नियम 311 को नहीं लिया जायेगा इस पर भी आप निर्णय करें । जहां तक नियम 311 का ताल्लुक है इस पर व्यवस्था हो गयी है, कार्यसूची में छपा था उसे आप सुन लें उसके बाद फैसला करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं 56 की सूचना ले लूंगा उसके बाद औचित्य का प्रश्न है उसको सुन लेंगे लेकिन साढ़े 12 बजे के बाद ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप इतनी कृपा कर दें । मेरी आप प्रार्थना सुन लें । मेरी विवशता तो आप जानते हैं । मुझे जाना था इसलिए मैंने निवेदन और आग्रह किया था वैसे जो चाहें आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको सुनूंगा, फिर और लोगों को भी सुनना पड़ेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

औचित्य को सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो हमने ग्राह्य किया है, छोटा है लेकिन आपको सदन के समक्ष इसको रखना चाहिए था । माननीय गुप्त जी की राय के अनुसार पहले चर्चा हो जायेगी उसके बाद निर्णय लागू होगा तो वह सूचना दे दी जायेगी, उसको देख लेंगे औचित्य वाली ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप तो बदल जाते हैं, कैसे काम चलेगा क्षण में आप कुछ कह देते हैं फिर कुछ कह देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है, आपने राय दी उसको मान लिया ।

और औचित्य की बात पर उन्होंने कहा था इसलिए उसको भी कर दिया । मैं इसे 12.30 बजे ले लूंगा और इस समय माननीय गुप्त जी भी आपत्ति कर रहे हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने भी नियम–110 के अन्तर्गत सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–110 के बारे में जो नियम है उसका पालन करियेगा ।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या–9 ले रहा हूं ।

### मद संख्या–9

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(शिक्षा मंत्री द्वारा मद संख्या–10 पढ़े जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 पर विचार रखने को कहा गया है अतः इस पर अपने कुछ विचार रखें ।

श्री बंशी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जब लोगों के विचार आ जायेंगे तब इसका उत्तर दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह विधेयक क्या है कम से कम इसके बारे में तो कुछ कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

उसके उद्देश्य और कारण तो कम से कम बतायें ।

श्री अध्यक्ष–

आप चाहें दो शब्द कहें मगर कुछ कहें ।

डा0 मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं इस विधेयक के माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह को तो करीब-करीब हर आदमी जानते ही होंगे । वह फ्रीडम फाइटर रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसलिए मेरठ विश्वविद्यालय को उनके नाम से, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किया जा रहा है और यह एक बहुत ही अच्छी बात है और इसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए । आज तमाम महान विभूतियों और महान लोगों के नाम से स्कूल और कालेज खुल रहे हैं मैं समझता हूं कि जो मेरठ विश्वविद्यालय का नाम स्व0 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रखा है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए ।

*श्री सुरेश मंगल–

माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय नाम रखने का हम सब पश्चिमी क्षेत्र के रहने वाले लोग स्वागत करेंगे क्योंकि चौधरी साहब का योगदान ऐसा रहा है कि जन-जन उनको प्यार करता रहा है । मान्यवर, मैं उसी कालेज का प्रोफेसर हूं, बहुत से लोगों ने यह कहा कि अच्छा होता कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कोई नयी चीज करायी जाती । एक जमी जमायी चीज जिसका लाभ वहां की जनता को पहले से ही मिल रहा है उसके बजाय एक नया काम किया जाता । इससे क्षेत्र के विकास में उनका नाम होता । उदाहरण के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय खोल दिया जाता । गन्ना वहां की प्रमुख उपज है . . .

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर बोलें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री सुरेश संगल–

मान्यवर, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं । अच्छा होता यदि वहां पर कृषि विश्वविद्यालय खोला जाता और उसमें गन्ना अनुसंधान के बारे में काम होता जिससे देश और दुनिया में चौधरी चरण सिंह जी का नाम होता और गन्ना उत्पादक भी उससे लाभ पाते । केवल नाम बदलना यह उल्लेखनीय कार्य नहीं कहा जा सकता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस विश्वविद्यालय का नाम मेरठ विश्वविद्यालय ही रहे और चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाये जिससे लोग उनको याद करते रहें ।

किसी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना करें, ताकि लोगों की वहां अच्छी सेवा हो सके । इसके साथ ही मेरठ विश्वविद्यालय का नाम बदलने के साथ ही वहां की व्यवस्था को भी बदलें । आज जिस तरह वहां के वाइस चांसलर द्वारा विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है, उस स्थिति में मेरठ विश्वविद्यालय का नाम आज बड़ी शर्म से लिया जाता है । वहां व्यवस्था नहीं है । बी0एड0 के नाम पर वहां का स्टाफ करोड़ों रुपये खा जाता है । वहां प्रवेश आज तक हो रहे हैं । पिछले साल मैं उसी विश्वविद्यालय में परीक्षा लेने गया था, वहां लड़कों ने बताया कि हमारा दाखिला तो अभी परसों ही हुआ है, इसलिए मान्यवर, वहां व्यवस्था बदलने की जरूरत है, केवल नाम परिवर्तन ही काफी नहीं है । चौधरी साहब हरदम अमर रहें । शोध संस्थान की जो बात कही गयी है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें गन्ना अनुसंधान का एक बहुत बड़ा विभाग होता, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा विभाग होता, स्थापना की जाय साथ ही वहां की व्यवस्था सुधारी जाय । केवल नाम परिवर्तन के हम पक्षधर नहीं हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मौजूदा सरकार द्वारा मेरठ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है, इसका सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि सारे उत्तर प्रदेश और सारे भारतवर्ष ने स्वागत किया है । मुझे अफसोस हुआ, भाजपा के एक सदस्य के मुख से यह सुनकर, कि मेरठ विश्वविद्यालय को मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से ही चलता रहने दें और कोई नया सृजन या नया काम करें । मान्यवर, चौधरी चरण सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग बहुत पुरानी थी और शायद भाजपा के शासनकाल में भी यह मांग उठाई गई थी लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस जायज मांग को नकार दिया, बल्कि विचार ही नहीं किया और आज जब चौधरी चरण सिंह के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है तो भी संशोधन पेश कर रहे हैं कि इसको टाल दिया जाय । इनको चौधरी चरण सिंह की नीतियों, आदर्शों से कोई वास्ता नहीं है लेकिन ऐसे आदर्श पुरुष के नाम पर यादगार में, श्रद्धांजलि के तौर पर नाम रखा गया है, तो भी टालने के लिए संशोधन रखा जा रहा है, यह मेरे स्तर से निन्दा की बात है । यह ठीक है कि कुछ और भी किया जाना चाहिए । यूनिवर्सिटी में शोध संस्थान और खोला जा सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । जैसा बजट में आया है कि चौधरी चरण सिंह का लिट्रेचर जो है, जितना भी उनका दर्शन शास्त्र है, जो कुछ भी लिखी पढ़ी चीज है उसका रिसर्च केन्द्र बनायेंगे, यह भी स्वागत योग्य है और हम लोगों की माननीय मुलायम सिंह यादव जी से यही अपेक्षा थी कि वह इस काम को पूरा करायेंगे और उन्होंने पूरा किया है । हम सब लोग इस बात के लिए खुश हैं और बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है ।

जब तक हिन्दुस्तान रहेगा, तब तक यह विश्वविद्यालय रहेगा और जो नई जनरेशन पैदा होगी, जो भी छात्र यहां शिक्षा लेंगे, सबकी जुबान पर चौधरी चरण सिंह का नाम आयेगा । जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उसके लिए एक शोध संस्थान, रिसर्च सेंटर बनाकर भी एक अच्छा काम किया गया है । आज अमेरिका में भी चौधरी साहब का अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, जनरल नालेज में उनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं ? आज भी चौधरी साहब का दर्शन, उनकी नीतियां प्रासंगिक हैं । भाजपा के जो सदस्य इस काम को कर रहे हैं, वह ऐसा न करें, यही मेरा अनुरोध है और वह अपने पर रोक लगायें तथा संशोधन को वापस ले लें ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं । जो आपने मुझे इस अवसर पर इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । जैसा कि अन्य दल के विधायकों ने इसका स्वागत किया है । मैं अपनी और अपने दल की भावनाओं को इससे सम्बद्ध करता हूं क्योंकि विधेयक स्वागत योग्य है । जैसाकि इस सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर किया है, यह वहां के लोगों की जन-भावनाओं से जुड़ा है और जन-भावनायें प्रतिबन्धित नहीं होती हैं, इसलिए यह विधेयक स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य है । कुछ सुझाव भी माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह जी की सेवाओं को देखते हुए जिन्होंने जीवन पर्यन्त देश के लिए, देश के विकास के लिए, किसानों के लिए कार्य किया है और जिस तरह से वह योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते रहे हैं वह अत्यन्त ही सराहनीय रहा है ।

मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सेवाओं और उनके कार्यों को देखते हुए, जिस तरीके से उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में । उन्हें कृषि पंडित की उपाधि दी जाय और पुरस्कार हेतु सरकार निर्णय ले तो यह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होगा । इसका सभी समर्थन करते रहेंगे कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास और अन्य गतिविधि में हमेशा बहुमूल्य योगदान दिया है, प्रदेश के कृषकों, दलितों के उत्थान के लिए कार्य किये हैं । कृषकों के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाईं । उत्पादकता का समर्थन करते थे, गरीबों पर विशेष ध्यान देते थे । इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस विधेयक का स्वागत किया जाय । मैं इस विधेयक के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर कम से कम एक लाख रुपये "कृषि पंडित" के रूप में पुरस्कार दिया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, सरकार ने जो मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर प्रस्तुत किया है, उसका हम स्वागत करते हैं । चौधरी चरण सिंह इसी प्रदेश में जन्मे हैं । भारतवर्ष के इतिहास में जिन्होंने अपने विचारों से, अपनी आर्थिक नीति से पूरे भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों की भी आर्थिक नीति को अपने विचारों से दिशा प्रदान की है । गांवों से लेकर पूरे देश में किसानों के मसीहा के रूप में उनका नाम लिया जाता रहा है । हम भी स्वागत करते हैं कि मेरठ विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है लेकिन साथ ही अभी हमारे साथी श्री किरन पाल जी ने जो बात कही है भाजपा के सम्बन्ध में और जो टिप्पणी की गयी है, वह उचित नहीं है । मैं स्वयं व मेरी पार्टी सदा उनका सम्मान करती रही है, मैं समझता हूं कि कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इससे सहमत न हो । राजनीतिक जीवन में राजनीति से ऊपर उठकर जिन्होंने प्रदेश में किसानों को संगठित किया और विकास की एक नयी दिशा प्रदान की, उनके नाम पर ही मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रखा गया है । उसके साथ ही कुछ ऐसी सार्थक बातें भी कहना चाहता हूं जो कि मैंने राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी कही हैं । उनके नाम पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हेतु कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी लाते हैं तो हम उस प्रस्ताव का भी समर्थन करते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि प्रस्तुत विधेयक को यह सदन सर्व सम्मति से पारित करे । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी आप बजट पर बोलने जा रहे हैं या विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर बोलेंगे ।

श्री बी0 आर0 वर्मा–

श्रीमन्, मैं विधेयक पर बोलने जा रहा हूं, बाद में बजट पर बोलूंगा । मान्यवर, यह जो विधेयक पारित करने के लिये आज सदन में इस पर विचार हो रहा है यह सराहनीय काम इस सरकार ने किया है । मेरठ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय करके इस सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम है । मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं किन शब्दों में सरकार का आभार व्यक्त करूं । चौधरी साहब एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, एक ऐसे संस्था रहे हैं, जिनका आर्थिक दर्शन, जिनकी नीतियां, जो उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिये किया है, देश के विकास के लिये किया है और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कण-कण में चौधरी चरण सिंह की नीतियां, उनके विचार व्याप्त हैं । मैं खासतौर से चौधरी साहब का उल्लेख करना चाहूंगा, चौधरी साहब कहते थे कि देश का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक गांव का विकास न हो, और गांव का विकास तब तक नहीं होगा, जब तक किसानों का विकास न हो, किसानों का विकास जब तक नहीं होगा तब तक उसकी खेती लाभदायक नहीं होगी ।

मान्यवर, जब तक कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे नहीं लगेंगे तब तक खेती का विकास नहीं होगा और कृषि लाभदायक नहीं होगी जब कृषि लाभदायक नहीं होगी तो किसानों का भला नहीं होगा । मान्यवर, ऐसे महापुरुष के नाम पर जो यह विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं । चौधरी चरण सिंह जी ने जो देश और

समाज के लिये, दलित, शोषित, कमजोर वर्गों के लिये काम किया है, उसको देखते हुये यह अत्यन्त सराहनीय कदम है । मैं चाहूंगा कि और भी विश्वविद्यालयों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखा जाये, यह एक स्वागत योग्य कदम है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह जो राज्य विश्वविद्यालय संशोधन 1994 रखा गया है और उस पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस विधेयक के माध्यम से मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय करने का जो प्रस्ताव है, वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी का कृषि और किसानों से सीधा संबंध रहा है, इसलिए इस कदम का मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी का किसानों से सीधा सम्बन्ध था । अगर उनके नाम पर कोई नया कृषि विश्वविद्यालय खोला जाता तो शायद ज्यादा स्वागत योग्य कदम था, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि इस चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कृषि के नाम पर एक स्पेशल फैकल्टी खोली जाय, जहां पर अनुसंधान की विशेष व्यवस्था की जाये ।

मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज मेरठ विश्वविद्यालय का नाम जो यह विधेयक पारित हो जाने के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो जायेगा । मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय में बहुत अनियमितताएं हैं, यही नहीं सारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं हैं और कई विश्वविद्यालय वित्तीय घाटे से ग्रस्त हैं । मैं चाहूंगा कि इस सदन के माध्यम से उनमें वित्तीय घाटे का दूर करने के बारे में भी सरकार विचार करे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे दल के कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर दिये थे तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की टिप्पणी सुनकर मेरे मन में यह बात पैदा हुई कि उसका स्पष्टीकरण दे देना चाहिए । मान्यवर, दुःख यह है कि किसी को समझाने के लिये तर्क कितने ही दे दिये जायें, लेकिन तर्क समझने के लिए बुद्धि नहीं है तो तर्क वाला क्या करेगा ? मान्यवर, यह कहा गया कि इसमें कोई संशोधन हमारी ओर से, हमारे दल की ओर से पेश किया गया । हमारे दल की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, और श्री बालिरान जी ने अपने विचार रखे और इस विधेयक का स्वागत किया है । चौधरी चरण सिंह जी के नाम से मेरठ विश्वविद्यालय का नाम हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं, जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं मैं भी उससे अपने को जोड़ता हूं । अगर कोई फैकल्टी या कोई नई चीज बनी होती तो और अच्छा होता । इसका यह मतलब नहीं है कि हम उस नाम का विरोध कर रहे हैं ।

माननीय किरन पाल सिंह जी ने भी अपनी टिप्पणी इस विषय पर की है, इसीलिये मैं स्पष्टीकरण देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इसका स्वागत किया है क्योंकि चौधरी साहब भी हमारे देश के उन महान विभूतियों में से हैं जो स्वर्गवासी हैं । अब उनका व्यक्तित्व किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है । वह देश की महान विभूतियों में से हैं । जैसा कि वर्मा जी ने सुझाव दिया उसमें और कई महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालयों का नाम कर दिया जाये तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । मान्यवर, चौधरी साहब का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, इस विश्वविद्यालय का नामकरण चौधरी साहब के नाम पर होने से इस विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ी है न कि चौधरी साहब की, क्योंकि चौधरी साहब महान विभूतियों में से हैं । लेकिन इस विश्वविद्यालय में जो अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो इससे चौधरी साहब की गरिमा को ठेस लगेगी । इस विश्वविद्यालय में बी0एड0 का कोर्स चलता था, इस कोर्स के माध्यम से खूब पैसा लिया जाता था, पत्राचार के नाम पर बहुत पैसा छात्रों से लिया जा रहा है फिर भी अभी मामला अधर में है कि क्लासेज चलेंगे या नहीं चलेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं साथ ही विश्वविद्यालय का स्तर उठाने के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, गुप्ता जी ने कहा कि मैंने टिप्पणी की इसलिये स्पष्टीकरण देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन इस सदन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बुद्धि का अपच है और उनका कोई इलाज भी नहीं है । श्रीमान्, मेरठ विश्वविद्यालय का नाम प्रातः स्मरणीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से करने की मांग बहुत दिनों से चल रही थी, कोई नई मांग नहीं थी । श्रीमन्, गुप्ता जी माने या न माने लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि इस सदन में जब हम लोग पहली बार आये थे तो गुप्ता जी और मैं भी चौधरी चरण सिंह जी की कृपा से ही यहां पर आये। ऐसा महापुरुष जिसने सबसे ज्यादा आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में, इस विधान सभा के इतिहास में सेवा की है उसके नाम पर जब कोई मांग हो तो इफ एण्ड बट नहीं होना चाहिए । अच्छा होता आपकी सरकार ने उस समय निर्णय कर लिया होता तो जो आप आज पश्चाताप कर रहे हैं, वह न होता । हम सभी लोग चौधरी चरण सिंह की नीतियों के प्रति, उनके आदर्शों के प्रति पूरा जीवन समर्पित हो जाये तो हम लोग उनके ऋणी रहेंगे । आज भी आप सुझाव दे रहे हैं वह कम है, हम उससे भी ज्यादा अपने जीवन में करना चाहते हैं ।

श्रीमन् इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह पैदा हुये एक महान किसान के घर वह प्रदेश के मुख्य मंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री भी बने । लेकिन आपने चौधरी साहब को सहयोग नहीं दिया । मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब वह बैठे तो आप लोगों ने ही बाधा पहुंचायी । . . . (व्यवधान)

चौधरी साहब का कोई जवाब नहीं है श्री चौधरी चरण सिंह, जीवन भर गरीबों की तरक्की

के लिये, किसानों की तरक्की के लिए और देश के विकास के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे । आज उनके समर्थक इधर बैठे हुए हैं, ये लोग कोई भी कसर नहीं रखेंगे उनके नाम को अमर रखने के लिये, जो कुछ भी हम लोग कर पायेंगे, उसके लिये हम कोई कंजूसी करने वाले नहीं हैं । मेरा पूरा सदन से अनुरोध है कि वह इस पवित्र विधेयक को सर्वसम्मति से पास करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही उसी के संदर्भ में मैं इतिहास की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसी आदरणीय सदन में 99 सदस्य भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम यहां बैठे थे, तो उस समय जब चौधरी चरण सिंह जी ने उस दरवाजे से प्रवेश किया था, माननीय वर्मा जी भी यहां थे, राम बचन यादव जी भी यहां थे, हमीरपुर के शर्मा जी भी यहां थे, तो उस समय जब धन्यवाद का प्रस्ताव गिर गया था तो भारतीय जनसंघ ने सौंवेद सरकार में उन्हें मुख्य मंत्री बनाकर अपने को गौरवान्वित महसूस किया था । उनके नेतृत्व में भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया था ।

श्री बैनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता है । इनके दल के लोगों ने उनके साथ क्या नहीं किया । जहां तक ये टांग खींच सकते थे उतनी टांग खींची । चौधरी चरण सिंह जी गरीबों के हमदर्द थे, परन्तु इनका दल इनकी नीतियों का विरोधी था । यहां से लेकर दिल्ली तक इनके दल ने उनके साथ क्या-क्या नहीं किया ये सबको मालूम है । आज भी इस विधेयक के साथ उनकी पार्टी के लोग जो इफ एण्ड बट लगा रहे हैं, यह इनकी मजबूरी है । चौधरी चरण सिंह अब व्यक्ति नहीं रह गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, दो बातें कहना चाहता हूं कि प्रागदर्शन में यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन धर्म से संभव नहीं हो पाया परन्तु आज लग रहा है कि उनके दिल और मन में परिवर्तन हो गया है तथा वे महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में आस्था रखने लग गये हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जब माननीय सदस्य श्री संगल जी बोल रहे थे, आप कार्यवाही को देखें, तो उन्होंने यह कहा कि मेरठ विश्वविद्यालय का नाम अभी भी मेरठ विश्वविद्यालय रहने दिया जाय और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कोई अन्य विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थान बनाया जाय । इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने अपनी बात कही थी । श्री गुप्ता जी जो अब यह कह रहे हैं कि हमने चौधरी साहब के लिए यह किया, वह किया, इस समय उसे कहना कोई अच्छी बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

मुझे अफसोस है यह सब लोग चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लांछन लगा कर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा था कि हम लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस

किया था । लेकिन यह जानबूझ कर चौधरी साहब की बात उठा रहे हैं । दल के नेता की हैसियत से मैंने इसका स्वागत किया है, उसे स्वागत, स्वागत, स्वागत समझना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कीजियेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सर्व सम्मति से पास किया जाय, इन्हें अपने अपराध का बोध हो गया है इसलिये बधाई ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, सर्वसम्मति से हुआ ।

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) यह 17 जनवरी, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (8) में, शब्द "या यथास्थिति मेरठ" के पश्चात् शब्द "जिसे 17 जनवरी, 1994 से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ कहा जायेगा" बदल दिये जायेंगे ।

नयी धारा 72-ग का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 72-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

मेरठ विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था

"72-ग-दिनांक 17 जनवरी, 1994 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समान प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में मेरठ विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के प्रति निर्देश समझा जायेगा।"

अनुसूची का संशोधन

4--मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम-संख्या 6 के सामने स्तम्भ-2 में, शब्द "मेरठ विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

---

अनुसूची का संशोधन

अनुसूची

(धारा 5 देखिए)

| क्रम-संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा |
|---|---|---|
| ** | ** | ** |
| 6 | मेरठ विश्वविद्यालय | बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले। |

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 मसूद अहमद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

**उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994**

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं "यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 का अननुमोदन करता है ।"

मैं आपकी अनुमति से इस संबंध में कुछ कहना भी चाहूंगा । मेरी यह मान्यता है कि जिस किसी कमेटी में या किसी समिति में ब्यूरोक्रेट काम करते हैं उनके मुकाबले में जनता के साथ जुड़े हुये जनप्रतिनिधि अधिक ईमानदारी और प्रभावी ढंग से जनता की सेवा करने में सफल होंगे । इसी दृष्टि से यह संशोधन पेश किया है । इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा । हम जब सरकार में थे हमने चुनाव कराने के समय को लेकर घोषणा कराकर तदर्थ समिति की बात कही थी लेकिन 6 दिसम्बर के बाद उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था बदल गयी । अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी होती और कमेटियां भंग कर दी जाती तो कोई बात नहीं थी क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होगी वह अपने विश्वास और दृष्टि से व्यक्तियों का चयन समितियों में करेगी उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं । लेकिन राष्ट्रपति शासन था उस समय उनको भंग कर एक पार्टी विशेष के शासन की तरह उसमें रखना उचित नहीं है जिसकी चारों तरफ निंदा की गयी ।

जो संशोधन आया हुआ है इसमें दो तीन बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी धारा 2 को देखने की कृपा करें । इसमें एक तदर्थ समिति का प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार समिति का एक अध्यक्ष होगा उसके साथ-साथ एक कमीशन

एजेन्ट, 2 व्यापारी, 8 किसान इस प्रकार कुल मिलाकर 11 की कमेटी होगी । अच्छा होता इस 11 मैम्बर कमेटी के फाट कर देते । अभी पंचायती राज संविधान संशोधन में हम व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें चारों तरफ से सब पार्टियां एक मत हैं कि महिलाओं को भी अच्छी भागीदारी प्रशासन में देना चाहिए, नगरपालिका में देने का विचार है और ग्राम पंचायतों में दे रहे हैं तो मंडी समितियां जो हैं उनमें अच्छा होता कि तीन महिलाओं, को जोड़ देते, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को जोड़ देते और 3 उत्पादकों को जोड़ देते, इस तरह 11 सदस्यों का जो रूप बनता वह अच्छा होता और मैं चाहता हूं कि इनका जोड़ना इसमें अत्यन्त आवश्यक है ।

साथ ही आप देखें कि विधेयक की धारा 2 के "2-(1) में लिखा है—एक वर्ष की अवधि या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मंडी समिति का संगठन होने तक के लिए" । तो मान्यवर, इसका कार्यकलाप एक वर्ष का दिया है । यदि एक वर्ष के पहले चुनाव हो जाते तो समितियां भंग हो जायेंगी । इसलिये मेरी मांग है कि सरकार को आज ही वह तारीख घोषित करना चाहिए जब मंडी समितियों के चुनाव कराये जायेंगे और तब तक तदर्थ समितियां काम करें । इसकी साफ-साफ घोषणा करना अच्छा होगा ।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि तदर्थ समितियां बनने के बाद यह प्रभावी ढंग से कैसे काम करेंगी, इसको देखना पड़ेगा । मेरी जानकारी है कि यहां एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री ने बताया था और स्वीकार किया था कि मंडियों में 2 हजार पद रिक्त हैं । तो इनके कमी रहने से समितियां कैसे काम कर पायेंगी । इसलिये अच्छा होगा कि जब उत्तर मंत्री जी देंगे तो बतायेंगे कि 2 हजार पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी ? मान्यवर, बजट में बेरोजगारी दूर करने की घोषणा की गयी है तो वह तभी दूर होगी जब नियुक्तियां की जाएंगी । इसके साथ ही सर्विसेज में आरक्षण की घोषणा की गयी है तो जब नियुक्ति करेंगे तभी आरक्षण पूरा कर पायेंगे, इसलिये 2 हजार पदों पर नियुक्ति की बात बतानी चाहिए ।

मान्यवर, मंडी का जो शुल्क लिया जाता है, पहले कभी नहीं हुआ, जब श्री कल्याण सिंह जी उधर बैठते थे तो उन्होंने आदेश करवाया था कि उत्पादकों की सुविधा हेतु सड़क, पुल और पेयजल आदि के काम कराये जायं और बड़े पैमाने पर किये गये लेकिन इधर एक साल से विकास के यह काम ठप्प पड़े हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह के काम कराये जाएं चूंकि प्रस्ताव मंडियों से आये हैं । सरकार को देखना चाहिए कि मंडियों के पास पैसा जो जमा है वह बेकार में जमा ही न रहे बल्कि उसका उपयोग जिनके माध्यम से मंडी शुल्क आता है उनकी सुविधा के लिए निर्माण कार्य कराये जाएं । साथ ही हमारी मांग रही है, शासन में थे तो नहीं कर पाये कि मंडी शुल्क में परिवर्तन करेंगे, इसलिये मंडी शुल्क को एक सूत्रीय कर देना चाहिए इससे आय बढ़ेगी ।

वर्तमान सरकार गठित होने और भाजपा सरकार जाने के बाद एक आदेश जारी किया गया कि आटा, मैदा, सूजी भी मंडी उत्पाद में जोड़ लिया गया जिसका चारों तरफ विरोध हुआ । मुझे खुशी है आपने विचार किया और स्थगित कर दिया । मेरी सूचना

है कि जगह-जगह जो स्थगन आदेश पहुंचा है, ऐसी बहुत सी मंडियां हैं जहां हड़ताल हुई है, लेकिन मंडी शुल्क चार्ज किया जा रहा है । बहरहाल अभी स्थगित है किन्तु कल रिस्टोर कर दिया गया तो एरियर देना पड़ेगा, इसलिए इसके बारे में जैसा कि मेरा विश्वास है । मैं समझता हूं कि इसको कृषि उत्पाद की सूची में नहीं मानना चाहिए । इसमें काहे का मण्डी शुल्क, यह तो उप-उत्पाद है और इसमें मण्डी शुल्क लेने का कोई प्राविधान नहीं है, न यह नियमों में है । इसलिये इसे जिसको आपने स्थगित किया है, उसको रद्द करने की सूचना तत्काल जारी कर दें, ताकि व्यापारी वर्ग को कुछ राहत मिले । इसके साथ मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं । इसे प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नरेन्द्र सिंह (नरेन्द्र सिंह के अनुपस्थित रहने पर) नरेन्द्र सिंह नहीं हैं । मंत्री जी आप विचार कुछ रखियेगा? गुप्त जी ने प्रारम्भ कर दिया है । प्रस्ताव आपकी तरफ से विचार का आना चाहिए ।

**मद संख्या-12**

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह जो भी बिन्दु माननीय गुप्त जी ने उठाए हैं, उनके पास इसके बारे में कुछ कहने को था ही नहीं । उनकी एक-एक बात का मैं जवाब दूंगा । जो उन्होंने कहा कि यह बाई-प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात, यह सही है कि बाई प्रोडक्ट पर टैक्स लगाने का अधिकार उनको नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेन्ट से उनको इसकी छूट मिल गई थी और उन्होंने लगाया । किन्तु हमने उसको स्थगित भी कर दिया और स्थगित करने के पीछे भावना समाप्त करने की ही होती है । श्रीमन्, इस समय वहां पर अधिकारी काम कर रहे हैं । अच्छा होता गुप्ता जी अपनी सरकार के समय में, जो आरक्षण आदि की व्यवस्था करने की बात कह रहे थे, कर लिये होते तो हमें सुविधा होती । किन्तु अपनी सरकार में तो आप कर नहीं पाए । मैंने इसमें साफ तौर पर लिख दिया कि एक वर्ष या चुनाव होने तक, जो भी अवधि कम हो । तो चुनाव होने की व्यवस्था तक एक प्रकार से यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है । लेकिन हमारा विश्वास हमेशा से रहा है कि जन प्रतिनिधियों के हाथ में ये संस्थाएं रहें तो उन पर ज्यादा अच्छा नियंत्रण रहता है और जनता का अधिक हित भी सम्पन्न होता है।

हमने देखा है, जब सरकार में हम थे, तो इनको जरूर मालूम होगा कि जब जन प्रतिनिधियों के हाथों में यह आई थी तो उनकी आमदनी बढ़ी थी । आज भी हमें विश्वास है कि जब ये जन प्रतिनिधियों के हाथ में चली जाएगी, तो आमदनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं । साथ ही जनता का हित होगा और उन पर नियंत्रण प्रभावी ढंग से लागू होगा । यह बहुत ही साधारण विधेयक है । एक वर्ष की अवधि के लिए यह प्रस्तुत किया जा रहा है जिन वर्गों के आरक्षण के लिए गुप्त जी ने राजनीतिक भाषण दिया है, उससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । वह वर्ग तो हमारे साथ है ही,

उनके लिए हम पूरी तरह से चिन्तित हैं । गुप्त जी को तो व्यापारियों की चिन्ता होनी चाहिए थी, किन्तु वे भी आगे उनके साथ रहने वाले नहीं हैं आपकी सरकार होती तो जो वाई-प्रोडक्ट पर टैक्स लग गया था, उसको वापस लेने का साहस आप न करते ! हम समझते हैं कि एक महीना भी टैक्स कहीं वसूल नहीं हुआ होगा उसी के बीच में हमने उसको स्थगित करने के आदेश दे दिए और श्रीमन्, जहां तक नौकरियों की बात है । पद रिक्त होने की बात गुप्ता जी ने उठाई है । अभी तक तो नौकरियों पर रोक लगी है हर जगह और यह रोक इसलिए लगाई गई है कि जहां-जहां पर जो रिक्तियां हैं, उसके लिए जो आरक्षित वर्ग है उसका कोटा पूरा किया गया है कि नहीं, इसकी समीक्षा जब तक पूरी तरह से नहीं की जाती यह रोक लगी रहेगी । जो रिक्त पद होंगे वह भी भरे जायेंगे । आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ जहां कहीं अन्याय हो रहा होगा उसका पूरी तरह से समायोजन किया जायेगा । हम समझते हैं श्रीमन्, गुप्ता जी को पूरी तरह से सहमत होना चाहिए जो काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया था उसी को हम दोहरा रहे हैं । अधिकारियों के हाथ से लेकर जन प्रतिनिधियों के हाथ में मंडी समिति का कार्य फिर से दे रहे हैं । इन्हें अपना प्रस्ताव वापस लेकर इसे सर्व सम्मति से पास किया जाना चाहिए ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, यह जो कृषि उत्पादन समिति अल्पकालिक व्यवस्था संशोधन विधेयक है ।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले संशोधन पढ़ दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा सुझाव सुन लें । व्यवस्था यह रही है कि जो यह मद–11 आयी है अननुमोदन का प्रस्ताव उस पर वोट करा लें उसके बाद पेश करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

विचार सुनने के बाद अननुमोदन का प्रस्ताव वोट के लिए आयेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विकल जी आप पहले संशोधन का प्रस्ताव पढ़िये उसके बाद विचार रखियेगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, मैंने जो यह प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति में रखने का इससे पूर्व माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अपने विचार बहुत विस्तार से उस पर रखे हैं । मण्डी समिति की व्यवस्था में परिवर्तन का यह जो विधेयक है, उसमें व्यवस्था यह की जा रही है कि जो अधिकार अभी तक जिलाधिकारियों को प्राप्त थे वह उनको न देकर

नामित प्रतिनिधियों को दिए जा रहे हैं । हमारे शासन में भी यही व्यवस्था की गई थी । मान्यवर, इसमें जो 11 सदस्यीय तदर्थ समिति बनाने की बात कही गई है । एक अध्यक्ष, एक कमीशन एजेन्ट में से, दो व्यापारियों में से, 8 उत्पादकों में से । माननीय गुप्त जी ने इस बात पर बल दिया है कि जहां यह 11 सदस्यों की समिति है उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों, महिलाओं, पिछड़े व अनुसूचित जाति के लोगों का भी समावेश किया जाना चाहिए ।

मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि मण्डी समिति के क्षेत्र में जो विधायक आते हैं उनको भी इस समिति में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए । वह पदेन हों और वह इस समिति के ऊपर नजर रखें देखें कि समिति ठीक प्रकार से काम कर रही है कि नहीं । जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में जाना होता है वहां उनकी जवाबदेही होती है । वह वहां जवाब दे सकें इस तरह से मंडी समिति ठीक प्रकार से काम कर सकेगी ।

कृषि उत्पादकों तथा किसानों के हितों के लिए यह आवश्यक बिन्दु है । अभी दूसरी बात यह है कि मंडी समितियों में एकसूत्रीय शुल्क लगाए जाने की बात है उसमें बहुसूत्रीय लगा है । मंडी समितियों की आमदनी बढ़ाने से संबंधित, उपभोक्ता, व्यापारी, किसान सभी का प्रश्न है । एक सूत्रीय शुल्क करने से मंडी समिति की आय बढ़ेगी और सदस्यों सुविधा प्राप्त होगी । वाई-प्रोडेक्ट के बारे में एक आदेश न्यायालय का हुआ । उसको यहां स्थगित कर दिया गया आपको स्थगित करना ही था लेकिन स्थगित करने के साथ-साथ अब उसे रद्द भी करना चाहिए ।

इसी के साथ कहना चाहूंगा कि वाई-प्रोडेक्ट में ऐसी चीजें हैं जो पहले से चली आ रही हैं उन पर भी आप सोचें खासतौर से आगरा में दाल मिलें हैं कभी आगरा में 200 दाल मिलें थीं उसके बनने में कुछ वाई प्रोडेक्ट में शामिल चीजों पर भी मंडी शुल्क लगा हुआ है परिणामतः सभी दाल मिल उद्योग उजड़ गया आगरा में केवल 11 दाल मिलें बची हैं इसमें चर्चा और विचार करने की आवश्यकता है इसलिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए । सदस्यों के नाम हम एक महीने में दे देंगे ताकि सारी चीजों पर विचार करके मंडी समिति में जो संशोधन हम चाहते हैं वह सही हो जाए । आपने एक वर्ष की बात कही है तदर्थ समिति के कार्यकाल की परन्तु एक वर्ष बीत जाता है चुनाव नहीं हो पाता है तब फिर दुबारा बढ़ाने के लिए इसको लाया जाता है कि इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए । आज निश्चित तिथि की घोषणा की जाय कि इनके चुनाव कब तक हो जायेंगे इसमें मैं जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा है उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी ने तो कुछ कहा ही नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं तो पहले बोल चुका था वह प्रश्न इन्होंने रख लिया । मैं पहले बोल चुका अब इसके साथ इसको जोड़ता हूं अब उत्तर भाषण में कहूंगा ।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आज जनप्रतिनिधि को मंडी समिति का उत्तरदायित्व देने की बात आई है। स्वागत योग्य कदम है। मगर कुछ विसंगतियां मंडी समितियों में चल रही हैं। इसीलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है किन्तु इससे विसंगतियों का निराकरण नहीं हो रहा है। आज पूरे समाज ने इस बात को अनुभव किया है कि हर वर्ग के आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विशेषकर जो सैकड़ों साल से प्रतिनिधित्व से वंचित रहे हैं। जब 11 सदस्यों के नामांकन की चर्चा चलती है तो स्वाभाविक है कि अनुसूचित जाति, महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इनके बारे में कोई प्रकार का स्पष्ट आरक्षण न होने के कारण, उनका प्रतिनिधित्व होने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस समिति का अध्यक्ष, ऐसा किसान जो वास्तव में कृषि कार्य में संलग्न हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष होना चाहिए। जहां तक बाई-प्रोडेक्ट की बात है।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आपस में बात न करें।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

अधिनियम के उद्देश्य और कारण में लिखा है कि कृषि उत्पादकों के लिए किसानों के लिए उनके सक्रिय सद्भाव कमतोली में बढ़ाने इत्यादि के लिए यह अधिनियम बनाया जा रहा है। (व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आपस में बातचीत न करें।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इसके पीछे जो नीयत थी वह पूरी न होकर इसको राजस्व वसूली का माध्यम बना लिया गया। "तेंदू का पत्ता" इसका पर्याप्त उत्पादन है। लाखों लोग बीड़ी बनाते हैं। करोड़ों लोग बीड़ी पीते हैं। हर वर्ग बीड़ी पीता है। यह प्राकृतिक उत्पादन होने के बावजूद आज उनके ऊपर मंडी शुल्क लग रहा है।

लकड़ी के लट्ठे आज कृषि उत्पादन नहीं है। मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। जिनका कृषि से सीधा संबंध नहीं है उन पर मंडी टैक्स लग रहा है। जो बहुस्तरीय बहुसूत्रीय मंडी टैक्स लगता है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें भ्रष्टाचार फैलता है। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि इसको एक सूत्रीय कर दिया जाए इस बिन्दु पर मैं बल देता हूं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाए तथा जो वास्तव में कृषि उत्पादन है, केवल उनके ऊपर मंडी टैक्स लगाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, माननीय विकल जी द्वारा जो इसको प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करते हुए, इस बात पर बल देता हूं। एक

माह में प्रवर समिति इस पर विचार कर ले । इन सारे बिन्दुओं पर विचार कर लें, तब इसको विधेयक के रूप में यहां लाया जाए ।

(समय 12 बजकर 15 मिनट)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मंडी समिति के बारे में जो संशोधन का सुझाव श्री राजेन्द्र कुमार जी व श्री सत्य प्रकाश विकल जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर मैं बल देता हूं । वर्तमान में जो स्थिति है, इसके उद्देश्य बहुत व्यापक थे लेकिन यह सिर्फ आय का एक स्रोत बनकर रह गया है । आज स्थिति यह है कि सरकार किसानों, व्यापारियों की बहुत हितैषी कहती है । मण्डी शुल्क, कृषि उत्पादन से जो आय होती है अगर उसका सर्वे करा लिया जाए तो जिन कार्यों के लिए इसका पैसा खर्च किया जाना चाहिए उन कार्यों पर यह पैसा खर्च नहीं होता है । मंडी समितियों में दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है । इन मण्डियों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां व्यापारी अपना व्यापार कर सके । नगर से बाहर यह मंडियां बनाई जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप विधेयक पर सिर्फ बोलिये ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

आज गेहूं, धान, मूंगफली आदि से कितनी आमदनी होती है । सचिव जो इन मण्डी परिषदों में हैं वह व्यापारियों, किसानों का ध्यान न देकर पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं । जितना पैसा मण्डी शुल्क का उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने आ रहा है, उसका दो गुना ढाई गुना पैसा मण्डी सचिवों की जेब में चला जाता है । जो भी व्यवस्थाएं पेयजल के लिए हैण्डपम्प, प्रकाश आदि के लिए करनी होती हैं उसको यह नहीं करते हैं । आज दाल जैसी चीज के लिए प्रति बोरा 60 रुपए मण्डी शुल्क देना पड़ता है । मण्डी शुल्क में भ्रष्टाचार होने से उत्तर प्रदेश से समस्त कारखाने बन्द होते चले जा रहे हैं । मेरा आग्रह है कि मण्डी परिषदों में जो भी भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाया जाय । इस संबंध में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उस पर बल देता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर अपने मूल्यवान विचार प्रकट किए । डा0 सरजीत सिंह डंग, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल ने इस पर अपने विचार प्रकट किए । मुझे कोई भाषण नहीं देना है मैं केवल 3 बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें उस समय उनका समावेश कर सकें । इससे प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा हित है । इसमें मैं समझता हूं कि इधर बैठने वालों और उधर बैठने वालों को कोई दिक्कत नहीं है । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी आवश्यक है । चाहे डी0आर0डी0ए0 के मेम्बर हों या अनुश्रवण समिति के मेम्बर हों सबमें हम लोग जाते हैं । कृषि उत्पादन मण्डी जितनी होती हैं उनमें हमारे क्षेत्र के सभी किसानों का समावेश रहता है । आखिर यह समितियां केवल इसलिए बनाई जाती हैं कि बिचौलियों से मुक्ति मिले ।

हम देखें कि वहां शोषण समाप्त हुआ है या नहीं पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं इसलिये विधायकों को उस समिति का पदेन सदस्य बना दिया जाना चाहिए। दूसरा बिन्दु यह है कि इसमें 2 महिलायें अनुसूचित जाति की या पिछड़े वर्गों की इन 11 सदस्यों में होनी चाहिए । इसका भी समावेश करने का मैं आश्वासन चाहता हूं । तीसरा बिन्दु, जैसा कि निकल जी ने कहा, चुनाव की तारीख की घोषणा की जाय । मैं अपनी बात पर पुनः बल देता हूं । मान्यवर, इसमें कहीं कोई राजनीतिक अनटच-एबिलिटी का प्रश्न नहीं है । हर विधायक अपने दिल पर हाथ रख कर देखें । कहां सड़क बननी है, कहां पुलिया बननी है, कहां पर पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, कहां मंडी स्थल का चयन किया जाय? अगर इस समिति में विधायक पदेन सदस्य होंगे तो इन चीजों का निर्णय करने में सुविधा रहेगी इसलिये इसमें विधायकों का समावेश होना चाहिए । इसमें इधर के और उधर के माननीय सदस्यों का प्रश्न नहीं है । समाज के उन वर्गों का जो दुर्भाग्य से कमजोर हैं उन वर्गों को प्रशासन में भागीदार बनाया जाय, आरक्षण दिया जाय । इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, गुप्त जी ने जो बिन्दु उठाये हैं उनका स्पष्टीकरण मैंने पहले ही दे दिया है । अब वह बार-बार क्या व्यक्त कर रहे हैं । अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों का प्रश्न उनको इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है जो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल किये जायेंगे उसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व दिया जायगा । जो यह मांग कर रहे हैं हो सकता है कि उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व हो । (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन् दूसरा बिन्दु जो उन्होंने विधायकों के संबंध में उठाया है यह एक साधारण सा विधेयक है, एक वर्ष या चुनाव, जो तिथि पहले हो उस पर चुनाव हो जायेंगे । जो वहां नियम पहले से बने हैं उनके हिसाब से वहां समितियां गठित हो जायेंगी । इसमें विधायक कभी नहीं रहे हैं । इसके पहले भी इस तरह के प्रस्ताव आये हैं लेकिन विधायकों के परामर्श से सब कमेटियां बनेंगी । विधायक ही तो इसे पास कर रहे हैं । वह इससे अलग कहां हो रहे हैं ? मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक है अगर गुप्त जी अपने शासन-काल के संशोधन विधेयक को देख लें तो शायद एक शब्द का भी अंतर नहीं होगा । हम अनुरोध करेंगे कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें ताकि यह सर्व सम्मति से पारित हो सके । जो चुनाव की व्यवस्था लागू होगी उस संबंध में अवश्य विचार विमर्श करके चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी आप अपने संकल्प को वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उसके लिये मैं आभारी हूं । मंत्री जी ने कहा है कि जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा इन वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमने कहा, हो सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन में आश्वासन हो गया है अब उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । हमने विधायकों के समावेश करने के बारे में कहा था लेकिन उस पर स्पष्टीकरण नहीं हुआ है । उस पर भी आप आश्वस्त करा दें । मैं इसको वापस नहीं ले रहा हूं ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल के पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चूंकि सरकार द्वारा विधायकों का समावेश नहीं किया गया है और चुनाव के बारे में आश्वासन नहीं दिया गया है इसलिए सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-2 व खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

**उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994**

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा । संक्षिप्त ना और प्रारम्भ

(2) यह 15 जनवरी, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 7 सन् 1972 की धारा 2 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

मण्डी समितियों में प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

"2-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन होने तक के लिए, जो भी पहले हो, प्रत्येक मण्डी क्षेत्र जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर विद्यमान था या उक्त अवधि में इस रूप में घोषित किया जाए उसके संबंध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) जैसा खण्ड (ङ) में उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट की जाने वाली तदर्थ समिति द्वारा किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तदर्थ समिति में ग्यारह सदस्य होंगे, जिनमें से एक को सभापति पदाभिहित किया जाएगा और सदस्यों में से, एक सदस्य ऐसे कमीशन एजेण्टों में से और दो ऐसे व्यापारियों में से, जो मण्डी क्षेत्र में कारबार करते हों, जैसा कि मण्डी समिति के लाइसेन्स से प्रकट हो, और आठ सदस्य मण्डी क्षेत्र के उत्पादक सदस्यों में से होंगे ;

(ग) राज्य सरकार किसी भी समय तदर्थ समिति के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नया नाम-निर्देशन करके बदल सकती है ;

(घ) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदर्थ समिति को सभी प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति समझा जाएगा ;

(ङ) तदर्थ समिति मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन नहीं करेगी ;

(च) यदि तदर्थ समिति के सदस्यों में कोई मतभेद हो तो बहुमत का विनिश्चय मान्य होगा ;

(छ) राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बना सकती है जिसमें उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या प्रवर्तन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबंध भी सम्मिलित है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, जो उसे पूर्ववर्ती या सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ;

(ज) खण्ड (क) और (ख) के अधीन तदर्थ समिति नाम-निर्दिष्ट किए जाने तक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मण्डी समिति के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रवृत्त उपबन्ध बना रहेगा ;

(झ) जिला मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन तदर्थ समिति के नाम-निर्देशन के दिनांक से मण्डी समिति या उसके सभापति और उप सभापति के सभी अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करना बन्द कर देगा, और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किन्हीं ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी भी उक्त दिनांक से उनका प्रयोग करना बन्द कर देगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब भी उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखी जाएगी, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाए, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगी, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगी, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बन्धित अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0-1 सन् 1994

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई

कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## नियम 110 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री राम कुमार शुक्ल और श्री रमापति शास्त्री ने नियम 110 के अन्तर्गत एक सूचना दी है, जो बधाई से संबंधित है । सन् 1952 और 1967 से माननीय अध्यक्ष पीठ से जो भी अभी तक निर्णय दिये जाते रहे हैं, उसमें आप देखियेगा कि संवेदना अथवा बधाई के प्रस्ताव नेता सदन की ओर से ही आने चाहिए, इसलिए इसकी अनुज्ञा नहीं दी जाती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं । आपने चूंकि इसमें रुचि ले ली, इसलिए उसे नेता सदन के पास भेज दें ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि इसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है । मान्यवर, वहां से इसके लिए निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम उसे प्रेस नहीं करते हैं ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनाएं मैंने स्वीकृत की हैं, अब मैं उनको ले रहा हूं। चूंकि थोड़ा समय था, इसलिए मैं चाहता था कि एक-दो व्यक्ति बोल लेंगे ।

आज दिनांक 19 मार्च, 1994 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी हैं । क्रम संख्या एक पर चयनित सूचना मेरे विवेक से चयनित की गयी है और श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह और श्री बालेश्वर त्यागी की है और उसका विषय है, जनपद गाजियाबाद के थाना लोएडा फेज–2 के ग्राम गंभा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के भाई राजू की हत्या व मां को गम्भीर रूप से घायल किए जाने के संबंध में ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जो नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं दी गयी हैं, उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

कोई नहीं दी गयी है, नियम 56 की ली गयी है, उनको सुन रहा हूं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

आप उनको नियम 56 में परिवर्तित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसको देख लूंगा ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

कल नियम 311 में जो व्यवस्था हुई है, उसका आप कड़ाई के साथ पालन करें और गुप्ता जी भी सहयोग दें ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे की है, उसका विषय है, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ व पट्टी के ग्रामों में पेयजल के भीषण संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सत्य प्रकाश, डा0 सरजीत सिंह बग्गा और सुरेश मंगल की है, उसका विषय है, प्रदेश के मंडलीय विकास निगमों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को एक वर्ष से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

चौथी सूचना श्री राकेश सचान की है । इसी विषय से मिलती हुई सूचना श्री जगदम्बा सिंह, श्री राम प्रकाश व धनराज यादव की है, इसलिये उनको भी इसी के साथ जोड़ दिया गया है, उनका विषय है, प्रदेश के कानपुर देहात, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर जनपदों में हुई डकैती एवं लूट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

पांचवीं सूचना श्री स्वयंवर चौधरी की है, उसका विषय है, जनपद सिद्धार्थ-नगर के इटावा तहसील के क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा इटवा कस्बे में कतिपय नागरिकों की अकारण पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

छठी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की है, उसका विषय है, जनपद देवरिया में आगजनी की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा समुचित सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

सातवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है, जिसका विषय है, जनपद इलाहाबाद के सराय इनायत थानान्तर्गत नई झूंसी निवासी श्री लवकुश निषाद की पुलिस द्वारा कथित रूप से हत्या किए जाने तथा परिवारिकजनों का उत्पीड़न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

मान्यवर, मेरी सूचना नियम 56 में मान ली जाये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है । यह अहम मसला है ।

श्री अध्यक्ष–

जो कल की सूचनाएं हैं, उनको देख लूंगा । आप चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं, माननीय नए सदस्यों को बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

कल की सूचना को मैं देखूंगा और जो प्रमुख सूचनाएं होंगी उनके बारे में सुन लूंगा ।

(श्री बाल चन्द्र मिश्रा, श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी व अन्य सदस्यों द्वारा लगातार बोलते रहने का प्रयास करने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

[ x x x ]

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगा और न ही लिखा जायेगा । मैं व्यवस्था दे रहा हूं और आप सुन नहीं रहे हैं ।

मैंने कहा था कि आज जो चयनित हुई हैं उसमें कुछ कल की भी सूचनाएं हैं और जो कुछ इम्पार्टेन्ट हैं उनको भी देखकर सुनेंगे लेकिन बार-बार आप खड़े हो जाते हैं और मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं । मैंने कह दिया है उसके बाद भी आप नहीं सुन रहे हैं ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, साढ़े बारह बजे आपने कहा था कि अचित्य की सूचनाओं को सुनूंगा।

श्री अध्यक्ष–

तो क्या आपका मन है कि साढ़े बारह बजे न सुनूं?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इस सरकार के सत्तारूढ़ होते ही उत्तर प्रदेश में मानो अपराधों की बाढ़ आ गयी है और पश्चिम में तो ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रह गयी है, जंगल राज हो गया है लोगों का राजनीतिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है । विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या की साजिश हो रही

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हैं और अनेक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बनाकर उनकी हत्या की जा रही है । मान्यवर, जो मैंने आज सूचना दी है वह 16-17 मार्च, 1994 के बीच की रात को एक बजे भारतीय जनता पार्टी के नोएडा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री अतर सिंह शर्मा के घर ग्राम गेझा, थाना नोएडा फेज-2, जनपद गाजियाबाद में 6-7 लोगों ने घुसकर अंधाधुन्ध गोलियां चलाईं जिससे उसका 23 वर्षीय भाई राजू मारा गया और 54 वर्षीय मां गम्भीर रूप से घायल हो गयी ।

मान्यवर, उन्होंने कोई डकैती नहीं डाली, न ही कोई सामान उठाया, कोई अन्य नुकसान करने की भी कोशिश नहीं की बस केवल अंधाधुन्ध गोलियां चला दीं जिससे एक भाई की मृत्यु हो गयी और दूसरा मां गम्भीर रूप से घायल हो गयीं । श्री अतर सिंह शर्मा सौभाग्य से दूसरे कमरे में उस समय सोये हुए थे । उन्होंने जब अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई तो बदमाश भागे । इस घटना से तो ऐसा लगता है कि जानबूझ करके उनके पूरे परिवार को समाप्त करने की साजिश थी और उन्होंने वहां पहुंचकर अंधाधुन्ध गोलियां चलायी । इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है कानून समाप्त हो गया है और राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों को रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है । हजारों नागरिकों ने वहां जाकर एस0पी0 नोयेडा का घेराव किया, कोई गिरफ्तारी इस संबंध में नहीं हुई है, प्रशासन ने कोई रुचि नहीं ली है । ऐसा लगता है कि राजनीतिक संरक्षण पाये अपराधियों को बचाया जा रहा है । यह आम आदमी की जिन्दगी का सवाल है । अगर जिन्दगी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो राज्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा । राज्य सबसे पहले आदमी की जिन्दगी की गारन्टी ले, पहले सुरक्षा व्यवस्था हो । यह राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता से किया हुआ कार्य प्रतीत होता है। इस पर सुना जाय, यह निवेदन है।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद के विकास खण्ड शिवगढ़ पट्टी में पानी का संकट गहराया हुआ है । वहां की ग्राम सभाओं के कुयें एकदम सूख गये हैं । याहियापुर, करनपुर, खूभी शिवसूत, वशीरपुर, रतन मई, बारघाट, बरारी, दिलीपपुर दुबौली मोलनापुर खूभी कला आदि अनेक गांव हैं जहां के कुएं बिल्कुल सूख गए हैं । पीने के पानी का वहां भीषण संकट उत्पन्न हो गया है । नागरिकों को सई नदी का प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है। पशुओं के लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं रह गयी है। मान्यवर, सदन में यह निर्णय लिया गया था कि इण्डिया मार्क-2 पम्प माननीय विधायकों की संस्तुति पर लगाये जायेंगे लेकिन वहां के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है । शासन द्वारा यहां इण्डिया मार्क-2 पम्प लगाए जाने की तुरन्त व्यवस्था की जाय । जनपद का प्रशासन जो अपेक्षानुसार कार्य नहीं कर रहा है उस पर तत्काल नियंत्रण बनाया जाय।

(श्री लाल बहादुर सिंह व श्री राम लखन यादव के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री लाल बहादुर सिंह–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें, मैं अपने क्षेत्र की स्थिति रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

बजट भाषण में कह लीजिएगा । यह उनकी तरफ से कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, आप उस पर बल देने के लिये खड़े हो गये, माननीय दीक्षित जी ने यह कह दिया आप से बोलने के लिए, क्या यह सम्भव है । प्रस्ताव आपका है, कार्य-स्थगन पर बल आप दें ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, आपने मेरा नाम लिया, मैं तो उनको मना कर रहा था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य सरकार में अविश्वास रखना चाहता है, कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देना चाहता है, इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, अब पता नहीं किन कारणों से आपने मेरा नाम ले लिया, मैं तो बैठा हुआ था, मैं उनको बैठा रहा था ।

श्री अध्यक्ष–

सम्भव है मैंने गलत सुना और गलत देखा हो, मैं आपकी ही बात को मान रहा हूं । अगली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में किसी समय मण्डलीय विकास निगमों का गठन किया गया था, यह निगम सभी मण्डलीय स्तर पर बन गये थे । लेकिन, कालान्तर में अव्यवहारिक कार्य शैली और गलत वित्तीय प्रबन्धक का परिणाम यह हुआ कि लम्बे घाटे में वे चले गये हैं और घोषित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई । परिणामस्वरूप 1992 में सभी मण्डलीय निगमों के कार्यकलापों को रोकने का फैसला किया गया, उनके कार्यकलापों को बन्द कराने का फैसला किया गया । सरकार के सामने यह सवाल था कि हजारों हजार की संख्या में जो वहां कार्मिक काम कर रहे हैं उनका क्या होगा ? सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया, उस शासनादेश की प्रति मेरे पास है, उसमें साफ-साफ दर्ज किया गया है, यह श्री राजेन्द्र, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी मण्डलायुक्तों और प्रबन्ध निदेशक, मण्डलीय विकास निगमों को भेजा गया जिसका क्रम संख्या 383/54/2/10(86)/92, दिनांक 7 नवम्बर, 1992 यह क्षेत्रीय विकास अनुभाग–2 से जारी हुआ, एक प्रश्न भी इस संबंध में सदन में उठा था तो यह जवाब आया था कि किसी की छटनी नहीं की जायेगी, कोई सेवा से पृथक नहीं किया जायेगा बल्कि उनके लिये वैकल्पिक सेवायोजना की व्यवस्था की जायेगी, उस परिपत्र में यह भी उल्लेख है कि हार्टिको और चलचित्र निगम के कार्यकलाप बन्द किये गए हैं, जिन लाइन पर उनके कार्मिकों को सेवायोजित कर लिया गया है, उन्हीं लाइन्स पर इन सभी मण्डलीय विकास निगमों के कर्मचारियों को समायोजित किया जायेगा ।

लेकिन, आज क्या स्थिति है एक वर्ष से किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है, आश्चर्यजनक बात यह है कि नौकरी से निकाला नहीं गया है, माननीय उच्च न्यायालय का भी उसमें एक आदेश है कि जब तक उन्हें वैकल्पिक संवायोजन नहीं दिया जायेगा, तब तक नौकरी से नहीं निकाला जायेगा और तनख्वाह दिलवायेंगे । वे बराबर काम कर रहे हैं, प्रतिमाह पे-बिल बनता है पास किया जाता है, पास करने के बाद रख लिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है इसमें अधिकतर तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और श्रेणी–2 के कर्मचारी हैं । साल-साल भर से तनख्वाह नहीं दी गयी है, एक अनिश्चितता का वातावरण उनके सामने है । उनके परिवारों की दयनीय स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई बन्द हो रही है, माननीय न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है । मैं उनकी दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हार्टिकों और चलचित्र निगम माननीय मुलायम सिंह जी की पूर्व सरकार द्वारा खत्म किये गये थे, हम सरकार में आ गये, एक-एक कर्मचारी को नौकरी दी है, उसके बाद कार्य कलाप बन्द किये गये । मान्यवर, जो शासन की नीति है, हम समर्थक हैं, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है या आगे घाटे में बने रहने की स्थिति हो, उन निगमों को खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं है, शर्त यह है कि एक भी कर्मचारी नौकरी से अलग न किया जाय । यह महत्वपूर्ण मामला है, अविलम्बनीय लोक महत्व का है । बराबर प्रस्ताव पास होते हैं, लोग आपके पास आते हैं, कर्मचारियों का हर महीने पे-बिल बनता है, होली का त्योहार सिर पर है, बिल पर दस्तखत हो गए हैं तनख्वाह रिलीज नहीं की जायेगी । मेरी प्रार्थना है कि इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा प्रश्न नहीं होगा कृपया इस विषय पर चर्चा करायें । जितने भी मण्डलीय विकास निगमों के कार्यकलाप बन्द कर दिये गये हैं उनके कर्मचारियों को वैकल्पिक संवायोजन दिया जाय और प्रत्येक कर्मचारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पूरी तनख्वाह दी जाय जिससे भुखमरी का जीवन व्यतीत करने से बच जायें । मान्यवर, यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए मैं इसमें चर्चा की मांग करता हूं ।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

यह सत्य है कि यह जो मण्डलीय विकास निगम हैं इनको भ्रष्टाचार के कारण अकर्मण्यता के कारण, गलत नीतियों के कारण बन्द करने का निर्णय लेना पड़ा । वहीं यह भी सच है कि पिछली सरकार ने हार्टिकों और चलचित्र निगम के बन्द होने पर जिनकी संवायें समाप्त हुई थीं उनको सेवा देने का फैसला लिया था । मान्यवर, इसमें जो बड़े अधिकारी होते हैं वह छ-आठ महीने रहे और फिर दूसरे निगम में जाकर अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और कार्यकारी निदेशक के पद पर बैठ गये । मगर जो छोटे कर्मचारी हैं, निगमों को बन्द करने का शासनादेश हो गया. . . .

श्री अध्यक्ष–

आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं, कोई नयी बात कहें ।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं नई बात कह रहा हूं । जो बड़े अधिकारी हैं वह चारागाह समझकर चर रहे हैं और जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं आज तक सेवायोजित नहीं हुए हैं और सबसे गड़बड़ बात तो यह है कि उनका पे बिल बन रहा है मगर उनको एक पैसा भी तनख्वाह का नहीं दिया जा रहा है । उनके परिवार में निश्चित रूप से भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । अगर यह सरकार इसी तरह से संवेदनहीनता का कार्य करेगी तो ठीक नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे अधिक अविलम्बनीय लोक महत्व का कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार में निरन्तरता होती है । शासन ने एक निर्णय लिया था, तो उसे कर देना चाहिए था, पता नहीं किन कारणों से यह नहीं हुआ । तो उसे लागू कर देना चाहिए ताकि उनको वेतन मिलता रहे । बड़े अधिकारी तो चले गए मगर छोटे कर्मचारी की किसी को कोई चिन्ता नहीं है । अन्त में मैं अपने कार्य-स्थगन की सूचना पर बल देते हुए इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद कानपुर देहात के कस्बा घाटमपुर में इन्दर पाल उमराव के घर में दिनांक 16 मार्च को रात्रि में पड़ी डकैती के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, यह मामला अत्यन्त लोक महत्व का है । दिनांक 16 मार्च, 1994 को मध्य रात्रि में कस्बा घाटमपुर में क्षेत्रवाली और पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित मुहल्ला अशोक नगर पूर्वी के निवासी इन्दर पाल उमराव के घर में 11 बजे डकैती और लूटपाट की बड़ी व्यापक घटना हुई । मान्यवर, 11.00 बजे के समय कुछ बदमाश आये और इन्दर पाल उमराव जो मेडिकल स्टोर के व्यवसायी थे, उनके घर में चार दरवाजे तोड़कर लूटपाट करने गए । मान्यवर, जब गोलियों की आवाजें आयीं....

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलिये पूरी घटना न बतायें ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, ग्राह्यता पर बोल रहा हूं । जब हल्ला मचा और पुलिस चौकी में सूचना दी गयी, लेकिन दो घण्टे तक बदमाश लूटपाट करते रहे, पुलिस नहीं पहुंची । उन्हें गोली मारी गयी आज वे जे0 सी0 एम0 अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी पत्नी को चाकू मारा गया, उनके लड़के को जान से मारने का प्रयास किया गया और लाखों रुपए की सम्पत्ति लूट ले गए । जब क्षेत्रीय नागरिकों ने थाने में जाकर सूचना दी तो वर्तमान प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि चौकी में जाकर इसकी सूचना दीजिए । जब वह लोग चौकी गए तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि इसकी सूचना थाने में दीजिए क्योंकि यह संगीन मामला है और इसमें, मान्यवर, समय टलता रहा और दो घण्टे तक लूटपाट होती रही ।

मान्यवर, इस तरीके की घटना जहां बीस हजार की आबादी है घाटमपुर के अंदर, यह घटना हुई इससे कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति आपके सामने है । दो घण्टे तक पुलिस नहीं पहुंची और कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई । इसके पहले भी घाटमपुर में मैन रोड पर एक दुकान का ताला तोड़कर, शटर काट करके करीब 15 लाख रुपये का सामान, कपड़ा लूट लिया गया मगर उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी, कोई केस नहीं खोला गया । इसके उपरान्त यह घटना घटी है । मान्यवर, वहां पर दिनों-दिन आतंक बढ़ता जा रहा है । मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिस तरीके से घाटमपुर के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और वहां के प्रभारी निरीक्षक का यह रवैया हो गया है कि वह बदमाशों को संरक्षण दे रहे हैं और जब से वह यहां पर तैनात हैं तब से घाटमपुर के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, डकैतियां बढ़ रही हैं . . .

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । अब कार्यवाही में लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राकेश सचान–

[xxx]

श्री जगदम्बा–

मान्यवर, दिनांक 15-3-94 को जनपद बस्ती में, (पुरानी बस्ती में) स्टेट बैंक है उस स्टेट बैंक में मुनीम 8 लाख रुपया जमा करने के लिए ले जा रहा था तो बदमाशों ने, (जो मोटर साइकिल पर सवार थे) लूट लिया और फरार हो गए और इस संबंध में मान्यवर, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । इसी प्रकार की एक घटना खलीलाबाद में भी हुई कि एक आदमी रुपया जमा करने के लिए जा रहा था, उसको भी बदमाशों ने लूट लिया, इसी तारतम्य में दुधारा थाने में नन्दौर चौराहा है, वहां पर एक व्यवसायी ज्यों ही बस से निकलता है, बदमाश उसका पैसा छीन लेते हैं । इसी तारतम्य में 28-12-93 को मेरे ही क्षेत्र में कोआपरेटिव के पूर्व उपाध्यक्ष, श्री रंजीत सिंह जैसे ही पेट्रोल पम्प छावनी पर पहुंचे तेल भराने के लिए, उस पेट्रोल पम्प के मालिक दरोगा को बुला लेता है, दरोगा उन्हें थाने पर ले जाता है और इतनी पिटाई करता है कि उनके पैर टूट जाते हैं । 5-1-94 को उस दरोगा के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई । मान्यवर, फिर भी वह थाने पर पनघटा पर काम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की गयी । मान्यवर, इन सारी घटनाओं के पीछे न तो कोई गिरफ्तारी हुई और न ही कोई कार्यवाई हुई ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री जगदम्बा–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाई हो । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री धनराज यादव जी की है ।

श्री धनराज यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में जनपद मुख्यालय पर अभी पिछली रात को एक सर्राफे के यहां डकैती हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री यादव जी कोई नया तथ्य सामने आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो ।

*श्री धनराज यादव–

मान्यवर, नया तथ्य ही आ रहा है । आश्चर्य यह है कि छोटा सा नगर है, जहां डकैती हुई है उससे 50 मीटर की दूरी पर सशस्त्र पुलिस रहती है और मात्र 2 सौ मीटर की दूरी पर पुलिस अधीक्षक का आवास है, 250 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और उसके पीछे लगभग 12 लाख रुपए की डकैती हुई । उनके घर वालों को, उनके स्त्री-बच्चों को डकैतों ने मारा-पीटा और आज वह मेडिकल कालेज में भरती हैं तथा जीवन-मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं । इस घटना के विरोध में वहां के लोगों ने हड़ताल किया था, रास्ता भी जाम किया था । रास्ता जाम करने वाले शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन का उत्तर लाठी चार्ज करके दिया है पुलिस के इस व्यवहार से वहां के नागरिकों में क्षोभ व्याप्त है । वहां की जनता भयभीत है । जब पुलिस की नाक के नीचे इस प्रकार की घटना हो रही है, 8 लाख, 10 लाख और 12 लाख की चोरियां डकैतियां हो रही हैं, कोई सुरक्षा नहीं है तो फिर आम जनता कैसे संरक्षित रहे । मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पुलिस वहां पर गश्त करती है, इन डकैतियों में उसकी साजिश है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा करायें और सरकार से चर्चा का उत्तर दिलवाने की कृपा करें ।

*श्री स्वयंम्बर चौधरी–

मान्यवर, आपने पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जबसे यह नई सरकार आई है तब से जनपद सिद्धार्थनगर में पुलिस का जो कार्य है उस संबंध में हमारे साथी श्री जिप्पी तिवारी जी ने उठाया और आज डकैती का मामला माननीय यादव जी ने उठाया है । मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा । मेरे क्षेत्र में सुनील कुमार, क्षेत्राधिकारी नियुक्त हैं, जब वह अपने कार्यालय जा रहे थे इटवा चौराहे पर चूंकि सड़क निर्माणाधीन है उसको बनने में व्यवधान उत्पन्न हो गया था । इसलिए अधूरा पड़ा हुआ है, उन्होंने साजिश के तहत पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम लोगों ने रास्ता रोक रखा है, उन लोगों की लाठियों से पिटायी की गयी, बिना किसी दोष के । इसके खिलाफ वहां के लोगों ने आवाज उठायी और इटवा चौराहे पर रास्ता जाम किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के समक्ष जनता की मांग को रखा । पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर ने कहा कि तीन दिन के अन्दर क्षेत्राधिकारी के ऊपर कार्यवाई करेंगे, और यह जांच अपर जिलाधिकारी (राजस्व), सिद्धार्थनगर को सौंपा गया, जांच भी पूरी हो गयी लेकिन जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर और पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर ने अभी तक इस पर कोई कार्यवाई नहीं की । इसके विरोध में वहां धरना-प्रदर्शन भी हो चुके हैं, पूरा व्यापार मण्डल आक्रोश में है और लोगों में क्षोभ व्याप्त है । मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि इस पर पूरे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय । यह विषय अत्यन्त लोक महत्व का है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इसका उत्तर दिलवाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

कल की सूचना लिए जाने के संबंध में पीठासीन अधिकारी ने लिया है । अब मैं इसी क्रम में अशोक कुमार सिंह चन्देल को बुला रहा हूं ।

*श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं । किसान इससे बहुत बुरी तरह त्रस्त है । दिन रात मेहनत करने के बाद और खाद, बीज, पानी में काफी पैसा लगाने के बाद किसान अपनी फसल का पूरा लाभ नहीं ले पा रहा है । स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि जनपद हमीरपुर में इन बनरोजों का आतंक इतना अधिक हो गया है कि यह किसान को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक हो गयी है । आज किसान अपनी फसल का केवल 15 से 25 प्रतिशत ही घर ले जा पा रहा है । सहकारी संस्थाओं तथा अन्य लोगों से कर्ज लेकर किसान खाद पानी की व्यवस्था करता है, उन सबका कर्जा उसके ऊपर अलग होता जा रहा है, इससे किसान आज वहां क्षेत्र छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहा है । ऐसी विषम परिस्थितियों में इन बनरोजों के सफाए के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण होना चाहिए । आज इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा होनी चाहिए । मेरा आपसे आग्रह है कि आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि उनके सफाए के लिए त्वरित समाधान निकाला जाय । ऐसा नियम कानून, जो न उन्हें पकड़ने देता है, न मारने देता है, उसे बदला जाय । आज किसान बहुत परेशान है, अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

(श्री बाल चन्द्र मिश्र का नाम पुकारे जाने पर जनता दल के कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी, अब क्यों जोर दे रहे हैं ? पहले कल की सूचनाएं हो जाने दें । सचान जी आप बैठ जायें, मैंने आपको भी अनुमति नहीं दी है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, आज जिस विषय को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, वहां इस सत्र में अब तक के आने वाले विषयों में महत्वपूर्ण है । आज कानपुर महानगर आई0 एस0 आई0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का बहुत बड़ा अड्डा बन रहा है केवल एक-दो हत्याओं का सवाल ही नहीं है, इस सरकार के आने के बाद हत्याओं की पूरी श्रृंखला शुरू हो गयी है । मैं जिस विशेष बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, वह कानपुर महानगर में लगातार सुविचारित साजिश के तहत आई0 एस0 आई0 की तरफ से विशेष वर्ग की लोगों की हत्याओं के कराये जाने से संबंधित है । विगत 9 फरवरी को जब काला बच्चा की हत्या हुई थी, उसके बाद से अनेक इस तरह की हत्यायें हुई हैं । अभी 16-17 तारीख को दो दिनों के भीतर 4 हत्याएं हुई हैं । अभी 17 तारीख को साढ़े छः बजे सायकाल कल्लू पाण्डेय अपने एक मित्र रामू सोनकर के साथ अपने घर वापस आ रहे थे, कि कुली बाजार चौकी से पचास कदम की दूरी पर सलीम नामक एक व्यक्ति अपने पांच-छः साथियों के साथ खड़ा था । मान्यवर, यह बहुत ही कट्टर अपराधी है । कल्लू पाण्डेय और रामू सोनकर दोनों को दौड़ाया और मारा । कल्लू पाण्डेय को पकड़ लिया और रामू सोनकर कुली बाजार चौकी की ओर भागा जो कुली बाजार के पास ही पड़ता है, वह भागकर चौकी में घुस गया और वहां पर स्थिति बताकर सहयोग मांगा, लेकिन थाने वालों ने सहयोग नहीं दिया । उसके बाद कल्लू पाण्डेय की जान बचाने के लिये वह दौड़कर बादशाही नाका थाने पर गया और इसकी सूचना दी तथा उसकी जान बचाने का अनुरोध किया और पूरी स्थिति बताई । लेकिन वहां भी सहयोग नहीं दिया गया और स्थिति बिगड़ती ही चली गयी । एक-डेढ़ घण्टे के भीतर बादशाही नाका थाने पर भीड़ पहुंच गयी, हजारों क्षेत्रीय नागरिकों में रोष व्याप्त हो गया, तनाव की स्थिति पैदा हो गयी, जनता के लोगों ने थाना घेर लिया काफी प्रयास करने के बाद कल्लू पाण्डेय का क्षत-विक्षत शव ही मिला, उसको मान्यवर, मारा गया, निर्मम नृशंस हत्या की गयी और उसी के बाद उसका शव मिला ।

श्री अध्यक्ष–

अपनी बात जल्दी समाप्त करिये ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, अपनी बात जल्दी ही खत्म कर रहा हूं । इसके बाद पब्लिक पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और फायर भी किया गया है और वहां से पब्लिक को भगाया गया है । अपने घरों के बंगले से बाहर झांकने वालों को भी डराया गया और भगाया गया इससे मान्यवर, वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुयी है । ठीक उसी दिन 17 तारीख को एक घटना और हो गई है, इस ओर मान्यवर, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं । यह कोई सामान्य घटना नहीं है । एक श्री शिव शंकर मिश्र हैं, वह अपने घर लौट रहे थे, एक जनवरी को राजू नामक एक छात्र संघ के डी0वी0एस0 कालेज में उपाध्यक्ष हैं, वहीं पर कार्यक्रम हो रहा था, यानी वहां पर एक उत्सव हो रहा था । वहीं पर एक नग्गन मियां भी हैं, यह जूही की बात है जो किदवई नगर थाने के अंतर्गत आता है, वहीं पर हमला किया था, फायर हुये थे, इसके बाद उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी थी । श्री शिव शंकर ही उसमें गवाह हैं, उसकी हत्या करने की साजिश की गयी ।

यह सब आई0एस0आई0 के लोगों ने हमला कराकर वहां पर उत्पात मचा रखा है । कानपुर की सड़कों पर चलना दूभर हो रहा है, जनता सड़कों पर उतर रही है, स्थिति

तनावपूर्ण होती जा रही है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, कानपुर में आई0एस0आई0 के लोग छाये हुये हैं । डी0जी0पी0 से कहा गया है, केन्द्रीय गृह मंत्री से भी इस ओर ध्यान देने के लिये कहा गया, किन्तु अभी तक किसी भी तरह का सुधार नहीं हो रहा है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

कल की सूचना ले रहा हूं । कल सुनने के लिये कह दिया था । माननीय विकल जी जिद मत कीजये लाटरी में नहीं आयी । नियम-51 में आकृष्ट कर देंगे । पहले सुन लीजएगा । मैं आपकी सूचना की ग्राह्यता को ले रहा हूं । मैं बुला रहा हूं, आप सुन लीजिए ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में दुखित, दर्दनाक, असंतोषजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण वार्ता की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे जनपद में श्री प्यारेलाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नागला बीघी रामघाट के रहने वाले हैं, उन पर पुलिस ने बहुत ही अत्याचार किया है जिसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती है । मान्यवर, फरवरी के महीने में रामघाट थाने के अन्तर्गत एक व्यक्ति का अपहरण हुआ और अपहरण करने के बाद फिरौती मांगी गयी । अपहरणकर्ताओं से मिलकर रामघाट के थानाध्यक्ष ने श्री शंकर लाल, जिसे उठा ले गये थे, को वापस तो ले आये परन्तु खुद पैसा ले लिया और मुल्जिमों को गवाह बनाकर निर्दोष लोगों को फंसाने का काम कराया । श्री प्यारेलाल जी की उम्र 85 वर्ष है । इन्होंने इसके विरुद्ध समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई कि रामघाट थाने के थानाध्यक्ष ने अपहरणकर्ताओं को बचाकर निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया है ।

मान्यवर, श्री प्यारेलाल जी एक समाज सेवी हैं । इन्होंने नमक तोड़ो आन्दोलन में और 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया और सुभाष चन्द्र बोस जी के नेतृत्व में भी उनकी आस्था रही । जब उन्होंने रामघाट पुलिस द्वारा किए जा रहे इस नाजायज कार्य का विरोध किया तो रामघाट थाने का थानाध्यक्ष उनके घर पर आये और उन्हें जीप में बैठाकर ले गए, यह कह कर कि आपसे कुछ वार्ता करनी है । थाने पर ले जाकर उनके कपड़े उतार कर उन्हें नंगा किया गया और उनको मारा गया । उन्हें रस्सियों से बांधकर टांगों में लाठियां लगाई गयीं और फिर उन्हें उल्टा टांग दिया गया । यही नहीं उनके जेब में 2,022 रुपए थे, यह भी निकाल लिए गए । 20 तारीख को यह घटना हुई । उनकी इस तरह से बेइज्जती की गई कि आज तक वह शर्म के कारण चारपाई पर पड़े हुए हैं और मरणासन्न अवस्था में हैं । पुलिस ने उन पर जो अत्याचार किया, उसके लिए उन्हें बड़ा दुख व क्षोभ है । इतना ही नहीं मान्यवर, वहां की पुलिस ने उन्हें इस अपहरण काण्ड में भी शामिल कर लिया है और उनके ऊपर अपराध संख्या 4/94 दिनांक 21-2-94 धारा 364(ए) आई0 पी0 सी0 व सी0 आर0 पी0 सी0 लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जब उन्हें जेल भेजा गया और लोअर कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत किया गया तो लोअर कोर्ट के सम्मानित जज ने उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण-पत्रों को देखा तो उन्हें भी दुख हुआ । उन्होंने आदेश दिया कि इन्हें तत्काल रिहा किया जाय ।

मान्यवर, यह एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने यह कहा कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर देश के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, इसलिए मैं पेंशन नहीं लूंगा । ऐसे व्यक्ति को पुलिस झूठे तरीके से अपहरणकाण्ड में फंसाकर प्रताड़ित करे और जेल भेजे, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? आज तक सारा बुलन्दशहर जनपद उनके ऊपर लगाए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग कर रहा है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के लिए कह रहा है । अब भी रामघाट की पुलिस अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है यहां तक कि प्रशासन भी बचाने का काम कर रहा है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उन मुकदमों को तुरन्त वापस लिया जाय और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय ।

(समय 1 बजकर 15 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत एक से लेकर 5 तक की सूचनाओं को मैंने ग्राह्यता पर सुना और कल की सूचनाओं में से मैंने श्री बाल चन्द्र मिश्र व श्री चन्देल जी की सूचना पर ग्राह्यता के बारे में सुना । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इन सूचनाओं के बारे में कुछ कहेंगे ।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कुछ न कहने पर)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ला जी की सूचना पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।...

डा0 नरेन्द्र सिंह गौर की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है । शेष सभी सूचनाएं निरस्त की जाती हैं ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान हुआ है ।

(श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल, श्री बी0 एम0 सिंह, श्री राकेश सचान आदि सदस्य सदन के मध्य आ गए)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

2 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई । गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 5 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

## सदन में किसी मंत्री के उपस्थित न होने पर आपत्ति

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, सदन में इस समय कोई मंत्री उपस्थित नहीं हैं, इसलिए सदन स्थगित कर दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार सदन के प्रति गम्भीर नहीं है । (व्यवधान) कोई मंत्री यहां नहीं है । इसलिए कृपया आप सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें और मंत्रियों को बुलवा लें । (व्यवधान) यह आपका बड़ा भारी अपमान है कि ट्रेजरी बेन्चेज खाली रहें । इसलिए मेरा सुझाव है कि सारे मंत्रियों को उचित शिक्षा देने के लिए आज सदन की स्थगित कर दें तो उनको शिक्षा मिल जायेगी और दुनिया तथा उत्तर प्रदेश की जनता जानेगी कि यह सरकार सदन और जनता के प्रति गम्भीर नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, गुप्ता जी ने एक प्रस्ताव आपके सामने रखा है कि सदन में मंत्री उपस्थित नहीं थे लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि मंत्री और राज्य मंत्री, स्वास्थ्य यहां पहले से उपस्थित थे । इसलिए जो प्रस्ताव किया है वह नहीं बनता है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, राज्य मंत्री नीति निर्धारक नहीं होते हैं इसलिए कैबिनेट मंत्री यहां होना चाहिए ।

कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं इसलिए आप लोग शान्त रहें और कार्यवाही को आगे बढ़ने दें ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की सूचनाओं में माननीय सदस्यों को इसके पहले सुना गया । अब मैं पहली सूचना जो श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह और श्री बालेश्वर त्यागी की है जिसका विषय जनपद गाजियाबाद के थाना लोएडा फेज-2 के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के भाई राजू की हत्या व मां को गम्भीर रूप से घायल किए जाने के सम्बन्ध में है। इस सूचना पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय की है जिसका विषय जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ व पट्टी के ग्रामों में पेयजल के भीषण संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसमें भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश, डा0 सरजीत सिंह डंग और श्री सुरेश संगल की है जिसका विषय है प्रदेश के मण्डलीय विकास निगमों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को एक वर्ष से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर सरकार को वक्तव्य के लिए निर्देशित करता हूं।

चौथी सूचना श्री राकेश सचान, श्री जगदम्बा सिंह, श्री राम प्रकाश और श्री धनराज यादव की है, जिसका विषय प्रदेश के कानपुर देहात, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर जनपदों में हुई डकैती एवं लूट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसमें भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

पांचवीं सूचना श्री स्वयंबर चौधरी की है जिसका विषय जनपद सिद्धार्थनगर इटवा तहसील के क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा इटवा कस्बे में कतिपय नागरिकों की अकारण पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसमें भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

छठी और सातवीं सूचना जो श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल और डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है, उन सूचनाओं पर सरकार का ध्यान मैं पहले ही आकर्षित कर चुका हूं।

उसके बाद श्री बाल चन्द्र मिश्र की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। जो सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल ने दिया है उस पर सरकार को विभागीय कार्यवाही के लिए निर्देशित करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह, नेता जनता दल की सूचना पर सरकार को वक्तव्य के लिए निर्देशित कर रहा हूं।

**वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†**

श्री अध्यक्ष–

अब वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी।

श्री बाबू राम वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मान्यवर, सन् 94–95 का यह बजट जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, बजट का जो उद्देश्य है, उसमें उन्होंने साफ रूप से बता दिया है, उसमें किसी को शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार गरीबों की अपनी सरकार बनी है, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने अपने हिन्द स्वराज्य की रूपरेखा में इस प्रकार से की थी वह गरीबों का राज्य होगा, जिसमें पिछड़ी और दलित जनता के लिए बराबरी का स्थान होगा। उसमें न कोई नंगा होगा न कोई भूखा रहेगा, न कोई बेपढ़ा और न कोई बेरोजगार होगा। तो जो बजट की मूंशा है, वह आपके सामने है। यह बजट गरीबों के

† दिनांक 18 मार्च, 1994 की कार्यवाही से।

लिए, मजलूमों के लिए, जो समाज में सबसे निचले स्तर पर हैं, उनके लिए बनाया गया है। इसी के साथ-साथ समाज के हर वर्ग, जिसको समाज में तिरस्कृत समझा जाता था, उसके हितों का बजट में समावेश किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसका एक नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ गया है, यह बजट का बड़ा हिस्सा इसमें शिक्षा पर खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हजारों-हजारों शिक्षक जो 50-100 रु0 माहवार पर गुजारा कर रहे हैं, उनकी पूरी जिन्दगी शिक्षा के क्षेत्र में बीत रही है, उनके विद्यालय अनुदान की सूची में न आने के कारण उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। इसके माध्यम से यह सम्भावना है कि इन गरीब अध्यापकों के विद्यालय असहायक विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान किया जाएगा।

अब मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर खींचना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बस्ती जनपद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र रामनगर क्षेत्र है, जिसमें 50 किलोमीटर में कुवानों नदी बहती है। वहां पर उस पर कोई पुल न होने के कारण वह पूरा हिस्सा दो हिस्सों में, भागों में बंट जाता है और बरसात के दिनों में खासकर दोनों हिस्सों का सम्पर्क टूट जाता है और आने-जाने में जनता को बड़ी परेशानी होती है। वहां पर गौंडा से लेकर बस्ती तक रेलवे के समानान्तर पक्की सड़क बनी हुई है, लेकिन वहां पर पुल न होने के कारण रोजाना जो यात्री साइकिल पर या मोटर साइकिल पर या फिर पैदल उस सड़क से गुजरते हैं, वह रेलवे पुल के द्वारा नदी पार करते हैं। इससे आए दिन रेल से कोई न कोई दुर्घटना हुआ करती है। उसका नतीजा यह है कि साल भर में करीब 100 आदमी उस रेलवे लाइन पर कट जाते हैं।

इसलिए माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह 100 मील लम्बी सड़क जो बेकार पड़ी है, आवागमन बन्द है, हमारे जिले की 50 हजार जनता साधन विहीन है, जो रेल के सहारे आया जाया करती है, उनकी सुविधा के लिए कुवानों नदी पर पुल का निर्माण कराए जाने की कृपा करें। उस नदी पर पुल का निर्माण अति आवश्यक है। पिछले जनता शासन में हमारे यहां हमारे क्षेत्र में जो कई सड़कें बन रही थीं, उन पर काम, पिछले शासन में रोक दिया गया था।

(समय 2 बजकर 15 मिनट)

भानपुर सोनहा सोना नई तहसील बनी है। इस तहसील में आने के लिये कोई रास्ता नहीं है। महनुआ से दरिया की सड़क 14 किलोमीटर की बननी है जो कि सन् 1980 से अभी तक नहीं बन पाई है। इस तहसील की सुविधा के लिये इस सड़क का बनाया जाना बहुत जरूरी है इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस सड़क को राज्य सेक्टर में लेकर बनवाया जाय। इसी के साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या है। ग्रामीण बिजली की योजना जो चालू है उससे हमारे क्षेत्र में करीब 15-20 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां विद्युतीकरण हुआ है। उन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के टोलों में बिजली नहीं लगाई गई है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके टोलों में बिजली नहीं लगाई गई है। बड़े लोगों के टोलों में बिजली दी गई है। बाकी इन हरिजन टोलों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में अन्धकार ही है । मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विद्युत मद में से जिलों के लिए निश्चित ढंग से, निश्चित अनुपात से हर क्षेत्र में, हर गांव में बिजली लगाई जाय जिससे जिले का सर्वांगीणमुखी विकास हो सके ।

कृषि विभाग के बारे में भी मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हर ब्लाक में 3-3, 4-4 बीज गोदाम थे, वहां कृषि सहायक निरीक्षक रहते थे जिनके माध्यम से किसानों को खाद, बीज और कीट नाशक दवाइयां आदि समय-समय पर उपलब्ध होता रहता था लेकिन पिछले 2/3 सालों से कृषि सहायकों को हटा दिया गया है और गोदाम बन्द कर दिये गये हैं । देहात में किसानों को खाद, बीज और कीट नाशक दवाइयों के लिये सहकारी समितियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है । इन सहकारी समितियों की हालत यह है कि वहां इनके सचिव को जानकारी न बीज के बारे में है, न कीट नाशक दवाइयों के बारे में । नतीजा यह होता है कि जब बीज का समय आता है या कीट नाशक दवाइयों का समय आता है तो यह सब सामान उन्हें नहीं मिल पाता है यह सब गायब रहता है । इसका नतीजा यह है कि जो सुविधाएं पहले किसान कृषि सहायकों से प्राप्त करके अपनी फसल समय से बोते व उसकी कीटों से रक्षा करते थे वह नहीं कर पाते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन कृषि गोदामों को चालू किया जाना चाहिए और उनमें कृषि सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे बस्ती जिले में सरजू नहर परियोजना है । इस योजना पर अरबों रुपये खर्च हो चुका है लेकिन एक अंगुल जमीन उससे सींची नहीं जा रही है । दर्जनों विभाग इस परियोजना के नाम से खुले हैं जो करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष वेतन के रूप में खर्च करते हैं । यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है इससे बहराइच, गोंडा और बस्ती जिले में सिंचाई की समस्या का समाधान होगा । इस बजट में सरजू नहर परियोजना पर व्यापक ढंग से व्यय करने का कोई प्राविधान नहीं है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बस्ती, गोण्डा, बहराइच जिले की सिंचाई समस्या के हल के लिये सरजू नहर परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, काफी लम्बे परिश्रम करने के बाद आज आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया है । मान्यवर, आपके सत्ता पक्ष की तरफ से माननीया वर्मा जी को बोलने का अवसर दिया है तो सत्ता पक्ष के सदस्य बार-बार यह कह रहे थे कि अध्यक्ष जी की निगाह बहुत अच्छी है । आज पूर्ण समय सदस्यों को बोलने को मिलेगा मैं भी आशा रखता हूं 1994-95 सामान्य बजट पर बोलने का अवसर मुझे मिला है। प्रदेश की विभिन्न समस्याएं होंगी। इस माननीय सदन में जितने भी सम्मानित सदस्य आए हैं वह अपने-अपने जिलों के संबंध की समस्याओं को इस बजट के माध्यम से इस सदन में रखना चाहते हैं । मैं भी दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला सदस्य हूं । माननीय नेता सदन भी अपने दल की बैठकों में, सहयोगी दल बसपा की बैठकों में, यह कह दिया करते

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है, मैं तो इस प्रदेश का मुख्य मंत्री हूं जनपद सिद्धार्थनगर तो नक्शे में है ही नहीं । बहुत ही दुख का विषय है सहयोगी दल के नेताओं का कहना है कि अयोध्या में राम हटकर सिद्धार्थनगर पहुंच गए हैं । राम की माला लेकर समय को पार करना है लेकिन मान्यवर जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं उस क्षेत्र की जनता ने प्यार दिया है । मुझे भी अपने जिले की समस्याओं को रखने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष–

बजट पर बोलें । पांच मिनट ऐसे ही खत्म कर देंगे ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मैंने पांच मिनट ग्राह्यता पर रखा है ।

श्री अध्यक्ष–

पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

1994-95 के बजट सत्र में कहना चाहता हूं, जनपद सिद्धार्थनगर, जहां से मैं आया हूं, का सम्पूर्ण क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहा है, जो प्रदेश के नक्शे से भी जाना गया है । जहां बाढ़ के समय में अनेकों-अनेक गांव बह जाते हैं । बांध टूट जाते हैं । अभी नौगढ़ क्षेत्र में ऐसी विभीषिका आई कि पूरा जिला तहस-नहस हो गया । बंधों को जब तक दुरुस्त नहीं किया जायेगा । रेगुलेटर नहीं लगाया जाएगा तो इसी तरह से बाढ़ आती रहेगी । नहरों का बहुत बड़ा जाल केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से लम्बित पड़ी है उसकी वजह से हमारे जनपद में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है । इस बजट में कहीं भी हमारे जनपद सिद्धार्थनगर को बाढ़ की समस्याओं के निदान के लिए कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है । इसी तरह से डुमरियागंज तहसील के नाम से पहचाना गया है वह गांव सभा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

श्रीमन् आज तक डुमरियागंज गांव के रूप में है । यह न तो टाउन एरिया हो पाया न नगरपालिका हो पाया । डुमरियागंज गांव सभा के रूप में ही है । वहां बिजली की समस्या है । अस्पतालों की समस्या है । सड़कों की समस्या है । बाढ़ से वहां के परिवार जुलाई शुरू होते ही परेशान हो जाते हैं । वहां जनमानस में भय पैदा हो जाता है इस बात को बजट में नहीं देखा गया है ।

मान्यवर, मैं आपको एक ऐसी व्यवस्था की तरफ ले जा रहा हूं जहां माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री कल्पनाथ राय जी ने 132-33 के0 वी0 के विद्युत स्टेशन का शिलान्यास किया था और अब इस सरकार के बने हुए अभी थोड़े समय ही हुआ है लेकिन वह सामान जो वहां पर मौजूद था ट्रकों से ढोया जा रहा है यह बड़े ही दुख का विषय है । जहां पर बिजली की समस्या बहुत अधिक है वहां पर जो स्टेशन बन भी रहा था उसका सामान भी इस सरकार द्वारा वापस लिया जा रहा है । यह बहुत ही दुख का विषय है ।

ऐसी ही जिला परिषद् की व्यवस्था की बात है । सिद्धार्थनगर जनपद जो नेपाल से लगा हुआ है यहां पर जिला परिषद् अभी तक नहीं बनी है । जनपद सिद्धार्थनगर के कर्मचारियों के लिए व अधिकारियों के लिए आवास की सुविधा तो दूर यहां पर जिला कलेक्ट्रेट की भी सुविधा नहीं है । मैं डुमरियागंज का निवासी हूं । इस सरकार ने 70 फीसदी खर्च गांवों के विकास पर दिया है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइए अब लिखा नहीं जाएगा ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, दो तीन बिन्दु हैं उसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं सुना जायेगा ।

श्री धरा राम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह सरकार दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों की सरकार है । और इन वर्गों की भलाई के लिए सरकार ने बजट में काफी प्राविधान किए हैं । तमाम उद्देश्यों को विकास कार्यों के लिए बजट में प्राविधान है । मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं । इस सरकार के कार्यकाल में दलित शोषित और अल्पसंख्यक अमन चैन की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । हमारी सरकार इन वर्गों की भलाई के लिए कटिबद्ध है ।

यह सरकार दलितों, शोषितों के हित के लिए बनी है । हमारे क्षेत्र रसड़ा में विकास कार्य छूटे हुए हैं इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि विकास के कार्य तो हो रहे हैं लेकिन वह इन विकास कार्यों को जल्दी कराए। हमारी सरकार ने विधवा पेंशन के लिए काफी पैसा दिया है । हमारी सरकार ने दलितों, शोषितों पिछड़े वर्गों के लिए काफी पैसा दिया है । इसलिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं । इस सरकार ने दलित, शोषित छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति देने में काफी पैसा व्यय किया है। मैं इस सरकार को विकास कार्यों के लिए बधाई देना चाहता हूं तथा बजट का मैं समर्थन करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं । जय हिन्द, जय भीम, जय भारत ।

डा0 राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर आदरणीय सदन के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया । मैंने अपने नेता कल्याण सिंह को सुना, उन्होंने बजट पर समालोचनात्मक रूप से अपना भाषण दिया । श्री मुलायम सिंह जी ने कई बार कहा है कि वह जो कहते हैं वही करते हैं ।

लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है । जब वह वहां पर 20 फरवरी को गए, तो उन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि आगरा में ताज प्रेस क्लब के लिए 20 लाख रुपया देंगे । लेकिन रुपया देने का कार्य नहीं किया गया । इससे साफ जाहिर

होता है कि सरकार जब प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ के साथ सत्य से परे बोल रही है तो आम जनता का क्या होगा ? इसी तरह से मुख्य मंत्री जी ने पूर्व में आगरे के पत्रकारों के लिए घोषणा की थी कि ए0 डी0 ए0, शास्त्री नगर कालोनी में पत्रकारों को आवास दिए जायेंगे । आवास के संबंध में 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायगा । लेकिन बजट को देखने से लगता है कि इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है । इससे वहां के पत्रकारों में आक्रोश है । जब वह ए0डी0ए0 जाते हैं तो वहां पर उनसे ढंग से बात तक नहीं की जाती है । वहां पर 300 पत्रकारों ने पंजीकरण कराया था जिसमें से अनेक लोगों ने अपना पंजीकरण रद्द करा लिया है और जो बचे हैं वह भी अपना धन वापस लेने को सोच रहे हैं क्योंकि इतने महंगे मकान वह कैसे ले सकते हैं ।

इसी तरह से एक बात और कहना चाहता हूं अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कक्षा 1 से अनिवार्य छात्रवृत्ति देनी चाहिए क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तभी वह आगे बढ़ सकते हैं । कक्षा 1 से छात्रवृत्ति मिलेगी तो जब वह कक्षा 10 में आयेंगे तो मेहनत करके भी अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे । लेकिन बजट में इस बात की कोई चर्चा नहीं की गयी है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सामने बैठी सरकार कांग्रेस की बैसाखियों पर चल रही है । कांग्रेस ने 40 सालों तक वही काम किया जो उसे नहीं करना चाहिये था । उन्होंने वायदे किये दलितों और पिछड़ों की तरक्की करने के लिए लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया । कहीं ऐसा न हो कि वह अपना प्रभाव सरकार पर डाल रहे हों कि जो हमने 50 सालों तक किया वही करो, केवल वायदे करो काम न करो । माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है जिसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । आगरे में 300 हैण्ड पम्प स्थायी रूप से खराब हैं जिसके लिये 3 लाख रुपये की जरूरत है । इसके अलावा वहां पर एक हजार नए हैण्ड पम्प की जरूरत है । यदि यह हैण्ड पम्प वहां पर लग जायें तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि गर्मी में वहां पर पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होती है और रोड जाम वगैरह होते हैं जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती है । बड़े लोग तो सेट पम्प लगाकर अपनी पानी की समस्या का समाधान कर लेते हैं लेकिन गरीब जनता केवल सरकारी हैण्ड पम्पों पर निर्भर करती है । सरकार को वहां पर गरीबों को पानी की सुविधा देनी चाहिये सरकार को गरीबों को हर सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए मौका दिया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । यह प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश है और इसमें पर्वतीय क्षेत्र सबसे पिछड़ा है । उसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पर्वतीय क्षेत्र में आज पेयजल की विषम एवं विकट परिस्थिति पैदा हो गयी है और वहां पर पानी की समस्या खड़ी हो गयी है । पर्वतीय क्षेत्रों की 80 प्रतिशत योजनाएं धनाभाव के कारण बन्द पड़ी हैं । सितम्बर, 93 में जो अतिवृष्टि व भारी वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में हुयी थी उससे पेयजल योजनाओं के हैंड और पाइप लाइन पूरी तरह

क्षतिग्रस्त व बह गयी हैं । जैसे-जैसे गरमी बढ़ती जा रही है स्कीमों पर पानी बन्द होता जा रहा है । जिससे पर्वतवासियों के सम्मुख बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है । मैं चाहूंगा कि सरकार इन योजनाओं के लिए पर्याप्त धन दे ताकि गर्मी आने के पहले वहां पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके । पर्वतीय क्षेत्रों में जो पंपिंग योजनायें स्वीकृत हैं धनाभाव के कारण उन पर काम नहीं हो रहा है । उनके लिए धन दिया जाना चाहिए । कोटद्वार भावर में नलकूप स्वीकृत हैं लेकिन धन न होने के कारण काम रुका है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिए धन उपलब्ध कराया जाय । ताकि वहां पर ट्यूब वेल समय पर निर्माण करवाये जा सकें ।

इस बात पर खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस बजट में शिक्षा के लिए काफी धन का प्राविधान किया है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण हालत व अध्यापकों की कमी के कारण वहां पर छात्र-छात्राओं के सम्मुख बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है । आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि गणित, विज्ञान, कामर्स, अंग्रेजी के अध्यापकों की कमी रहते हुए कैसे कोई विद्यार्थी पास हो सकेगा ? जो छात्र-छात्राएं किसी तरह पास हो भी जाते हैं, तो वे किसी कम्पेटीशन (प्रतियोगिता) में निकलने से वंचित रह जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं, वे अपने परिवारों के ऊपर एक आर्थिक बोझ बनकर रह जाते हैं । अशासकीय विद्यालयों में धारा 18(क) को समाप्त करके प्रबन्धकीय विद्यालयों की समितियों को मिलने वाले चयन के अधिकारों से वंचित किया गया है, जब कि पूर्व सरकार उत्तराखण्ड के पक्ष में अपने बयानबाजी करती रही है और उधर पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करती रही है । वर्तमान सरकार ने भी उत्तराखण्ड राज्य बनाने की बात स्वीकारी है, किन्तु यदि यह सरकार भी उन सहूलियतों पूर्व से मिलने वाली सुविधाओं को पुनः स्थापित नहीं करती, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का विश्वास इस सरकार पर सशंकित होगा । अतः धारा 18(क) को बहाल करते हुए अशासकीय विद्यालयों को राजकीय विद्यालयों की भांति भवन अनुदान, विज्ञान अनुदान दिये जाने चाहिए औद्योगिक क्षेत्र में कोटद्वार में स्वीकृत ग्रोथ सेन्टर को शीघ्र स्थापित किया जाय और उसे वहां से हस्तांतरित करने के घृणित कृत्य को रोका जाय । एलेक्ट्रनिक यूनिट्स की स्थापना कर छोटे-छोटे उद्योगों को लगवाकर पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाय । पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति से दिनों-दिन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं से बचाने के लिए एस0आर0एम0डी0 के तहत पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाय ।

श्री इन्द्रपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह कर रहित बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है । इससे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राहत की सांस ले रहा है । जहां पर हमारे इस बजट में गांवों पर 70 फीसदी खर्च करने की घोषणा की गयी है, निश्चित तौर पर वह खर्च होगी । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि हमारे औरैया विधान सभा क्षेत्र

में औरैया नगर की जो सड़कें पिछली बार जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, तब औरैया की सड़कों के लिए और विकास के लिए 4 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था, परन्तु सरकार चली जाने की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से हमारे नगर का कोई विकास नहीं किया गया। इसी तरह से हमारे सेंगर नदी का ब्योरा का पुल का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, उस पर भी काम रोक दिया गया था और वह आज तक अधूरा पड़ा है।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इन पुराने कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराया जाय। मान्यवर, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने समाज के सभी कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया है, यहां तक कि इस प्रदेश के भेड़ पालकों पर कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने उन बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। इसके लिए सम्पूर्ण भेड़पालक समाज उनको बधाई देता है। हमारे क्षेत्र में उभरसाना, बढ़ादाना, रुहेरी, सोंदेमऊ, चपौली, रुरैआ बबीना आदि ग्रामों में जल स्तर एकदम नीचा हो गया है, जिससे वहां पर पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन गांवों में पीने के पानी के लिए हैंड पम्पों की व्यवस्था कराने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवदानी–

मान्यवर, आज पहली बार मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मैं इस बजट सत्र को मैं पहली बार देख रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किये हैं और बहुत ही अच्छी घोषणायें की हैं। मान्यवर, दुख इस बात का है कि इन्होंने एक नारा दिया है कि गरीबों को रोजगार दिया जायेगा और कोई नंगा और भूखा नहीं रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह घोषणा तो कर दी है, लेकिन किस प्रकार से वह इन घोषणाओं को पूरा करेंगे, उनके लिये न तो कोई कुटीर उद्योग धन्धे हैं और न कोई अन्य चीज है और न ही अनुसूचित जातियों के लिए कोई रोजगार देने की बात कही गयी है और न उसके लिये कोई प्रावधान ही रखा गया है। केवल नारा देने से काम चलने वाला नहीं है और न इससे लोगों की भूख दूर हो जायेगी। हम यह तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की बात कही गयी है और कहा गया है कि गांव-गांव में और शहर-शहर में सामाजिक परिवर्तन की लहर आई है वास्तव में देखा जाये तो यह बहुत ही सही नारा है। जबसे सपा और बसपा की सरकार बनी है, यह किसी से छिपा नहीं है, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से जानने को मिला है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रयास किस प्रकार से किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक परिवर्तन का प्रयास जिस प्रकार से किया जा रहा है वह बहुत ही घृणित कार्य है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं हमारे चायल विधान सभा क्षेत्र में द्वाला में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया है, जिससे किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो सके । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में केवल एक नहर है, जिससे केवल 20 प्रतिशत खेतों की सिंचाई हो पाती है और उसमें भी समय-समय पर पानी नहीं आता है । छाता रजबहा में पानी नहीं आता है, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि छाता रजबहा में तत्काल पानी दिया जाये, जिससे वहां पर सिंचाई का कार्य हो सके और किसानों की जो फसल सूख रही है वह सूखने से बच जाये ।

मान्यवर, अब मैं ऊर्जा के बारे में कहना चाहता हूं । ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां पर दलित बस्ती हो, वहां पर बिजली उपलब्ध हो । दलित बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और दलित बस्तियों में विद्युतीकरण करने की घोषणा करें ।

मान्यवर, जहां तक मेरे क्षेत्र में सड़कों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर केवल दो सड़कें हैं, उसके बाद से मेरे क्षेत्र में कोई सड़क नहीं स्वीकृत की गई है और बजट सत्र में भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । मान्यवर, इसी के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधायें नहीं हैं । जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर न तो मरीजों को दवायें मिल पाती हैं और न वहां पर डाक्टर ही रहते हैं, इसलिये उनका होने या न होने से जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

अब नहीं । मैंने कह दिया है कि दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है । वह बोलने लगे हैं । अब आप समाप्त करें । जो आप बोलेंगे वह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

*श्री मुक्ति नाथ–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बजट महात्मा गांधी, डा0 राम मनोहर लोहिया, डा0 नरेन्द्र देव और डा0 भीमराव अम्बेदकर, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलने वाला बजट है । इस बजट में प्रभावी शासन और समाज की सुविधाओं से उपेक्षित दलित, कमजोर, पिछड़े लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है । अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से यह बजट बनाया गया है । यह पहली बार ऐसा बजट है जिसने गांव के विकास पर सर्वाधिक 70 प्रतिशत धन का प्राविधान किया है । इस उद्देश्य से ग्राम विकास पर परिव्यय की वृद्धि की गयी है वह 27 प्रतिशत और गांव में जो गरीब आदमी हैं उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं ।

आज तक जितनी भी सरकारें आई थीं प्राथमिक शिक्षा पर किसी ने ध्यान नहीं था लेकिन इस सरकार का यह पहला बजट है जिसे डा0 राम मनोहर लोहिया की नीतियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा पर 42 प्रतिशत परिव्यय की वृद्धि किया है । मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट ऐसा संतुलित बजट है जिसमें समाज के हर क्षेत्र और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है और हर तरह से गांव के विकास पर ध्यान दिया गया है। सड़क, पुल, ऊर्जा, सिंचाई के साधन अथवा उद्योग इन सारी बातों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह स्वर्गीय उग्रसेन, स्वर्गीय चन्द्रबली, स्वर्गीय राम जी सहाय और राजेन्द्र गुप्त जी की वह कर्मभूमि रही है । उस क्षेत्र में पटेल कमीशन को जब पूर्वांचल के पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए भेजा गया था तो उस क्षेत्र को पटेल कमीशन ने उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र की सूची में दर्ज किया था और उस कमीशन ने रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए जो संस्तुतियां की थीं हमारी पिछली सरकारों ने उस पर कोई अमल नहीं किया । मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो पटेल कमीशन की संस्तुतियां हैं उस पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र पर सरकार की तरफ से विशेष ध्यान देने की प्रार्थना करता हूं प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र रूद्रपुर देवरिया पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने तहसील भवन के शिलान्यास के समय कुछ घोषणाएं की थीं उसमें से कुछ घोषणाएं तो समय से पहले पूरी हो गयी थीं लेकिन बहुत सी घोषणाएं अभी कार्यान्वित नहीं हुई हैं । काराकोल में डा0 राम मनोहर लोहिया सेतु, नरायनपुर में स्वर्गीय चन्द्र बली सेतु की घोषणाएं उनके द्वारा की गयी थी लेकिन वह पुल अभी तक नहीं निर्मित हुए हैं जब कि उसका सर्वे आदि हो गया था इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुगर फैक्ट्री की स्थापना की भी घोषणा की थी । मान्यवर, देवरिया जिला गन्ना उत्पादन में सबसे प्रमुख क्षेत्र है और सबसे ज्यादा गन्ना देवरिया जिला में ही पैदा होता है वहां जो भी शुगर फैक्ट्रियां हैं वह जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, वहां पर शुगर फैक्ट्री की स्थापना के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए । रूद्रपुर और पकरी बाजार से सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन लाइसेंस नहीं प्राप्त हुआ और न ही शुगर फैक्ट्री की स्थापना की गई है इसलिए वहां पर शुगर फैक्ट्री की स्थापना की जाय ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसरा बाजार में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना के आदेश दिये थे लेकिन पिछली सरकार में सामन्तवादी व्यवस्था के पोषक लोग आ गये थे और उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । अतः मैं कहना चाहता हूं कि आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और उसरा बाजार में पुनः बजट प्रदान करके आश्रम पद्धति विद्यालय खोला जाय ।

मान्यवर, पिछली सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी के समय में हमारे यहां 3 कन्या विद्यालय पगड़ी, रूद्रपुर, पितही के लिये 20-20 हजार रु0 का प्रावधान हुआ था लेकिन, उसके बाद उसमें कुछ नहीं हो पाया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुक्तिनाथ–

मान्यवर, मेरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां सड़क पुल का अभाव है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

*श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, मैं जनपद हमीरपुर से 225–महोबा विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं । मेरे क्षेत्र में मान्यवर, पेयजल की समस्या बहुत ही गम्भीर है, उसके संबंध में 3-4 बार कह चुका हूं, हमारे यहां लोग तालाब का पानी पीते हैं, तालाब का पानी भी अच्छा नहीं है । विद्युत समस्या भी हमारे यहां विद्यमान है । 25 एम0वी0ए0 का ट्रांसफारमर वहां चाहिये, जबकि साढ़े सात एम0वी0ए0 का ही है । जो 16 घंटे बिजली की बात है, केवल 6 घंटे-7 घंटे ही बिजली वहां आ पाती है । मान्यवर, वहां कुटीर उद्योग बीमार पड़ गये हैं । जबकि पत्थर यहां पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, परन्तु रोड नहीं है । सड़कों के निर्माण के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा । मान्यवर, दो मंत्री हमारे बगल के जनपद से इस शासन में लिए गये हैं जनता को उम्मीद थी कि विकास होगा लेकिन अब जनता हताश हो रही है । मान्यवर, इन मंत्रियों के जनपद से लगा हुआ महोबा पड़ता है जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, किसी जिले में इतनी गरीबी नहीं होगी, जितनी कि हमारी तहसील में गरीबी है ।

मान्यवर, हमारे यहां कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल लग सकते हैं, प्राइवेट लोगों के ट्यूबवेल हैं । जनपद हमीरपुर हमारे यहां से 180 किमी0 दूर पड़ता है, न्याय पाने के लिये हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, महोबा को जिला बनाया जाय । हमारे यहां गल्ला मंडी नहीं है, वहां दलाल सक्रिय हैं, सही रेट से किसानों को पैसा नहीं मिलता है और किसानों से 2 रु0 सैकड़ा की दर से दलाली ले ली जाती है, मैं चाहूंगा कि आप सम्बन्धित विभाग के सचिव को निर्देशित करें कि वहां दलाली समाप्त हो । सेठों की हिम्मत नहीं है कि व्यापारियों और किसानों से पैसा ले लें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है, व्यापारी हूं इस नाते, सबसे पहले खाद्य तथा रसद, जो पृष्ठ–33 पर लिखा हुआ है कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यानों के संचरण को प्रतिबन्धमुक्त कर दिया गया है इसमें एक लाभ हुआ है कि संचरण पहले से बढ़ा है जबकि धान तथा चावल पर लेवी लगायी जाती है और लेवी का रेट फिक्स है और दूसरी तरफ यह संचरण मुक्त होगा तो मेरा यह निवेदन है कि जो खाद्य तथा रसद में दिया गया है उसके लिए लेवी समाप्त की जाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिससे राइस मिल अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकें । दूसरा जो 3/7 का प्रश्न है, 3/7 के बारे में प्रशासनिक आदेश जो सरकार ने जारी किये हैं इसके ऊपर शीघ्र से शीघ्र आर्डिनेन्स जारी करके इसे विधिक रूप में ले आएं जिससे व्यापारियों को सुविधा मिल सके ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, जहां तक मण्डी शुल्क का प्रश्न उठाया गया था उसमें स्थिति अब यह हो गयी है कि जब मण्डी शुल्क की घोषणा की गयी थी तो 68 आईटम्स पर टैक्स लगाने की बात आयी थी मगर अब सवा दो सौ आईटम्स जोड़ दिये गये हैं । पहले यह मण्डी शुल्क था मगर अब यह इसे टैक्स के रूप में लेते जा रहे हैं । उदाहरण के लिए खोया कृषि उत्पाद नहीं हो सकता तो सरकार इसे शुल्क के रूप में न लेकर इन्डायरेक्ट रूप से टैक्स के रूप में ले रही है । यह उन्हीं चीजों पर लागू किया जाये जो कृषि उत्पाद की श्रेणी में आते हों । मान्यवर, मैं बरेली महानगर से चुनकर आया हूं । बरेली महानगर की जो सबसे प्रमुख समस्या है वह समस्या पेयजल की है । पिछले 10-12 सालों से वहां कोई भी नये पानी के स्रोत सृजित नहीं किए गए हैं । मान्यवर, वहां पर 17 पानी की टंकियां हैं । शासन द्वारा जो निर्धारित जल की मात्रा है वह 250 लीटर प्रति व्यक्ति है मगर वहां पर सवा सौ या डेढ़ सौ लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिल रहा है, जो वहां पर हैण्ड पाइप लगे हुए हैं, उसमें जमीन के अन्दर सौ-सौ फीट तक पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि वह पानी पीने योग्य नहीं रह गया है और इससे वहां पर महामारी के फैलने का खतरा है । शासन इसके ऊपर चिन्ता करे और जो प्रदूषण हो रहा है साफ पिट ढह गये हैं, इससे फर्स्ट स्टेज में पानी पीने योग्य नहीं रह गया है । मान्यवर, वहां पर बिजली की भी बड़ी समस्या है, बिजली वाले बिजली नहीं दे पा रहे हैं । जो जल आपूर्ति करते हैं वह कहते हैं कि फेस नहीं आ रहा है जब बिजली नहीं आयेगी तो लोगों को पानी कैसे मिलेगा तो यह जो समस्या आज बरेली के अन्दर पैदा हो गयी है पेयजल की इसे समाप्त किया जाये । बरेली की एक और प्रमुख समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आज बरेली में एक जिला अस्पताल है मगर वह दो भागों में बंटा है । अगर किसी को एमरजेन्सी में आपरेशन कराना पड़े तो उसे जाने में दिक्कत होती है । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वहां पर या तो सड़क के ऊपर या नीचे उसके मार्ग का निर्माण कराया जाये । मान्यवर, जो निर्बल आय वर्ग के मकान हैं, जो 100 स्क्वायर मीटर के नक्शे हैं उनको पास कराने की अनुमति देने पर उनसे कोई शुल्क न लिया जाये ।

मान्यवर, आज बरेली में विकास शुल्क के रूप में 290 रुपया स्क्वायर मीटर बी0डी0ए0 चार्ज कर रहा है यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है कृपया इसको तुरन्त वापस कराने के आदेश पारित करें । मान्यवर, बरेली की जनसंख्या बहुत अधिक हो गयी है इसलिए वहां चांपला क्रासिंग पर एक ओवरब्रिज बनवाया जाय साथ ही एक डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था कराई जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया साथ ही यह भी निवेदन करता हूं कि खाद्यान्न के संबंध में जो बिन्दु मैंने उठाये हैं, उन पर ध्यान दिया जाय ।

श्री इश्तियाक अन्सारी–

मान्यवर, आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । महोदय, यह बजट जो पेश किया गया है, यह गरीबों, अल्प संख्यकों, पिछड़े वर्गों का बजट है । इस बजट से हमारे सारे गरीबों को लाभ पहुंचेगा । मैं माननीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह बजट उन्होंने गरीबों के लिये पेश किया है ।

मान्यवर, इस बजट में हमारे क्षेत्र जहूराबाद के विकास के लिये कुछ नहीं कहा गया है । मैं अपने क्षेत्र जहूराबाद को इस बजट से जुड़वाना चाहता हूं । मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और आजादी के 47 साल बाद भी यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है । मेरा क्षेत्र 40 किमी0 चौड़ा और 90 किमी0 लम्बा है, लेकिन इसमें एक भी सड़क पक्की नहीं बनी है । हमारे क्षेत्र के बीचों-बीच एक सड़क, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो सब तरफ से ग्रामों से जुड़ी है, वह सड़क भी आज तक अधूरी पड़ी हुई है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है, मैं आपके माध्यम से इस सड़क को बनवाना चाहता हूं ।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र दो नदियों से घिरा हुआ है और इन दो नदियों में ऐसे महत्वपूर्ण पुल हैं, जिन पर लाखों लोग आना-जाना करते हैं, वहां लोग नावों से इस पार से उस पार जाते हैं । पिछली सरकार के समय इन दोनों पुलों के लिये पैसा स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक दोनों पुल अधूरे पड़े हुये हैं । इसमें से एक पुल बहादुरगंज में टौंस नदी पर है और दूसरा पुल नसतपुर में भैंसही नदी पर है । इन पुलों के न बनने से हजारों लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती है तथा बरसात के दिनों में बहुत लोग डूबकर मर जाते हैं इन पुलों को मैं आपके माध्यम से सरकार से बनवाना चाहता हूं । मान्यवर मेरे क्षेत्र की एक अन्य समस्या पेयजल की है । मान्यवर, यह जो दस लाख कूप की योजना कही जाती है और हरिजन (चमार) को जमीन में कुंआ खोदने के लिये कहा जाता है, उनके पास जमीन नहीं है । पीने के पानी का अभाव है, इसलिये सारे गांवों में कुंआं न खुदवाकर सारे स्थानों पर हैण्डपम्प लगा दिये जायें, तो बहुत अच्छा होगा । मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में हर गांव में 5-5 या 10-10 हैण्ड पाइप लगा दिये जायें, जिससे पीने के पानी की समस्या खत्म हो सके । मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को अच्छे बजट के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, इस बजट में हम तो सोचते थे कि माननीय मुलायम सिंह जी जो कहते हैं, वह करेंगे भी । लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य इसको पढ़कर हुआ है । इस बजट में जिस तरह से उत्तरांचल की उपेक्षा की गयी है, उससे मुझे बड़ा कष्ट है । मान्यवर, यह सारा क्षेत्र ऐसा है, जहां के सैनिक इस देश की रक्षा करते हैं, यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति से लेकर हिमालय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है ऐसे क्षेत्र की उपेक्षा पूरे प्रदेश पूरे देश की उपेक्षा है ।

मान्यवर, इस बजट में उत्तरांचल की जितनी उपेक्षा की गयी है, इससे पहले कभी इतनी उपेक्षा उत्तरांचल की नहीं हुयी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तरांचल का नाम

बदलकर उत्तराखण्ड कर दिया और उत्तराखण्ड प्रदेश के निर्माण की घोषणा की है, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। उत्तराखंड के जो बोर्ड्स बन गये थे उन्हें मिटाने व जो स्टेशनरी छप चुकी थी उससे करोड़ों रुपए खर्च हो गये सिर्फ यही कार्य इन्होंने किया इससे अधिक कुछ नहीं। मान्यवर, राज्य बनाने की तो ये क्या कल्पना करेंगे, कम से कम इतना तो करा देते कि जो निर्णय भाजपा ने लिये थे, उन्हें तो कार्यान्वित करा देते। भाजपा ने 31 विभागों में द्वितीय श्रेणी तक हिल कैडर का शासनादेश किया, पर्वतीय क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण होती शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिये अपर शिक्षा निदेशालय की गैरसैंण में स्थापना करने, मण्डलीय सभी अधिकारी जो अपने मुख्यालय में नहीं रहते हैं, उन्हें पौड़ी तथा अल्मोड़ा में तत्काल बैठने के शासनादेश निर्गत करने के साथ-साथ पौड़ी शीतला संत पर्यटन स्थल का विकास करने के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। लेकिन वर्तमान सरकार का नकारापन ही कहा जायगा कि इन कार्यों में से एक को भी गंभीरता से नहीं लिया। शिक्षा की कितनी दुर्गति है कि यहां पर दो-दो वर्षों से विज्ञान गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए प्रवक्ता/अध्यापक तक नहीं हैं। हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, केदारखाल, बाड़ा, फरसाड़ी गंरोली में एक भी अध्यापक नहीं है। इस देश के बारे में क्या धारणा थी:—

"स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरन्, पृथिव्याः सर्व मानवाः।"

तक्षशिला, नालन्दा जैसे जहां विश्वविद्यालय थे, जहां सारी दुनियां के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते थे किन्तु वर्तमान सरकार ने शिक्षा का गलाघोंट दिया, नकल अध्यादेश तक को समाप्त कर दिया है। यह सरकार यह भी कह सकती है कि नकल के लिए अब छूट है, अध्यापकों की आवश्यकता नहीं। मेरे क्षेत्र में केदारखाल, बाड़ा, धरसाड़ी, गंरोली ऐसे इण्टर कालेज, हाईस्कूल हैं, जहां दो वर्षों से एक भी अध्यापक नहीं है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां से एक साथ पांच-पांच अध्यापकों को स्थानान्तरित कर दिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और विभाग की नादिरशाही का प्रभाव है। इस बजट में शिक्षा को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया, अपर शिक्षा निदेशालय गैरसैंड़ के भवन निर्माण एवं पदों के सृजन तक की व्यवस्था नहीं की गयी। अध्यापकों की हिल कैडर के अन्तर्गत तत्काल नियुक्ति की जाय एवं शिक्षा निदेशक को गैरसैंड़ में बैठाया जाना चाहिए। मान्यवर, पूरा पहाड़ उद्योग शून्य है, सिमली के औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक कोई उद्योग स्थापित न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से परथी, थलीसैंण, गैरसैंण, वीरोंखाल में भी उद्योग स्थापित किये जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल में फूलों की घाटी सिन्दवेश्वर जैसे इतने रमणीक स्थल हैं कि यहां और न जाने कितने स्विटजरलैण्ड खड़े हो सकते हैं।

पिछले 15—15 वर्षों से सड़कों का निर्माण रुका पड़ा है। बैजरो, उफरखाल, बूंगीधार, बहुवावान, पैठानी, नारीसैंण, मियालीसैंण, थलीसैंण—थलीसैंण-बूंगीधार—दचौट मोटर मार्ग रिखणीखाल—वीरोंखाल, केदारगली छोण्ड—थलीसैंण, खिसू—मुसागली—दमदेवल मोटर मार्ग जो वर्षों-वर्षों से रुके पड़े हैं। धन अधिनियम की तत्काल सभी शर्तों की पूर्ति करके धन आवंटन करते हुए छः माह के अन्दर-अन्दर उन्हें पूरा किया जाय सिमली—शीलेश्वर, बैजरो—जोगीमढ़ी, सरांईखेत एवं रौतोली, असोसी मोटर मार्गों

का निर्माण किया जाय । मान्यवर, विद्युत की घोर अनियमितता है । पौड़ी में चौथान व चमोली में धापूर पट्टी को तत्काल विद्युतीकृत किया जाय । मान्यवर, भरसार एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है जिसकी आज दुर्गति हो रही है । इस पर विशेष योजना बनाकर यहां माली प्रशिक्षण केन्द्र व राष्ट्रीय शीतोष्ण अनुसंधान केन्द्र स्थापित हो । मान्यवर, स्वास्थ्य की भी दुर्दशा है । मेरे क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों की तत्काल स्थापना की जाय । मैं तो समझता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी जो कहते हैं वे करते होंगे, लेकिन कथनी-करनी में बहुत अन्तर है । मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि–

इनकी–"कथनी करनी एक ही होती,
काश पूर्ण यदि ये होते,
सभी प्रेरणा लेते इनसे,
हृदय हजारों न रोते ।"

मान्यवर, पेयजल की इतनी गंभीर स्थिति है कि एक-एक बूंद पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं । वीरोखाल में भासौं, चौरखिण्डा सहित अनेक गांव पोखड़ा में ड्वीला, रोरोली सहित अनेक गांव नौगांव, न्याणगढ़ सहित ऐसे अनेक गांव हैं जहां से लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गये हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सरकार को कर्ण प्रयाग विधान सभा की समस्त अपूर्ण सड़कें पूर्ण कराने, पेयजल की समस्या का समाधान कराने, चाकीसैंण, गैरसैंण में डिग्री कालेज खोलने, चांदपुर गढ़ी व चाकीसैंण पृथक विकास खण्डों की स्थापना करने तथा इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना कराने तथा बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने संबंधी निर्देश देने का कष्ट करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर फिर बल देता हूं ।

श्री अछैबर भारती–

मान्यवर, जो यह बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, इस बजट के माध्यम से जो सरकार ने विकास के लिए और मल्लाहों के लिए किया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है । मान्यवर, मल्लाह जाति एक संकुचित जाति रही है उनका उत्थान करने के लिए सरकार ने उन्हें पट्टे सीधे देने की बात कही है । मान्यवर, मल्लाहों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था वह जहां भी जाता था उसकी कोई भी सुनता तक नहीं था, नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक कोई नहीं सुनता था, कानूनी अड़चनें आती थीं, जिलाधिकारी, एस0डी0एम0 के यहां और तहसील में मारे-मारे फिरते थे, लेकिन इस सरकार ने उनके उत्थान के लिए किया, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं।

मान्यवर, कुम्हारों को मिट्टी की परेशानी होती थी, उन्हें मिट्टी दूर-दूर से लानी पड़ती थी, उनके पास खेत नहीं थे, अगर कहीं से मिट्टी ले ली तो उनको डण्डे पड़ते थे । अब इस सरकार ने कुम्हारों को मिट्टी उपलब्ध होने की व्यवस्था कर दी है, अब उन्हें कहीं दूसरी जगह मिट्टी लेने नहीं जाना पड़ेगा । सरकार ने उन्हें पट्टे दिये हैं वह अपनी जमीन से मिट्टी खोदकर अपना व्यवसाय करेंगे ।

यह अभाव दूर हो गया है । इसी तरह से गरीबों, शोषितों व पीड़ितों के हित के लिए तमाम कार्य किये जा रहे हैं, जिससे उन्हें आज यह महसूस होने लगा है कि हमारे लिए भी सरकार है और हमें न्याय मिल सकता है । लोगों में एक विश्वास जगा है । आज पहली बार कोई सरकार हमारे बारे में सीधे-सीधे सोचने लगी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जो यह बजट रखा गया है, उसमें सरकार ने 70% ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय करने का प्राविधान रखा है लेकिन उत्तराखण्ड की इसमें उपेक्षा की गई है । इस बजट में पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे जिले, तहसील व ब्लाकों की स्थापना की बात नहीं कही गयी है । इससे सरकार का उत्तराखंड राज्य बनाने का जो संकल्प है वह खोखला साबित होता है । पर्वतीय क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या है और इस सरकार ने पेयजल को प्रथम प्राथमिकता दी है, लेकिन वर्ष 1994-95 में केवल 92 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित करने की बात कही है, इससे इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है ।

मान्यवर, पर्यटन के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि चकराता एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । लखवाड़-व्यासी जैसी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना के लिए धन आवंटित नहीं किया गया है । कृपया इस परियोजना पर यथोचित धनराशि आवंटित की जाय । सड़कों, विद्युत आपूर्ति व स्कूल के भवनों की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए उत्तराखण्ड में इन सभी चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । विद्यालयों में अध्यापकों की अनुपस्थिति से शिक्षा के स्तर में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय ।

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाय और इसके लिए और अधिक धन आवंटित किया जाय । इसी के साथ ही आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बनवारी लाल दोहरे–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, कन्नौज में जहां इत्र का काम होता है, जो एक कुटीर उद्योग भी है, इस इत्र्स पर 12 परसेन्ट टैक्स लिया जाता है इसकी वजह से व्यापारी दूसरे प्रान्तों में जाकर अपने कार्यालय बनाये हुए हैं, जहां पर केवल 8 परसेन्ट टैक्स पड़ता है । वहीं पर वह बिल काटते हैं, जिससे हमारे प्रदेश का करोड़ों रुपया दूसरे प्रांतों में चला जाता है । दूसरे प्रान्तों में जो 8 परसेन्ट लिया जाता है उसी हिसाब से यहां पर भी लिया जाय । कन्नौज में अगरबत्ती का काम बहुत होता है परन्तु उसके रा-मटीरियल पर 10 परसेन्ट टैक्स लिया जाता है और उसके ऊपर सरचार्ज लिया जाता जाता है । जो खादी ग्रामोद्योग से रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उनको टैक्स नहीं पड़ता है । इसलिए मेरी मांग है कि एक ही व्यवस्था की जाय ताकि अगरबत्ती बनाने वालों को राहत मिल सके । मान्यवर, कुम्हारों के लिए इस सरकार ने घोषणा की कि बर्तन

बनाने के लिए मिट्टी उपलब्ध कराने के लिये पट्टे पर भूमि दी जायेगी लेकिन यह केवल घोषणा है हमारे यहां कन्नौज में एक जगह पर बैठे हुए हैं जो पहले मिट्टी मिलती थी वह भी बन्द हो गई है । पहले बड़ा ताल से मिट्टी उठा लेते थे लेकिन जब से सरकार ने यह घोषणा की यह प्राविधान की बात आई तो वहां से भी उनको मिट्टी नहीं उठाने दी जा रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कुम्हारों को मिट्टी उठाने की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाय ।

(समय 3 बजकर 15 मिनट)

मेरा क्षेत्र गंगा काली नदी के बीच का डडवारी क्षेत्र है । काली नदी में तहसीपुर गांव के पास संयुगिता मार्ग पर पुल बनना था इसके बन जाने से 44 कि0मी0 पक्की रोड पर आने जाने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी । पिछली सरकार ने 23 नवम्बर को घोषणा कर दी थी कि यहां पर पुल बन जायेगा लेकिन इस बजट में इसका प्राविधान नहीं किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अनुसूचित जातियों की बड़ी दुहाई देती है, उनकी बड़ी हिमायती यह सरकार बनती है लेकिन जब से सपा, बसपा सरकार बनी है तबसे उनके ऊपर ही ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं । बदमाश सपा, बसपा नेताओं के साथ बैठकर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित करते हैं । कोरी-कोरी बात करने से काम नहीं बनेगा अपने मुंह मियां मिट्ठू जो वह बनते हैं इससे यह नाज आयें ।

मेरे क्षेत्र में ट्यूबवेल से ही सिंचाई होती है वही एक मात्र सिंचाई के साधन हैं लेकिन अधिकतर ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं मैं चाहता हूं कि उनको ठीक कराकर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

हमारे यहां बी0 पी0 मार्ग तिरवा मुरय्या से जगपुरा सरैया और बी0 पी0 मार्ग गांव कुवां से मलिकापुर रोड पिछली सरकार जो भाजपा की सरकार थी, ने स्वीकृत की थी मेरी मांग है कि उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाय ।

श्री पूर्णमासी दंहाती–

मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है यह प्रदेश के चहुंमुखी विकास का बजट है । इस बजट में हर चीज का प्राविधान किया गया है । इससे पूरे प्रदेश का एक साथ विकास होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सामने बैठे हुए साथियों को बताना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कहा है वह करके दिखा दिया है । मान्यवर, अभी हमारे साथी माननीय जिपी तिवारी जी कह रहे थे कि रामचन्द्र जी ने अयोध्या छोड़ दी है और सिद्धार्थनगर चले गए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि रामचन्द्र ज्यादा दिन कहीं नहीं रहते हैं वह सिद्धार्थनगर भी छोड़ देंगे ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है वह करके दिखा दिया है, मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह पहला अवसर है कि

गन्ना किसानों को अब पर्ची बंधक नहीं रखनी पड़ रही है । यह एक सराहनीय कदम है । इसके पहले हमारे साथी जो सरकार में थे उस समय गन्ना किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ । मैं राम कोला की याद दिलाना चाहता हूं राम कोला में क्या हुआ ? उस समय माननीय मुलायम सिंह सहित हमें भी गिरफ्तार किया गया, बिना वजह गिरफ्तार किया गया था । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हालांकि यह थोड़ा सा विषय से हट कर है लेकिन आवश्यक है । माननीय मुलायम सिंह जी जब इनकी सरकार ने गन्ना किसानों पर गोली चलाई थी वहां गए थे वह जो दृश्य था वह याद करें सैकड़ों किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और आप रामकोला नहीं गए माननीय मुलायम सिंह जी गए । मैं मांग करता हूं कि रामकोला के जिन किसानों पर बिना वजह से मुकदमा चलाया जा रहा है उसे वापस लिया जाना चाहिए ।

जहां तक विकास की बात है जब से यह सरकार आई है पूरे प्रदेश के लोग गांव के किसान और मजदूर राहत की सांस ले रहे हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं उस गति को बनाए रखना होगा और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया जिला नेपाल और बिहार से सटा हुआ है यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है । जहां विद्युत की बहुत कमी है, विद्युत की आपूर्ति की जाय । वहां जो पुलों की कमी है उसको पूरा किया जाय । छितौनी में रेलवे पुल बन रहा है जिसे बी0 जे0 पी0 सरकार ने उस पुल के लिए पैसा कम कर दिया था मैं मांग करता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय । इसके साथ ही साथ सड़कों के काम में ढिलाई आ गयी थी उसको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन दिया जाय ताकि काम पूरा हो सके ।

(इस समय 3 बजकर 19 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बी0 आर0 वर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथी जो सामने बैठे हैं उन्होंने अपने जमाने में क्या किया यह लोग बीच में बवंडर किए हैं जिससे विकास की गति रुक गई और फिर यह गड़बड़ करेंगे इसलिए इन पर नजर रखी जाय और सतर्क रहने की जरूरत है । मान्यवर, आपने मुझे सामान्य चर्चा पर भाग लेने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रामजीत भारद्वाज--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह की सरकार दलितों, गरीबों, उपेक्षितों और किसानों के उत्थान के लिए यह बजट लायी है जिसको देखने से आभास होता है कि आजादी के 46 वर्ष बाद इस तरह का बजट पेश किया गया है जिसके लिए मैं सरकार का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी

की लड़ाई में, 1942 के आन्दोलन में धानापुर के लोगों ने धानापुर के थाना को फूंक दिया था और चिरन्जू कुमार हंसते हुए फांसी के फन्दे पर झूल गया था लेकिन पीछे नहीं हटा था । इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसके गांव चिरना में शहीद स्मारक और मेन रोड मेहरगंज से चिरना शहीद स्मारक तक सम्पर्क का मार्ग सरकार बनवाने का काम करे ।

मान्यवर, हमारे यहां की दूसरी समस्या है कि अगहर नाले पर एक पुल बनवाने के लिए श्री अमर सिंह ने शिलान्यास करवाया था लेकिन यह केवल वोट लेने के लिए किया था, इसलिए वहां अभी तक पुल नहीं बनाया जा सका है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वहां पुल बनाया जाए जिससे वहां के लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र की तीसरी समस्या यह है कि तीन साल पहले चंदौली तहसील को विभाजन करके दो तहसीलें बनाई गई थी जिसमें दूसरी तहसील का नाम सकलडिहा है लेकिन सकलडिहा तहसील के नाम पर अभी तक चंदौली तहसील पर काम हो रहा है जिससे वहां की जनता में काफी आक्रोश बना हुआ है । अतः सरकार से मांग है कि सकलडिहा तहसील कार्यालय तत्काल बनवाकर वहां कार्य शुरू किया जाये ।

मान्यवर, जनपद वाराणसी, क्षेत्र धानापुर से मैं पहली बार विधायक चुनकर यहां आया हूं और मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूं जिसके नाते तीन महीने में आज मुझे पहली बार यहां बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, हर तरफ भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की बात की जाती है लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं करना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए । जबसे यह सरकार आई है तब से हमारे मुख्य मंत्री जी श्री मुलायम सिंह यादव जी के हृदय में दलितों, शोषितों, गरीबों और किसानों के प्रति दर्द पैदा हुआ है और उनके कल्याण के लिए यह बजट प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं प्रस्तुत बजट का बार-बार पुरजोर समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री स्वयंवर चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत प्रयास के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । अभी जो भाई उधर से बोल रहे थे, वह इसे ग्राममुखी कह रहे थे । इस देश में डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, बढ़ गये हैं, उसके बाद बिजली की महंगाई और बिजली पर निर्भरता ग्रामीण अंचलों में कितनी बढ़ रही है, उसकी ओर इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है । पहले जो ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रावधान था, उसको छोड़कर यह बजट प्रस्तुत किया गया है । इसको देखने से ही पता चल जायगा कि यह बजट कैसा है । अभी माननीय सदस्य जिप्पी तिवारी द्वारा हमारे सिद्धार्थनगर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था वहां की बाढ़ की स्थिति को लेकर । हमारी पूरा इटावा विधान सभा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है । वहां पर 88 प्रतिशत गांव बाढ़ग्रस्त हैं, उन बाढ़ग्रस्त ग्रामों को बाढ़ की भीषण समस्या से छुटकारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिलाने के लिए इस बजट में कोई प्रयास नहीं किया गया है । इस साल की बाढ़ में करीब 500 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह घिर गये थे, उन गांवों के पीड़ित किसानों को कोई भी गृह अनुदान नहीं दिया गया है । इसके अलावा गृह अनुदान देने के लिए जो तरीका है, जो मानक बनाया गया है, वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण और दोषयुक्त है, जो मिलता है उससे तो दो चार बांस भी नहीं खरीदे जा सकते हैं, घर बनाना तो बहुत दूर की बात है ।

हमारा सिद्धार्थनगर नया जिला है, वहां पर कोई सड़क नहीं है, जिससे हमारे यहां से जिला मुख्यालय पर पहुंचा जा सके । उस दिशा में इस बजट में कोई काम शुरू करने की बात नहीं कही गई है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहां हुड़लापुर का घाट बनाया जाए, जिससे इटवा के लोग सीधे जिला मुख्यालय पर पहुंच जाएं और उनके समय और कष्ट की बचत हो सके । हमारे क्षेत्र में कोई डिग्री कालेज और महिला अस्पताल भी नहीं है । एक बात और कहना चाहूंगा, जो उधर बैठे हैं उनके बारे में वैसे तो हम जो चुनाव जीतकर आए हैं पिछड़ों और दलितों के वोट से जीतकर आए हैं और उस तरफ बैठे लोग यदि दलितों और पिछड़ों के वोटों से जीतकर आए हों, जैसा वह कहते हैं तो वह उनके हित और कल्याण के कार्य करें । यदि वह ऐसी बात करें, तो हम उनका समर्थन करेंगे । जो निर्बल वर्ग आवास योजना बनी थी, उसमें किसानों के 32-32 सौ रुपये कर दिये गये हैं और उसके स्वरूप गरीब और हरिजन लोग आज पकड़-पकड़ कर जेलों में बन्द किये जा रहे हैं ।

इस बजट में प्राविधान किया गया होता कि किसानों के कर्ज माफ कर दिए जायेंगे वह ऐलान कर दिया जाए तो मैं इसका समर्थन करने के लिए तैयार हूं । यह केवल गाली देकर और उन्हें बहलाकर उनके वोट लेना चाहते हैं, उनके हित का काम करना नहीं जानते हैं और न चाहते हैं । फिर भी उनके नाम पर इस बजट को पास करवाना चाहते हैं । इसके साथ मैं आपका आभारी हूं और मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, वर्ष 94-95 के आय-व्ययक पर इस साधारण चर्चा पर जो विचार प्रस्तुत करने का अवसर मुझे प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हुए हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं । मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश की जनता की सपा–बसपा के गठबन्धन वाली सरकार से बहुत बड़ी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और महत्वकांक्षाएं थीं कि इस बार का जो बजट प्रस्तुत होगा वह किसानों, श्रमिकों, शोषितों और दलितों के और उपभोक्ताओं के हित में होगा । लेकिन जो बजट प्रस्तुत हुआ है वह बहुत ही घोर निराशाजनक है, अस्थिरतापूर्ण है तथा असन्तुलित है जिसके कारण इस प्रदेश की सम्पूर्ण जनता विस्मित है, दुखी है यदि यह कहा जाय कि यह बजट केन्द्रीय सरकार, कांग्रेस के दबाव में तैयार किया गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की केन्द्र सरकार गुलाम है और उसी के इशारे से यह बजट तैयार किया गया है ।

मान्यवर, अगर यह कहा जाय कि प्रस्तुत बजट में शोषणवाद की दुर्गन्ध आ रही है अथवा वोटों की सौदागीरी करने के लिये आंकड़ों की जादूगरी का सहारा लिया गया

है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी । मान्यवर, अपने को मिनी लोहिया कहलवाने के लिए आतुर आज माननीय नेता सदन मुलायम सिंह यादव किस तरीके से समाजवाद ला रहे हैं, इसकी स्पष्ट झलक प्रस्तुत बजट के सिंहावलोकन से प्रतीत हो रही है । जहां एक ओर फूलनदेवी जैसी महा अपराधिनी को उन्मुक्त किया जा रहा है । आतंकवादी गतिविधियों के अन्तर्गत टाडाधारियों को मुक्त किया जा रहा है । आई0एस0आई0 से संबंधित लोगों को टाडा से मुक्त किया जा रहा है । गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर और धारा–3/7 को समाप्त किया जा रहा है । फूलनदेवी जैसे दुर्दान्त अपराधियों, गुन्डों, बलात्कारियों को मुक्त किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर इनसे ग्रसित जनता, गरीब, निर्बल महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए इस बजट में व्यवस्था नहीं की गई है । इतना ही नहीं आतंकवाद से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें जनपद पीलीभीत प्रमुख रूप से है, वहां पर विकास के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है । जिस तरह से उत्तरांचल और बुन्देलखण्ड के लिए व्यवस्था की गई है, इस क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, इसी तरह से कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कहना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव जैसे घातक और गुलामी के प्रतीक प्रस्तावों को जो केन्द्र सरकार स्वीकृति देने जा रही है उसके विरोध में भी इस बजट के अन्दर कुछ नहीं कहा गया है । पिछली सरकार ने किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की थी उसको और सक्रिय एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह रोजगार परक से मीलों दूर है । रोजगार से संबंधित कोई योजना इस बजट में नहीं है । महिलाओं के विकास की बात की जा रही है । महिला डेरी परियोजना, मिनी डेरी परियोजना जो प्रदेश में चल रही थी उन्हें शिथिल कर दिया गया है । पीलीभीत में तो इसे समाप्त कर दिया गया है । इन परियोजनाओं से निश्चित रूप से रोजगार की प्राप्तियां और उपलब्धियां हो सकती थीं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनपद पीलीभीत आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र है। 16 घन्टे बिजली देने की बात कही जा रही है । इस संबंध में मेरा कहना है कि इस क्षेत्र में पिछली सरकार ने निरन्तर बिजली उपलब्ध कराई थी वहां पर अब भी निरन्तर बिजली दी जानी चाहिए । वहां पर सड़कें और पुल बनाये जाने चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट की आलोचना करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा बिहारी लाल जी का नाम पुकारे जाने पर)

## सदन में कोरम के अभाव की सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सदन में कोरम नहीं है और बजट पर सामान्य चर्चा हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं सामान्य चर्चा चल रही है यदि आप उसकी तरफ इंगित न करावें तो ठीक रहेगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, कोरम नहीं है । इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

बिहारी लाल जी अभी आप बैठ जाएं । कोरम के लिए घंटी बजाई जाए ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई)

(गणपूर्ति होने पर)

## वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, मैं बिहारी लाल आर्य जनपद झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं ।

मान्यवर, आपने मुझे वर्तमान बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं । मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1994–95 का बजट प्रस्तुत किया है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 70 फीसदी धन खर्च करने का प्राविधान रखा है । जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सम्भव हो सकेगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बुन्देलखण्ड के विकास की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, बड़े खेद की बात है कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बुन्देलखंड विकास निधि का इस बजट में मात्र 12 करोड़ रुपए का ही प्राविधान किया गया है । इससे पूर्व पिछले वर्ष भी बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बुन्देलखण्ड विकास निधि को 12 करोड़ रुपया दिया गया था । हमारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यहां अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र है । यहां बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, पेयजल की समस्या, शिक्षा एवं सिंचाई की जटिल समस्याएं हैं । उक्त जटिल समस्याओं से निपटने के लिए बुन्देलखण्ड विकास निधि को कम से कम 20 करोड़ रुपया दिया जाए जिससे बुन्देलखण्ड का विकास सम्भव हो सके । मान्यवर, अपने क्षेत्र मऊरानीपुर की ओर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे मऊरानीपुर क्षेत्र में प्रमुख समस्या विद्युत की है । हमारा क्षेत्र बुनकर बाहुल्य औद्योगिक क्षेत्र है । यहां यहां पर हथकरघा एवं पावरलूम पर बुनकर कपड़ा तैयार करते हैं । जो रानीपुर टेरीकाट के नाम से सारे देश में विख्यात है, परन्तु विद्युत आपूर्ति नियमित न होने की वजह से यहां के सारे उद्योग धन्धे बन्द होते जा रहे हैं । मान्यवर, यहां पर मऊरानीपुर में जो 66 के0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन बना है जिस पर क्षमता

से अधिक भार हो जाने के कारण बिजली की आपूर्ति पूरी तरह नियमित नहीं होती है नए पावर कनेक्शन लेने पर बैन लगा हुआ है, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 66 के0 वी0 ए0 के स्थान पर 132 के0 वी0 ए0 का विद्युत सब स्टेशन शीघ्र ही यहां पर स्थापित किया जाए जिससे बिजली की समस्या हल हो सके । इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है, उनको लिखित ज्ञापन दिया है, परन्तु इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । अतः जनहित में 132 के0 वी0 ए0 क्षमता वाले विद्युत सब स्टेशन का अति शीघ्र निर्माण कराया जाए ।

दूसरी समस्या यहां पर शिक्षा की है । मऊरानीपुर विकास खण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अतः ग्राम रेवन व ग्राम चुरारा में अतिशीघ्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं जिससे वहां पर शिक्षा में सुधार हो सके तथा कस्बा रानीपुर में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना अतिशीघ्र की जाए तथा जो श्री महावीर जैन उ0 मा0 विद्यालय है उसे इण्टर कालेज की मान्यता दी जाए । तीसरी समस्या हमारे यहां सिंचाई की है हमारे क्षेत्र की समस्त भूमि असिंचित है । यहां पर मात्र 3 राजकीय नलकूप हैं जिससे किसानों की फसलों में पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करूंगा कि यहां पर कम से कम 20 राजकीय नलकूप लगाए जाएं जिससे सिंचाई की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके तथा टाउन एरिया टोड़ी फतेहपुर में पथराई नदी पर निर्माणाधीन अधूरे पुल के लिए उचित धनराशि देकर अतिशीघ्र पूरा कराया जाय, ताकि क्षेत्रवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो चुका है आप बैठ जाएं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री बिहारी लाल आर्य–

हमारे क्षेत्र में मिर्जापुर–झांसी राष्ट्रीय राज मार्ग पर धसान नदी के दंचेरी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाए जिससे खजुराहो जाने के लिए सुविधा हो । खजुराहो एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है । यहां पर हजारों विदेशी पर्यटक आते रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

यह पुल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़ता है जबकि झांसी में दिनांक 22-2-94 को आयोजित पर्यटक विकास गोष्ठी में उ0 प्र0 एवं म0 प्र0 के मुख्य मंत्रियों द्वारा उक्त पुल बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है, पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

जयहिन्द, जय भारत ।

श्री स्वामी नाथ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । इस प्रदेश की यह पहली सरकार है जिसने अपने बजट में 70 फीसदी हिस्सा गांव के उन लोगों को दिया है, जो पूरे हिन्दुस्तान की आबादी का 85 फीसदी हैं । हिन्दुस्तान की आबादी की 85 फीसदी जनता गांवों में रहती है । यह हिन्दुस्तान गांवों का देश है । इस देश को इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए यह पहली सरकार है जिसने 70 फीसदी ग्रामीण अंचलों के किसानों से लेकर, बुनकरों से लेकर, आदिवासियों से लेकर उन सारे इलाकों के लिए बजट में प्रावधान किया है । माननीय सदस्य जो हमारे सामने बैठे हैं वह कहते हैं कि इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहे हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो उस समय आपने क्या काम किया ? जितने विकास के काम थे उनको बन्द करवा दिया ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपका एक नारा था सबको देखा बार-बार–हमको देखो एक बार । आपको एक बार सत्ता में आने का मौका मिला हमारे जिले में सलेमपुर में एक पुल बन रहा था । माननीय मुलायम सिंह ने उसके लिए धन स्वीकृत किया था परन्तु जब आपकी सरकार आयी तो उस पुल का निर्माण रोक दिया गया । वह पुल गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और देवरिया को जोड़ने वाला पुल था । आपकी सरकार ने उस पुल का काम बन्द किया और वहां पर जो सामान था वह उठाकर दूसरी जगह ले गए । अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी वहां पर बैठे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था मैं कहना चाहता हूं कि "हमारी बज्म और उस बज्म में बस फर्क इतना है यहां चराग वहां खून जलाया जाता है" । यह लोग ऐसे हैं :–

"साहिल के तमाशाई अफसोस तो करते हैं पर,
डूबने वाले की इमदाद नहीं करते" ।

मान्यवर, यह लोग केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं । माननीय मुलायम सिंह लौह पुरुष हैं, धरती पुत्र हैं वह जनता के दुख दर्द को समझते हैं माननीय मुलायम सिंह की सरकार में विकास का काम तेजी से हो रहा है । मान्यवर, इसी के साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया है । इसमें से अधिकांश हरिजनों के गांव हैं उनके टोलों का विद्युतीकरण न होने से वह अंधकार में रहते हैं ।

इसी तरह से गैर क्षेत्र में सड़कों की बहुत जरूरत है । तुर्तीपार से तकिया, धरहरा नडुआ से बरहज, दिघड़ा से सुहनार, बेलाड़ बेरिया से कठिनइया देवरिया मार्ग, हदेवा से बरौना मार्ग, सतराव से बरखी व सतराव से दाहिनी मार्गों के निर्माण कराए जाने की बड़ी आवश्यकता है । मान्यवर, इसी तरह से सलेमपुर में आई0टी0आई0 का शिलान्यास माननीय अम्बिका जी, श्रम मंत्री ने किया था उसका निर्माण कराया जाय । चनकीपुर में एक पुल का शिलान्यास माननीय राम शरण दास जी ने सारदानंद अंचल की मंजूरी में किया था उस पुल का निर्माण कराए जाने की बड़ी जरूरत है । इन

शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ । यह जो बजट पेश किया गया है यह अपने आप में ऐतिहासिक बजट है । यह बजट किसानों, व्यापारियों, आम जनता का बजट है, माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने इस बजट के जरिए समाज के हर वर्ग को राहत देने जा रहे हैं । आपने समय दिया मान्यवर, उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । जय भारत ।

*श्री बशीर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट की आम चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे एक मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । इस मौके पर मैं माननीय मुलायम सिंह जी, नेता कांग्रेस, व उनके दल के लोगों, नेता जनता दल व उनके साथियों और सभी सम्मानित साथियों को ईद की मुबारकबाद देना जरूरी समझता हूँ । अध्यक्ष महोदय, हम उस क्षेत्र के लोग हैं जिसको बुन्देलखण्ड के नाम से जाना जाता है । वहां पर खून सस्ता है और पानी महंगा है । जब जरूरत पड़ती है तो बुन्देलखण्ड के लोगों से खून और जवान लिए जाते हैं लेकिन जब बजट बंटता है तो बुन्देलखण्ड की कोई बात नहीं होती है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की जाती है । बुन्देलखण्ड को केवल 12 करोड़ रुपया दिया गया है और पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तरांचल को 45 करोड़ रुपया दिया गया है । जो प्रदेश को बांटने की बात करते हैं उनको ज्यादा बजट मिलता है । "नुकतये प्रकार हक मर्द खुदा का यकीन और ये आलम तमाम वहमुत्तसमू मजाज" । मेरे दोस्त माननीय मुलायम सिंह के बारे में एक-एक बच्चा जानता है । एक शेर और सुना दूं । "वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अकवा मेरे करे खून का दावा किस पर ।" आज मान्यवर, बजट का महत्वपूर्ण मुद्दा है ।

हमारे क्षेत्र मांदहा में बिजली की बहुत कमी है । जनता शासन के जमाने में 132 के0वी0ए0 का विद्युत गृह स्वीकृत हो गया था, जमीन एक्वायर हो गयी थी, तार द्वारा उसे घेर दिया गया था, उसको हटा कर भरुआ सुमेरपुर में स्थापित कर दिया गया । मैं आपसे और समय चाहूंगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मान्यवर, हमारा क्षेत्र बहुत उपेक्षित है और आपकी नीति है कि उपेक्षित क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है । हमारे जनपद में 4 विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज है, लेकिन मांदहा ऐसा क्षेत्र है, जहां पर डिग्री कालेज नहीं है । वहां पर एक डिग्री कालेज खोला जाय और वहां पर एक प्राविधिक शिक्षा, आई0टी0आई0 कालेज खोला जाय । मान्यवर, हम आपसे चाहते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग का एक यूनानी चिकित्सालय है 15 संख्या का, लेकिन वहां पर भवन नहीं है, वहां पर भवन बनवाया जाय । वहां पर कन्या इण्टर कालेज के लिए भवन नहीं है उसके लिये भवन बनवाया जाय ।

मान्यवर, जो मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारा उपेक्षित क्षेत्र है, वहां पर किस तरह से खून सस्ता है, और पानी मंहगा है, अल्प सिंचाई विभाग द्वारा निजी नलकूप लगाने में 50 हजार रुपये की सब्सीडी है, उसे बढ़ा कर 10 लाख रुपया कूप खोदना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का 50 हजार जोड़ कर 1 लाख रुपये की सब्सीडी कर दी जाय । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात एक शेर के साथ समाप्त करता हूं । "आदमियत और सहे, अक्ल है कुछ और चीज, लाख तोते को पढ़ाया, पर वह है वही रहा ।" खुदा हाफिज । जय भीम ।

श्री मन्नू लाल कुरील–

मान्यवर, सामान्य बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस समय स्थिति यह है कि जो बजट पेश किया गया है, वह दो रंगी बजट है । "दिल की हालत की तरफ किसकी नजर जाती है, गरीबों की उम्र तमन्ना में गुजर जाती है, न आंसू अलग है, न आहें अलग है, हम गरीबों के लिए क्या निगाहें अलग है" मान्यवर, इस बजट में कहीं किसी प्रकार का गरीबों के लिए प्राविधान नहीं है । अखबारों के माध्यम से, समाचार-पत्रों के माध्यम से विकास की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है । उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि आज जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमिहीन है और उसको कहीं पर पट्टा नहीं दिया गया है और यदि कहीं पर दिया गया है, तो किसी काश्तकार ने यदि उन पर मुकदमा दायर कर दिया, तो वह गरीब घर विहीन हो जाता है ।

सरकार ने ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया है कि अनुसूचित जाति के उपरोक्त मुकदमें अपने पैसे से लड़े । मान्यवर, इस बजट पर कोई प्राविधान नहीं किया गया है । जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं जीत कर आया हूं, बांदा जिले की मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र से मैं जीतकर आया हूं, जो अति पिछड़ा है । मान्यवर, 1973 में पाठा पेयजल योजना स्थापित की गयी थी जो एशिया की सबसे बड़ी योजना है । वह आज पंगु पड़ी है । जब भाजपा की सरकार थी, मा0 मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी थे, तब उन्होंने 155 करोड़ रु0 पाठा पेयजल योजना को सुदृढ़ करने के लिए दिया था, उसे अधिकारियों ने मात्र 65 लाख रु0 व्यय किया, शेष धनराशि गवर्नर रूल के समय में शेष धनराशि वेतन में दे दी गयी । जिस समस्या के समाधान के लिए रुपया दिया गया था, उसमें उसको खर्च नहीं किया गया है और मान्यवर, गरमी आने वाली है और पानी के लिये वहां का आदमी तरस जायेगा । वहां के आदमी को पानी के लिए दो-दो किलोमीटर तक जाना पड़ता है । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पाठा पेयजल योजना को सुदृढ़ बनाया जाये और बजट उसको अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जाये । मेरे विधान सभा क्षेत्र के राम नगर, मऊ और मानिकपुर ब्लाक सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहां के लिए कोई विशेष पेयजल योजना चलायी जाये ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में राजापुर गांव है, जो तुलसी दास जी की जन्मस्थली है, वहां पर जमुना नदी पर एक पुल के बनाये जाने की बहुत ही आवश्यकता है । मेरा आपसे माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां पर एक पुल बनवाया जाये, जिससे वहां के

निवासियों को आवागमन की सुविधा हो सके । मान्यवर, मानिकपुर ब्लाक में कोई डिग्री कालेज नहीं है, इसलिये वहां पर एक डिग्री कालेज की स्थापना की जाये और मऊ में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की जाये और इसके साथ ही साथ 30 शैय्या का एक अस्पताल खोला जाये ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं सड़कों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, मानिकपुर से धारकुण्डी तक मानिकपुर से रानीपुर तक और मऊ से राजापुर तक की सड़कों का निर्माण कराया जाये, जिससे वहां के लोगों को आवागमन की सुविधा हो सके और जो यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उसे आगे आने का अवसर मिल सके । अब मैं एक शेर कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं–

"इस जमाने की बेइंसाफियां किससे कहूं हम दर्द ।
चमन वालों को दीदारे चमन नहीं मिलता ।
किसी के पैरों के तले बिछने हैं गलीचे ।
और किसी को बाद मरने के कफन तक नहीं मिलता ।"

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मुझे आपने इस बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो बजट इस सरकार ने रखा है, वह 215.65 करोड़ रुपये के घाटे का रखा है । मान्यवर, यह पहली सरकार है जो कथनी और करनी में अंतर करती है । यह बात इस पुस्तिका (बजट भाषण) से ही स्पष्ट है । इन्होंने बताया है कि वार्षिक योजना 1994-95 के लिए 4762 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है और यह 1993-94 के परिव्यय से 512 करोड़ रुपये अधिक है या 12 प्रतिशत अधिक है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में गीडा योजना है । इसके लिये 2.3 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि स्थिति यह है कि ग्रोथ सेंटर के लिए 20 करोड़ रुपया है, लेकिन वह नहीं मिला है । वर्तमान सरकार को 20 करोड़ रुपया उस योजना को देना चाहिये, लेकिन नहीं दिया है केवल 2.3 करोड़ रुपये दिये गये हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल 8 ग्रोथ सेन्टर हैं, सभी को सब्सीडी दी जा रही है, लेकिन केवल गोरखपुर को नहीं दी जा रही है । इसके पूर्ण होने पर गोरखपुर का जो विकास होगा हो साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा । इसके पूर्ण होने पर कानपुर का मारकेट फीका पड़ जायेगा ।

इसके साथ ही साथ बुद्ध परिपथ जो गोरखपुर से बिहार से लगा नेपाल को जाता है उसकी योजना जापान की मदद के आधार पर बनी है । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे । मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी एक सर्किट हाउस के लिए 50 लाख रुपये और एक रामगढ़ ताल परियोजना के लिये 50 लाख रुपए की घोषणा करके आये थे । उस पूरे बुद्ध परिपथ पर जापान की सरकार स्वयं अपना पैसा दे रही है लेकिन हमारी यह सरकार है कि पैसा नहीं ले पा रही है । पचास-पचास

लाख की घोषणा करके आये जबकि आज की स्थिति में 2 करोड़ रुपये मात्र उस सर्किट हाउस पर पिछला बकाया है । 50 लाख रुपये में कौन सा निर्माण होगा, बकाया तो दिया जा सकता है किन्तु निर्माण की बात नहीं की जा सकती है । इसी तरह से शिक्षा के संदर्भ में अभी एक हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि 42 प्रतिशत बढ़ाया गया है शिक्षा के बजट में । मैं बताना चाहता हूं कि सबको समान शिक्षा के लिये यह जो योजना है विश्व बैंक परियोजना के आधार पर बनी है, 10 जिलों की बनी है । 130 करोड़ रुपये उसको भी उसमें जोड़कर फिर बजट को बनाया गया है और यह कहा जा रहा है कि हमने बढ़ा दिया है । यदि उस 10 जिलों को छोड़ दिया जाय तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी स्थान नहीं है जहां 10 प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करा पायेंगे । इस तरह से बजट रखा गया है और कहा गया है कि शिक्षा के बजट को 42 प्रतिशत बढ़ाया गया है । अगर उस पूरे पैसे को निकाल दिया जाय तो पता लग जायेगा ।

यह सरकार मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों की मसीहा मानी जाती है । धुरियापाल में एक चीनी मिल है वहां के एक माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, सरकार ने उस चीनी मिल को एक भी नये पैसे का प्राविधान इस बजट में नहीं किया है जब कि वह कोआपरेटिव सेक्टर की मिल है । अगर यह बन जाती तो निश्चित रूप से गन्ने का जो उत्पादक किसान है वह उससे लाभान्वित होता । विकास प्राधिकरण शहर से संबंधित है इसलिए मैं इस पर दो बातें और कहना चाहता हूं । विकास प्राधिकरण इस समय सबसे बड़ा शोषणकर्ता हो गया है । शहर में रहने वाले लोगों के लिए डेवेलपमेन्ट चार्ज लगाया जाता है । परिणाम क्या होता है कि एक-एक नक्शा पास कराने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपये देना पड़ता है तब कहीं जाकर नक्शा पास हो पाता है । पिछली बार हमारी सरकार ने 100 वर्ग मीटर की जमीन को नक्शा मुक्त कर दिया था लेकिन हमारे प्रमोद तिवारी जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति शासन में उसका दूसरा रूप ही बदल गया । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें । उसकी मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रमोद तिवारी जी का कोई दोष है लेकिन अधिकारियों के कारण यह हुआ है ।

हम सभी लोग सदन में आये हुए हैं और हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र में रहने वालों का भला करें । इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक बात और गोरखपुर मेडिकल कालेज के बारे में कहना चाहता हूं । बाबा राघवदास मेडिकल कालेज है उसमें कम से कम 300-400 लोग प्रतिवर्ष ब्रेन हैम्ब्रेज के शिकार होते हैं । पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में सिटी स्केनकी स्वीकृति दी गयी थी लेकिन वह पैसा आज तक नहीं पहुंचा है । परिणाम यह है कि जैसे का तैसा वह पड़ा हुआ है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो आवश्यकता है वहां पर स्क्रीनिंग मशीन की तत्काल व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार में कुम्हारों को मिट्टी का पट्टा दिया जा रहा है, कुम्हार खेत की मिट्टी से बर्तन नहीं, बनाते, तालाब की मिट्टी से बर्तन बनाते हैं यह जो खेतों के प्रति भ्रम दिखाकर कार्य कर रहे हैं, इस भ्रम पैदा करने वाली सरकार द्वारा रख गये बजट का मैं विरोध करता हूं ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जो हमारे विरोध पक्ष के मित्र प्रलाप कर रहे थे, वह मेरे यूनिवर्सिटी के साथी हैं । गरीबों के इतने काम होने के बावजूद इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तब फिर इसका दूसरा इलाज क्या हो सकता है ? भारतीय जनता पार्टी तो अपना बजट पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया था । माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा यह विकासोन्मुख बजट लाकर, जिसका 70फीसदी गांवों के गरीबों, दलितों, चाहे वे जिस भी बिरादरी के हों, उनकी भलाई के लिये, उनके विकास के लिये है । इसके बावजूद पता नहीं क्या सवार है, मान्यवर, बलात्कार, काला बच्चा और साम्प्रदायिकता के अलावा कोई दूसरा विषय इनके पास है ही नहीं । प्रदेश के जो करोड़ों दलित हैं, उनकी तरफ अभी तक इनकी नजर नहीं जा रही है । मान्यवर, आजादी के इतने दिनों के बाद पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव जो बजट लाए हैं, जो गरीब और दलित के हित में है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं । मैं डा0 लोहिया को मानने वाला हूं ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें, टोका-टाकी न करें ।

श्री राम करन आर्य–

जाति और धर्म में हमारा यकीन नहीं है, उसमें यकीन करने वाले हमारे विरोध में बैठे हैं, इनके उस यकीन के बारे में हमें कुछ कहना नहीं है । इन्होंने बजट में क्या काम किया था ? मात्र अयोध्या में मस्जिद गिराकर पूरे देश में साम्प्रदायिकता पैदा करने का काम किया है, कहते हैं घाटे में जा रही है । मान्यवर, कितनी मूर्खता पूर्ण बात है । या तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, नहीं तो यह लोग खुद महामूर्ख हैं । जब अयोध्या में दंगा होगा तो बसें टूटेंगी, क्षतिग्रस्त होंगी और जब क्षतिग्रस्त होंगी तो घाटा होगा ही ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, इनके लिये भी कोई समय निर्धारित रहेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री राम करन आर्य–

[ x x x ]

पूरे प्रदेश में जो दंगों में घाटे का कारण है, जिन्होंने यह स्थिति पैदा की है। भारतीय जनता पार्टी ही इसके लिये जिम्मेदार है (व्यवधान) मान्यवर, ब्राह्मण के बेटे को भी भूख सताती है, दलित के बेटे को भूख सताती है भूख सर्वदर्शी है इसलिए भूख के सवाल पर गरीबी के सवाल पर हमें समाज बनाना चाहिए। हम चौखम्भा राज्य की कल्पना करते हैं। डा0 लोहिया ने चौखम्भा राज्य की कल्पना थी। डा0 अम्बेडकर देश में जाति विहीन राज्य की कल्पना करते थे। बजट का 70फीसदी गांवों के लिये मोड़कर गांव के गरीब ब्राम्हण, दलित, ठाकुर, हरिजन, मुस्लिम, दलित गिरिजन के ऊपर खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, जहां तक दलित उत्थान का सवाल है तो पहली बार इस जनप्रिय सरकार ने एक करोड़ 32 लाख 43 हजार रुपये अतिरिक्त डा0 अम्बेदकर गांव पर खर्च करने का बजट में प्राविधान किया है।

आज ये लोग कहते हैं कि इस बजट में मोदी को क्यों नहीं फायदा दिया गया इन्होंने पूरे प्रदेश को मोदी को सौंप दिया था, हम क्यों सौंप दें क्योंकि आज गरीब लोगों ने, गरीब सवर्णों ने, दलितों ने, मुसलमान व पिछड़ों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, कांशी राम जी के नाम से वोट दिया है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि गरीबों के पक्ष में हम बजट का अधिकांश भाग खर्च करें ताकि उनका उत्थान हो।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज गांव की सड़क का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, भाषा का सवाल है। देश में पहली बार डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भाषा का सवाल उठाया था उन्होंने हिन्दी को बड़ी बहन और उर्दू को छोटी बहन कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर छोटी बहन नाराज हो जाए तो बड़ी बहन का यह फर्ज बनता है कि उसको मनाये। लेकिन ये सौतेली मां को पसन्द करेंगे, अंग्रेजी को पसन्द करेंगे। इनके नेता संसद में अंग्रेजी बोलेंगे इससे ज्यादा भारतीय भाषाओं का क्या अपमान हो सकता है। इस देश में भाषा नीति पर जो खर्च किया जा रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सारी की सारी परीक्षाएं हिन्दी में, तेलगू में, तमिल में हों, अंग्रेजी में कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, संस्कृत के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि आज जो संस्कृत विद्यालय चलाए जा रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपया लिया जा रहा है मगर संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ायी जा रही है। अगर वह ठीक से पढ़ायी जाती तो कितना अच्छा होता हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होता मगर सब कागज पर फर्जी चलाए जा रहे हैं इसका हमें दुख है।

[समय 4 बजकर 15 मिनट]

श्री अध्यक्षः–

अब आप समाप्त करें।

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, आज पूर्वान्चल में 48 करोड़ रुपया, बुन्देलखण्ड में 12 करोड़ रुपया और पहाड़ी इलाकों में भी काफी पैसा आ गया है । यह बजट एक संतुलित समृद्ध और गरीबों के हित के लिए है । एक बात और मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । माननीय तिवारी जी हमारे मित्र हैं । आप जानते हैं कि बस्ती एक पिछड़ा हुआ जिला है । वह घाघरा के कटान के कारण तबाह हो जाता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे इलाके में घाघरा नदी के किनारे किसानों व उनके बच्चों के भविष्य के लिए घाघरा में बांध बनवाए वहां स्कूल खुलवाएं । तब कहीं जाकर इस क्षेत्र में गरीबों व किसानों का भविष्य उज्ज्वल होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम करन आर्य–

यह जो जनप्रिय, गरीब के हितों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा जो बजट लाया गया है जिसके समर्थन में हमारे साथियों ने बात रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ला–

मान्यवर, जो मां की बात कही गयी । मां तो कहीं नजर नहीं आती पीठ से लेकर यहां तक केवल विरहणी याद आती है ।

श्री फौजदार प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट में बोलने का अवसर दिया । अभी तमाम विपक्ष और पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे । मैं बजट का समर्थन करते हुए अपने विचारों को रख रहा हूं । मान्यवर, इस बजट में जो दलित, शोषित और पीड़ित समाज के लोग जो हजारों-हजार साल से तिरस्कृत थे, ऊंची जातियों द्वारा, आज भी हैं । इस बजट में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सामाजिक परिवर्तन की बात करके उनको समानता देने का काम किया है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है । इस समय जो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत पूरे देश में हर काम करा रहे हैं, साम्प्रदायिक लोग ही आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ।

मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व के छठे विद्वान माने जाते हैं । भारतीय संविधान के निर्माता, जिनके बनाए संविधान पर इस देश का सारा कारोबार चलता है, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ में एक विश्व-विद्यालय का शिलान्यास स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने किया था, पिछली सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए कोई धन की व्यवस्था नहीं की गयी थी लेकिन हमारी सरकार द्वारा इस बजट में इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए धन की व्यवस्था की गयी है, इसलिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूं ।

दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 18 हजार अंशकालिक नलकूप चालकों की संख्या है, उनकी नियमित नियुक्ति की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि जिससे उनको भी अच्छी जिन्दगी जीने का मौका मिल सके। मान्यवर, इसी तरह इस प्रदेश में 30,612 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां काम करती हैं, उन लोगों को भी इस महंगाई को देखते हुए, मानदेय की बढ़ोत्तरी के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, उसमें कोई बढ़ोत्तरी पिछली सरकार ने नहीं की है, लेकिन मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए इस महंगाई को देखते हुए, छात्रवृत्ति में वृद्धि करने की मांग करता हूं जिससे इन छात्रों को पढ़ने लिखने की सुविधाओं में लाभ पहुंच सके।

मान्यवर, जो बजट हमारी सरकार ने पेश किया है, उसके अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि में दिए जाने वाले धन में बढ़ोत्तरी किए जाने का सुझाव देता हूं क्योंकि पूर्वान्चल बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए इस निधि को और बढ़ाया जाय तथा उससे विकास कार्य होने चाहिए। मान्यवर, इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री लाल कृष्ण गांधी–

मान्यवर, इस सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसके संबंध में दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा–

**"बाज कुछ ऐसे भी होते हैं जो सहलाए नहीं जाते,**
**बाज कुछ ऐसे भी होते हैं जो सहलाए नहीं जाते,**
**और राज कुछ ऐसे भी होते हैं जो बतलाए नहीं जाते।"**

मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री एक तरफ कलकत्ता के अन्दर जाकर भीख मांगते हैं कि व्यापारियों उत्तर प्रदेश में आकर उद्योग लगाओ। लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। हमारे सहारनपुर नगर के अन्दर एक आई0टी0सी0 मिल रहा है, यह मिल 125 लाख रुपये प्रतिदिन वर्तमान में एक्साइज देती है। कम्पनी इस मिल का विस्तार करना चाहती है और अब ढाई गुना यानि लगभग 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन एक्साइज देना होगा। तब 1600 ट्रक प्रतिदिन नगर में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके लिये कोई रिंग रोड नहीं है। इस समय सहारनपुर में हिमाचल प्रदेश, हरियाना, पंजाब से सैकड़ों बसें प्रतिदिन आती हैं। सहारनपुर इन सब जगहों का मुख्य द्वार है। पूरे सहरनपुर नगर में लगभग 8 बस अड्डे जगह-जगह पर हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि नगर के बाहर एक ट्रान्सपोर्ट नगर व बस अड्डा बनाया जाना चाहिये।

मान्यवर, सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है इसे कमिश्नरी बनाकर इस जिले में माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का निर्माण किया जाना चाहिये। इस नगर में विद्यालयों की अत्यन्त कमी है। मैं इस सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये विद्यालयों में दो पारियां

चलाकर तथा नये शिक्षकों की नियुक्ति कर इस समस्या का समाधान किया जाये । इससे एक तरफ रोजगार के साधन मिलेंगे और दूसरी तरफ जिन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता है, उनको प्रवेश में सुविधा होगी । मान्यवर, आज सहारनपुर आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है । पिछले दिनों में अनेक कांड हो चुके हैं, चारों तरफ दहशत है । एक बार चार लोग मारे गये, फिर दो लोग मारे गये, इसलिये सहारनपुर नगर में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये, साथ ही नये थानों का निर्माण होना चाहिये । वुडेन उद्योग के मामले में पूरे एशिया में सहारनपुर सबसे बड़ा जिला है । कपड़ा उद्योग के मामले में भी उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद सहारनपुर दूसरे नम्बर पर आता है ।

औद्योगिक दृष्टि से सहारनपुर को औद्योगिक नीति के तहत विशेष दर्जा दिया जाय, वहां पर बिजली व्यवस्था भी चरमरा रही है, इसके लिये वहां पर विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करायी जाय, जहां पर इसकी व्यवस्था नहीं हुयी है, विद्युतीकरण कराया जाय ताकि विद्युत मिलती रहे, ऐसे प्रयास होने चाहिये, इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्री सूरज सिंह शाक्य–

मान्यवर, आपने इस बजट की सामान्य चर्चा पर मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो यह लोकप्रिय सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, हकीकत में यह काम चलाऊ और साधारण बजट है । इस बजट में शोषित गरीब व पिछड़ी जाति के विकास हेतु कोई नई व्यवस्था या कोई नया बजट का प्राविधान नहीं किया है, इसे निराशाजनक ही कहा जायगा । स्थिति यह है कि इस सरकार ने अपने बजट के दौरान कहा है कि शोषितों, पिछड़ों और श्रमिकों के लिये बहुत अच्छा बजट है । मान्यवर, मेरे जनपद एटा में न्योली शुगर फैक्ट्री है । इसमें मालिकों ने गैर कानूनी ढंग से काम बन्दी कर दी है वहां पर श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है । पूंजीपतियों को यह सरकार बढ़ावा दे रही है और वही पूंजीपति वहां के श्रमिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जहां पर कार्य करने वाले श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है । जहां पर यह कहा जा रहा है कि गन्ना नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है ।

मान्यवर, किसानों का तीन करोड़ बीस लाख रुपये गन्ना के भुगतान का बकाया है, किसानों को धन नहीं दिया जा रहा है । जिन किसानों का गन्ने का भुगतान बकाया है उन्होंने गन्ना नहीं दिया तो वह बिजली का बहाना बनाते हैं कि समय से बिजली ही नहीं आती है, वहां पर बिजली उपलब्ध रहती है, पूंजीपतियों से यह सरकार मिली हुयी है । सरकार किसानों का शोषण कर रही है और वहां के श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, वहां पर उनकी कोई सुन नहीं रहा है । मान्यवर, इसके साथ ही यह लोकप्रिय सरकार किसानों के लिये बड़ा उत्साहजनक बजट बताती है । मान्यवर सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण जनता का विकास होता है । पिछली माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने दस हजार तक ऋण किसानों का माफ किया था । लेकिन इस बार

इस बजट में सहकारी संस्थाओं के लिए बजट में धन का कोई विशेष प्राविधान नहीं किया गया है, मान्यवर, सहकारी बैंकों की शेयरिंग कैपिटल समाप्त हो गयी है, किसानों को जो ऋण उपलब्ध होता है, उन्हें ठीक से आवंटित नहीं किया जाता है ।

मान्यवर, जो योजनायें थीं उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । इस सरकार ने अपने बजट में किसी भी तरीके का सहकारी संस्थाओं को कोई धन उपलब्ध नहीं कराया है । मान्यवर, इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है । मान्यवर, मेरा जनपद एटा जो बहुत ही पिछड़ा है वहां के लिए किसी भी तरह का बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । माननीय मुलायम सिंह जी भी जनपद एटा के निधौली कलां से चुनाव जीते थे लेकिन उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया । जनता के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है, वहां की सड़कें तक भी ठीक नहीं हैं । मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर डकैतियां पड़ रही हैं, सड़कें न होने के कारण अपराधी भाग जाते हैं, वहां की जनता परेशान हो रही है । पिछले माहों में दो डकैतियां पड़ी और धूमरी में डकैती व तीन मर्डर हुए । वसुन्धरा में 70 लाख की डकैती पड़ी इनकी रोकथाम के लिये वहां पर काम करने पड़ेंगे, डकैतियां, अपहरण वहां आम बात हो गयी है । मान्यवर, मेरा एक निवेदन और भी है कि पिछड़ों, दलितों और शोषितों की सरकार कहलाने वाली इस सरकार में दो ग्रामों के बीच में एक ग्राम है सहनोठ जो सढ़पुरा ब्लाक में पड़ता है वहां के एक स्कूल के भवन के लिये 90 (नब्बे) हजार रुपये स्वीकृत हुए थे और उसमें से रु0 40,000 हजार वहां पर लग भी चुका है लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसे रुकवा दिया, यह स्कूल दलितों और पिछड़ों के लिये ही था । इसे भी शीघ्र बनवाया जाय एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि सरकार विकास के क्षेत्र में केवल विकास के प्रयास कर रही है और हो कुछ नहीं रहा ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र ब्लाक सिढ़पुरा में बाल विकास परियोजना चल रही है, इन योजनाओं हेतु विदेशी धन का सहयोग भी प्राप्त है लेकिन वहां पर किसी गरीब को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है । आंगनबाड़ी केन्द्रों के सम्बन्ध में और वहां की अधिकारी द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं के संबंध में मैंने माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था और उन्हें अवगत भी कराया था, जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है, आंगनबाड़ी बन्द पड़े हैं, आज तक किसी भी तरह के आदेश नहीं हुये हैं, सरकार इस ओर ध्यान दे क्योंकि जो सामान और अनाज वगैरा गरीबों को मिलना चाहिए वह अधिकारी व कर्मचारी आपस में ही बांट लेते हैं, इससे वहां के गरीब इस सुविधा से वंचित हैं । इतनी बात कहकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन समस्याओं के निवारण हेतु मांग मैंने यहां पर रखी है उनको सुलझाने की यह सरकार कृपा करेगी ।

श्री राम देव वर्मा–

मान्यवर, आपने इस सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह देश किसानों का देश है । मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में अधिक किसान रहते हैं । हमारी सरकार ने गांवों के विकास के लिए बजट का 70 प्रतिशत आवंटन किया है, इससे साबित होता है कि यह सरकार गरीबों व मजलूमों की

सरकार है और उनका प्रतिनिधित्व करती है । शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाया है । हम ग्राम समाज में एक प्राइमरी विद्यालय, हर न्याय पंचायत में एक जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्राविधान किया गया है इस प्रकार 1994-95 में 1000 स्कूल बनाने का प्राविधान है ।

उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि पहले जो पी0एच0डी0 कर लेते थे तो उन्हें डिग्री कालेज में नियुक्ति मिल जाती थी । यू0जी0सी0 ने एक नेशनल एलीजिबिलिटी टेस्ट पास करने का प्रतिबन्ध लगा दिया और एम0 ए0 में 55 परसेंट मार्क्स का मापदण्ड निर्धारित कर दिया । यदि वह उक्त टेस्ट पास कर लेता है तो उसे हिन्दुस्तान के किसी भी डिग्री कालेज में नियुक्ति मिल सकती है । परन्तु पिछली बी0जे0पी0 की सरकार ने यू0जी0सी0 के मानदण्डों को इन्कार किया और एक प्रतिबन्ध और लगा दिया । बी0ए0 में 55 प्रतिशत व इण्टरमीडिएट में 50 प्रतिशत नम्बर कम से कम होने चाहिये, तभी उसे डिग्री कालेज में नियुक्ति मिल सकती है । इस प्रकार बी0जे0पी0 के शासनकाल में जो नियुक्तियां निकली थीं, उसमें ऐसे पिछड़ी जाति के छात्र व अनुसूचित जाति के छात्र जिनके बी0ए0 में 54 प्रतिशत व इण्टर में 49 प्रतिशत अंक थे, वह डिग्री कालेज में नियुक्ति से वंचित हो गये । जबकि उन्होंने नेशनल एलीजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया था व एम0ए0 में 55 प्रतिशत अंक अर्जित किये थे । इसलिये मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि यू0जी0सी0 द्वारा जो मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, उन्हें लागू किया जाय, जिससे पिछड़ी व अनुसूचित जाति के छात्रों को उत्तर प्रदेश में डिग्री कालेजों में नियुक्ति मिल सके । श्री राम नरेश यादव जी के पहले कांग्रेस शासनकाल में जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसे श्री राम नरेश जी ने इमप्लीमेन्ट किया था । उस समय पुलिस में 5 साल की उम्र में छूट दी जाती थी आरक्षित जातियों को लेकिन भाजपा की सरकार थी पुलिस में भर्ती निकली थी उसमें पुलिस सिपाही के लिये पिछड़ी जाति के लोगों के लिये 5 साल जो छूट थी उसे खतम कर दिया । अभी भी वह नियम लागू है । अभी जो पुलिस में सिपाहियों के लिए भर्ती निकली है उसमें 5 साल की छूट पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं दी गयी है, जबकि दरोगा के लिये, पी0सी0एस0 के लिये डी0एस0पी0 के लिए उम्र में 5 साल की छूट मिलती है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह छूट मिलनी चाहिए ।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह बहुत पिछड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम देव वर्मा–

जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तमाम योजनायें विकास के लिये चलाई थीं मुलायम सिंह जी ने हमारे यहां कसई नदी पर पुल का शिलान्यास भी किया था लेकिन भाजपा सरकार की ने उसे रोक दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम देव वर्मा–

अधूरे काम को पूरा किया जाय।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूं क्या माननीय प्रमोद तिवारी जी सत्ता पक्ष में शामिल हो गये हैं क्योंकि वह करीब डेढ़ घंटे से वहां पर बैठे हुये हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय कुछ लोगों की 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' और कुछ की समाप्ति हो जाती है । जब मैं आपके पास बैठा था आपके पेट में तकलीफ नहीं हुई। मैं दिन में तो दिखाई पड़ रहा हूं लेकिन इनको रात में भी दिखाई पड़ता हूं तो इनकी नजर को क्या कहूं?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जब यहां बैठे थे रिश्तेदारी के नाते बैठे थे और यहां हिस्सेदारी के नाते बैठे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

अधिष्ठाता महोदय, अक्सर माननीय सदस्य मेरे पास यहां आकर बैठ जाते हैं, यदि यहां बैठ जाने से इनका दर्द समाप्त हो जाता है, तो मैं सिफारिश कर दूंगा श्री राज बहादुर सिंह जी से कि वह उन्हें यहां बैठने दें ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, बजट के संबंध में मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । सरकार की तरफ से जो यह बजट पेश किया गया है यह अपने में ऐतिहासिक है । आज तक जितनी सरकारें प्रदेश में आई हैं उनमें किसी ने भी 70 प्रतिशत गांव में खर्च करने की बात बजट में नहीं कही है । प्रदेश की 14 करोड़ जनता के सामने जो सरकार ने जो बजट रखा है इसमें कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई ऐसा समुदाय और जाति नहीं बची है जिसके विकास के लिए इस बजट में चर्चा न की गई हो और उसके लिए प्रावधान न किया गया हो । चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसान हो, चाहे पत्रकार हो अर्थात् कहने का मतलब की समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके उत्थान की बात बजट में न कही गई हो ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ इस बजट में महात्मा गांधी के स्वराज के सपने को पूरा करने का वायदा किया गया है । मैं समझता हूं इस बजट से गांधी जी के स्वराज का सपना पूरा होगा । मान्यवर, यही नहीं इस बजट से बाबा भीम राव अम्बेडकर का सपना भी पूरा होगा । इस बजट से डा0 लोहिया के चौखम्भा राज्य की स्थापना होगी । साथ ही साथ इस बजट से आचार्य नरेन्द्र देव और जय प्रकाश जी का सपना भी पूरा होगा । मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी जो अब हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनका जो सपना था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से जाता है तो इस बजट में उनका भी सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है । इसलिए यह बजट सम्पूर्ण और ऐतिहासिक है क्योंकि चाहे उद्योग हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो और चाहे जो

विभाग हो इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो बजट में न हो । मान्यवर, पहली बार यह घाटे का बजट पेश करते हुए जनता पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है । इसलिए यह सम्पूर्ण बजट है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और और चाहता हूं बिना किसी संशोधन के इसे पास किया जाये । प्रस्तुत बजट की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बांकेश्वर त्यागी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता प्रति पक्ष द्वारा सामान्य बजट पर रखे हुए संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह बजट कम और घोषणा पत्र ज्यादा है चूंकि इसमें अनेक ऐसी घोषणाओं का उल्लेख किया गया है और जिनका संबंध बजट से नहीं है । मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने पहले जो घोषणाएं की थीं उन्हीं में से अनेक के बारे में मुख्य मंत्री जी ने अपने श्रीमुख से पुनः इन घोषणाओं को इस बजट में दोहराया है । मान्यवर, किसी बजट में कुछ धन को घटा देने या बढ़ा देने से प्रदेश की दिशा परिवर्तित नहीं हो जाती है बजट के अन्तिम पृष्ठ संख्या 46 में मान0 मुख्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा है । गांव-गांव में फैले सरकारी तंत्र के सदस्यों की कार्य कुशलता और कर्मठता पर योजनाओं की सफलता निर्भर करती है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं वह कौन सा मूलमंत्र है जिससे प्रेरणा पाकर गांव में फैले हुए सरकारी कर्मचारियों की भावना में बदलाव आ जायेगा और उनमें सेवा भाव की जागृति होगी कौन है वह महापुरुष जिसके आदर्श से प्रेरणा पाकर वह समाज की सेवा करेगा । मान्यवर, सरकार की अनेक योजनाएं चलती हैं लेकिन उनके बारे में आम जनता की सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो बन्दर-बांट की भावना है वह जब तक नहीं बदलेगी तब तक कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है ।

सरकार से जो पैसा गरीबों को और विधवाओं को पेंशन के रूप में मिलता है उसमें सरकारी कर्मचारियों के मन में तथा लाभार्थी के मन में भी यही भावना रहती है । "सरकार से तेल मिले तो पल्ला फैलाकर लें" । उसे लगता है मुफ्त में सरकार से मिल रहा है, इसलिए जो मिले ले लो । सरकारी कर्मचारी भी उसमें अपनी हिस्सेदारी इसी भावना से करते हैं । इस भाव को बदलने की आवश्यकता है । लाभार्थी के मन में जब तक यह भाव नहीं आएगा कि इस योजना का पूरा धन मेरा है, यह योजना हमारे हित में है, इस धन का कोई दुरुपयोग या अपव्यय नहीं होने देंगे, यानी इस प्रकार का कोई बन्दरबांट नहीं होने देंगे तब तक इन योजनाओं से आम जनता को लाभार्थियों को कोई लाभ पहुंचाने वाला नहीं है और न कोई उनका विकास होने वाला है । सब कागज पर ही रहेगा ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वक्ताओं ने कहा है कि विकास के लिए परिव्यय बढ़ गया है । श्री प्रमोद तिवारी जी को बधाई दे रहे हैं, 4762 सौ करोड़ रुपए का स्वीकार हुआ है । लेकिन हमें क्या मिलेगा । कमीशन में ही सारे का सारा चला जायेगा । यह कमीशन प्रदेश के विकास को खाए जा रहा है कुछ विभागों में यह कमीशन 35 परसेंट तक चला जाता है । ठेके के एक्सेप्टेंस पर कुछ स्थानों में 4% कमीशन का प्रचलन चल पड़ा है । उसमें आज बड़ा गोलमाल और भ्रष्टाचार व्याप्त है । जब तक

इस कमीशनबाजी को नहीं रोका जायेगा, तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा महंगाई नहीं रुकेगी, आबादी नहीं रुकेगी, कितना भी योजना का आकार बढ़ा लो सब बेकार है। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने कई योजनाएं घोषित की हैं, किन्तु क्या वास्तव में उनसे लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कुम्हारों के हित की बात अपने भाषण में कही है कि कुम्हारों को गांवों में मिट्टी के लिए पट्टे दिए जायेंगे और गमले आदि कुम्हारों से खरीदे जायेंगे। पट्टे की बात केवल ग्रामों तक ही सीमित है, सारे शहरों के रहने वाले कुम्हारों को एक इंच पट्टा नहीं मिलता है। शहर में पट्टा मिलने का कानून नहीं है। क्योंकि जिस जमींदारी एक्ट के अन्तर्गत पट्टा देने की बात होती है, शहरों में यह कानून लागू नहीं होता है शहरों के हजारों कुम्हार आज भी मिट्टी खरीदने को मजबूर हैं। इस बजट में दो वर्ष के अन्दर पूरे प्रदेश को पेयजल देने की बात कही गयी है, घोषणा की गयी है। मेरे क्षेत्र गाजियाबाद में आज वे डेढ़ लाख की आबादी को पानी दे सकते हैं। शहर की आबादी 7 लाख है एक मेरे प्रश्न के उत्तर में आया है कि 5 लाख से ऊपर की आबादी को पानी के लिए अनुदान भी दिया जाता है। यह सारी आबादी 7 लाख की आबादी को कैसे 2 वर्ष में पानी उपलब्ध करा देंगे इस घोषणा को लागू करने के लिए पूरी आबादी को पानी उपलब्ध करा देने के लिए इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है, यह किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। बुनकरों के लिए आवास युक्त कार्यशालाओं की बात कही गयी है। आज 12 लाख रुपए के कपड़े हमारे यहां के बुनकरों के पास तैयार पड़े हैं। वहां के एम0डी0 बदल गए हैं, जिससे बुनकरों का कपड़ा नहीं खरीदा जा रहा है। उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है बुनकरों को 20 रु0 का चश्मा मत दो, उसका तैयार माल खरीद लो, वह स्वयं चश्मे बनवा लेगा।

श्री अधिष्ठाता–

रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी ... (व्यवधान) ... मैंने मल्ल जी को बुला दिया है, माननीय तिवारी जी आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बालेश्वर त्यागी–

कहा गया है कि हम अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे देंगे, किन्तु आपके तहसीलदार और एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 आदि बैठते नहीं हैं, 122 बी के मुकदमों का निस्तारण नहीं हो रहा है। जब तक भू-माफियों से खाली नहीं होगी तो उनको यहां कहां से मिलेगा। (व्यवधान) उनको तभी जमीन मिलेगी, वरना आपकी सारी घोषणा हवाई बनकर रह जाएगी। मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश को दिशा देने वाला और प्रदेश के विकास के लिए बजट नहीं है, यह केवल थोथी कल्पनाओं पर आधारित बजट है। मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, यह जो बजट रखा गया है, यह गांवों के किसान और व्यापारी विरोधी बजट है। बजट कम गजट ज्यादा है। इसमें केवल घोषणाएं की गई हैं। पिछली

बार भी बहुत सारी घोषणाएं की थीं, इस बार भी की हैं । इन्होंने इस बार घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम व्यापारियों पर से प्रदेश में बिक्री कर पूरी तरह समाप्त कर देंगे । 19 सौ करोड़ रुपया इससे प्राप्त होता है । इसमें 25 सौ करोड़ रुपए की आमदनी का उसमें बजट दिखाया गया है । इन्होंने यह भी घोषणा की थी कि हम मनोरंजन कर को आधा कर देंगे, लेकिन इस बारे में इसमें कोई बात नहीं है । मंडी शुल्क को घटाने की बात कही थी, लेकिन उसको घटाया नहीं है । प्रस्तुत बजट में पूरी तरह से दिखाया है लोगों को धोखा दे रहे हैं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं 16 घण्टे बिजली देने की लेकिन आज जो स्थिति है विभिन्न क्षेत्रों में । आज मान्यवर, दिखावा लें कि विद्युत परिषद् का उत्पादन कितना है जो यह 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की बात करते हैं । 16 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने के लिए कितने मेगावाट की जरूरत पड़ेगी ? यह कहा जाय तो यह आंकड़ों में ही उलझ कर रह जायेंगे । विद्युत परिषद् पर 4900 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है और यह विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार के गर्त में जा रहा है । कल ही मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था । मान्यवर, यह गरीबों के मसीहा बनते हैं मनोनयन करने की बात आती है तो यह राज्य सभा में जयन्त मेहरोत्रा, संजय डालमियां को भेजते हैं । भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है । जब हमारी सरकार थी तो हमने रामरतन राम जी और संघप्रिय गौतम जी को भेजा है । हमारे कार्यकाल के काम और अपने कार्यकाल के कामों को देख लें पता चल जायेगा कि किसने काम किए और किसकी कथनी करनी में अन्तर है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलों तक पानी पहुंचाने की बात कही है । नहरों की सफाई तक की तो बात कही है, पानी किस तरह से पहुंचेगा ? देवरिया जनपद में 976 ट्यूबवेल हैं जिनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा ट्यूबवेलों की नालियां खराब हैं । इनके बनाए जाने का बजट में कोई प्राविधान नहीं है । जहां तक प्राइमरी विद्यालयों की बात है । 90 हजार रुपए प्रति विद्यालय निर्माण लागत स्वीकृत है । जिस पर कोई कार्यवाही संस्थाएं नहीं करा रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, विधवाओं, विकलांगों, वृद्धों की पेंशन रुकी हुई है । सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गर्मी का मौसम आ गया है अब गेहूं की कटाई होने लगी

(इस समय 4 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

है जिससे आग लगने का अंदेशा रहता है । वैसे आग तो सरकार के विचारों और वक्तव्यों से प्रदेश में लगी हुई है । इस पापी सरकार के पापों से गांव में आग लग रही है । दैवी प्रकोप से जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हें धन देने की इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शादी-ब्याह के नाम पर चीनी और मिट्टी का तेल दिया जाता है, सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया है । तमाम सारी योजनाएं जो अधूरी पड़ी हैं उनमें अगर थोड़ा सा धन और लगा दिया

जाय तो वह पूरी हो जाए । क्या सड़क, क्या पुल, क्या विद्युत सब स्टेशन सबके सब अधूरे पड़े हैं । इनको पूरा कराए जाने का कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवरिया में गोरया घाट के पुल का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले शासन काल में किया था, उसके निर्माण कायदा किया था । बजट में उसके बनाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । देवरिया स्टेडियम को 2 लाख रुपए देने की बात कही थी । यह सब सारे के सारे वायदे अधूरे हैं अपने पिछले कार्यकाल में जो 1130 करोड़ की थोथी घोषणा की थी आज उसको पूरा करें ताकि लोग जानें कि आप जो कहते हैं, वह परा करते हैं । यह अस्थाई सरकार है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं ।

श्री आनन्द यादव–

मान्यवर, बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । यह बजट गरीबों के कल्याण के लिये प्रस्तुत किया गया है, गरीब, शोषित, पीड़ितों की भलाई के लिये प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की सबसे पिछड़ी तहसील सलेमपुर, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, विकास के नाम पर यह पिछड़ा हुआ है । अछूता रहा । बिहार सीमा पर, बिहार से लगा वह क्षेत्र है । जब माननीय मुख्य मंत्री जी, मुलायम सिंह यादव जी की 1989-90-91 में सरकार थी तब उन्होंने इस क्षेत्र की ओर वास्तव में ध्यान दिया था और चनकी का पुल में दो करोड़ 35 लाख की स्वीकृति दी थी । जिसमें 35 लाख रुपया क्षेत्र के लिए भेजा गया । साथ ही आई0टी0आई0 का कालेज बंसीपार जो विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है, सलेमपुर में जिसका शिलान्यास जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने किया था ।

माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने कार्य किया था लेकिन पिछली सरकार सत्ता में आयी तो चनकी का पुल और आई0टी0आई0 का पैसा अन्यत्र जगह दे दिया । मान्यवर, पद पर रहकर, सत्ता में रहकर जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना घोर अपराध है । अगर देश है, संविधान है, कानून है, तो उससे हम सब हैं और हम सब का दायित्व बनता है कि देश की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा के लिए सही तरह से पद का इस्तेमाल करें । धर्म के लिए, देश की रक्षा के लिए काम करें । जैसा विपक्ष में बैठे लोग कहते हैं संविधान के बारे में, धर्म जाति के नाम पर विपक्ष के लोग आग लगाते हैं । सलेमपुर की धनराशि को वापस कर लिया । मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा, अपनी सरकार से कहना चाहूंगा जो पैसा 1990-91 में स्वीकृत हुआ था उसे पुनः जारी किया जाए । साथ ही मैं इस बजट का आदर और सम्मान करता हूं । जय भीम, जय भारत ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट में 70 प्रतिशत गांव के लिए धन का प्राविधान करके गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के सपनों को सार्थक करने का प्रयास किया गया है । मान्यवर, मैं तीन चार बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । पूर्वी उत्तर प्रदेश ने आजादी के दिनों में सबसे ज्यादा बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था । अंग्रेजों के जमाने से विगत शासनकाल तक इसकी उपेक्षा होती रही है । पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक आबादी है वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का सही ढंग से विकास नहीं हुआ है । माननीय नेता सदन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपने पूर्व शासनकाल में पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना करके सार्थक प्रयास किया है । माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा पूर्वांचल विकास निधि में 1990-91 में 20 करोड़ रुपया तथा 1991-92 में 30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया, लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को विनाश के द्वार पर खड़ा कर दिया । जब इनके हाथ में सत्ता आई तो इन्होंने उसमें कटौती करने का काम किया । जो 30 करोड़ रुपया 1991-92 में स्वीकार किया गया था उसमें से 20 करोड़ रुपया ही अवमुक्त किया गया । 20 करोड़ रुपये अवमुक्त करने के पश्चात् जब 1992-93 का बजट प्रस्तुत किया गया, तब नेता प्रतिपक्ष जो उस समय नेता सदन थे, ने उस समय मात्र 30 करोड़ का प्राविधान पूर्वांचल विकास निधि में किया था । प्रथम वर्ष 20 करोड़ द्वितीय वर्ष 30 करोड़ आवंटित करके माननीय नेता सदन श्री मुलायम सिंह ने यह संकेत दे दिया था कि हर वर्ष 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी । इस प्रकार आज वर्ष 1994-95 में 50% प्रति वर्ष मानक के अनुसार पूर्वांचल विकास निधि का बजट 101.25 करोड़ रुपया होता है पूर्वांचल विकास निधि के संदर्भ में पूर्व भाजपा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया । इस संदर्भ में लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई की उक्ति चरितार्थ होती है यदि प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये की ही वृद्धि का मानक हो तो भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु पूर्वांचल विकास निधि के लिए 60 करोड़ रुपये होने चाहिए । इस संदर्भ में मैं माननीय नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि यह जो 48 करोड़ रुपये का बजट है उसको बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया जाए । उत्तर प्रदेश में समाज वादी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को किसान पेंशन देने की घोषणा की थी ।

हमने चुनाव में जनता से कहा था कि 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को समाजवादी पार्टी की सरकार किसान पेंशन देगी । हमने बजट देखा है उसे देखकर लगता है कि अधिकारियों की कलम कहीं न कहीं बजट पर चली है । अधिकारियों ने निश्चित रूप से कहीं न कहीं अड़चन डालने का काम किया है । मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस पेंशन को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करें । तीन वर्ष के अन्दर हर खेत को पानी देने की बात कही गई है । जब सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाए तो हम यह अपेक्षा करेंगे कि आने वाले वित्तीय वर्ष 94-95 में एक तिहाई असिंचित क्षेत्रों को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित करें । यदि ऐसा किया गया तो निश्चित रूप से तीन वर्ष बाद उ0 प्र0 के हर खेत को पानी मिलेगा । इसके साथ

ही साथ में बौद्ध परिपथ के रूप में बोलिया से लेकर सोनौली तक जो सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी से उनकी निर्वाण स्थली कुशीनगर तक लुम्बिनी–सनुआ–नौतनवां–ठूठीबारी–निचलौल कप्तानगंज-कुशीनगर मार्ग का बौद्ध परिपथ के रूप में निर्मित किया जाय । जन्म स्थली से निर्वाण स्थली की दूरी मात्र 118 कि0मी0 हो जायेगी । इसी प्रकार जन्म स्थली से राजधानी कपिलवस्तु उर्फ पिपरहवा को सनुआ-नौतनवां कोल्हुई-लोटन-पिपरहवा मार्ग को बौद्ध परिपथ के रूप में विकसित किया जाय । गौतम बुद्ध की ननिहाल बनरसिया उर्फ देवरह जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, को लुम्बिनी-सनुआ-नौतनवां एकसड़ा-मोगनहा-बलरीसहा मार्ग से जोड़कर बौद्ध परिपथ के रूप में विकसित किया जाय । इस प्रकार यह मार्ग बौद्ध परिपथ में सम्मिलित हो जायेंगे तो जन्म स्थली से निर्वाण स्थली, राजधानी व ननिहाल एक दूसरे से जुड़ जायेंगे और दूरी भी कम होगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता सदन श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय कल्याण सिंह जी ने जो बजट संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूं । मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड की करवी विधान सभा क्षेत्र से आया हूं । इस बजट में बुन्देलखण्ड विकास निधि में जो हमारे शासनकाल में 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन इस बजट में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की उपेक्षा की गई है । उसको 10 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ जो राष्ट्रपति शासन में हुआ था वह रखा गया है । मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस बुन्देलखण्ड विकास निधि में 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया जाए । मान्यवर, यहां पर मुख्य मंत्री जी ने कई बार घोषणा की कि बिजली 16 घण्टे पूरे उत्तर प्रदेश को दी जा रही है ।

मान्यवर, जिस विधान सभा क्षेत्र में मैं निवास करता हूं वहां पर बिजली 4–6 घंटे आती है । तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर कई दिन बिजली नहीं आती है यही स्थिति हमारे पूरे जिले की है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफारमर जले पड़े हैं और किन्हीं किन्हीं ट्रांसफारमर की मरम्मत 2 साल से नहीं की गयी है और न वह बदले गये हैं । पूरे बांदा जिले में ट्रांसफारमरों का घोर अभाव है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि बांदा जिले के लिये ट्रांसफारमर क्रय करके भिजवायें जायं । बिक्रीकर को समाप्त करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था लेकिन इस बजट में कहीं पर उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया और न कोई इस बारे में जिक्र ही किया गया है ।

हमारे क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर विद्यालयों के भवन नहीं हैं और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई होती है । स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी कई महीने से वहां पर नहीं हैं । विश्व बैंक योजना में हमारे जिले को लिया गया है लेकिन विश्व बैंक

के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है। हैण्ड पम्प बहुत से खराब पड़े हुए हैं, नए हैण्ड पम्पों की कोई व्यवस्था बांदा जिले के लिये नहीं की गयी है । मेरे जिले बांदा में पानी की बड़ी समस्या है मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से हैण्ड पंपों के लगाये जाने की ओर आकर्षित करता हूं । हमारा जिला दस्यु प्रभावित क्षेत्र है । डकैत ददुआ का मेरे विधान सभा क्षेत्र में आतंक है । वहां पर थाने बढ़ाने व पुलिस चौकियां बढ़ाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है लेकिन इस बजट में उस बारे में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । वहां पर नये थाने, नयी पुलिस चौकियां और पुलिस बल में बढ़ोत्तरी किए जाने की मैं मांग करता हूं । मान्यवर, कर्वी को जिला बनाने की मांग वहां पर बहुत दिनों से की जा रही है । जब हम लोगों ने मांग की थी तो राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बांदा जिले का डायमीटर 220 कि0मी0 में है । यह प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है । मैं मांग करता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से न देखते हुये नये जिले बनाते समय वहां का क्षेत्रफल देखा जाना चाहिए और इसी के हिसाब से नये जिले गठित करने चाहिये । मैं मांग करता हूं कि कर्वी को इस आधार पर प्रथम जिला बनाने की घोषणा की जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय कल्याण सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं ।

श्री सुरेश संगल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है । इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं । मैंने इस बजट भाषण को गौर से सुना और जो घोषणाएं की गयी हैं मुख्य मंत्री जी द्वारा उनको भी सुना । इन सबको सुनकर मेरा ऐसा मानना है कि जब मुख्य मंत्री पूर्व मुख्य मंत्री हो जायेंगे तो वह घोषणा बहादुर के रूप में याद किए जायेंगे । मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । बजट में कहा गया कि शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम दिया जायगा । मैं भूलता नहीं हूं जब एक जिलाधिकारी ने एक विधायक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की जुर्रत की तो उसका स्थानान्तरण कर दिया गया । जो आपकी घोषणा है उसके विपरीत यह आपकी कार्य पद्धति है । अभी एक माननीय विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं वह कह रहे थे कि विपक्ष को हत्या, बलात्कार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है ।

मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हम इसे भूलना चाहते हैं लेकिन जैसे सुबह होती है अखबार में पढ़ने को मिलता है कि एक बलात्कार और हो गया, बसपा के नेता ने कर दिया । एक हत्या और हो गयी, उसमें किसी सपा0 के विधायक का हाथ था । कैसे भूलूं ? इसलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक यह आवाज गरीबों की आवाज बुलन्द करते रहेंगे । वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के लिए व्यवस्था की जाय । अपराधियों को छुड़ाने के लिए कोशिश न करें और जो अपराधियों को पकड़े, तो उन जिलाधिकारियों का स्थानान्तरण न किया जाय । गांव की खुशहाली के लिए अधिक बजट का हम स्वागत

करते हैं, पर उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । (1) सायंकाल 5 बजे से 10 बजे तक गांवों में बिजली नहीं मिलती है, जबकि शहरों में इस समय बिजली दी जाती है । मैंने अधिकारियों से पूछा, तो पता लगा कि सरकार के यही निर्देश हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक दिन शाम को शहरों को जगमगाए, तो दूसरे दिन गांवों को जगमगाए ।

मान्यवर, यह राशन की व्यवस्था गरीबों के लिए बनाई गयी है, लेकिन शहरों में राशन ज्यादा दिया जाता है और गांवों में कम राशन दिया जाता है । यदि सरकार गांवों और शहरों की बराबरी चाहती है, दो दोनों जगहों पर समान राशन वितरित करे । मान्यवर, मैं दो बातें अपने क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र मुजफ्फरनगर में सीवरेज व्यवस्था प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें करोड़ों रुपया लग चुका है, मगर कुछ लाख रुपयों की वजह से यह चालू नहीं हो पाया । इससे सीवर लाइनें चोक हो जाने और करोड़ों रुपया जमीन में ही दफन रह जाने का खतरा है । अतः कुछ रुपया देकर इस स्कीम को चालू कराया जाय । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा । जनकपुरी मेरे शहर में एक कालोनी है, जिसमें 12 हजार की आबादी है, लेकिन वहां पर एक भी सड़क नहीं है, कम से कम उस कालोनी में एक सड़क का बजट में प्रावधान अवश्य किया जाय । इन शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उस पर मैं बल देता हूं ।

श्री अकबर अली–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं अपनी चर्चा एक शेर से प्रारम्भ कर रहा हूं । "किसी को एक दो फूलों के लाले भी हैं गुलशन में और कोई चुनता है फूल इतने गिर जाते हैं दामन से ।" मान्यवर, यह व्यवस्था इस प्रदेश की हमारे विरोध में बैठने वाले लोगों ने कर दी । इतनी सामाजिक विभिन्नता, इतनी आर्थिक विभिन्नता, इतनी ऊंच-नीच की खाई, असमानता और जमीन का फर्क, रोशनी में, घरों में, खाने में, पीने में, वस्त्र के पहनने में ऐसी चरमराती हुई व्यवस्था इन विरोधियों ने प्रदेश में कर रखी है । आज ये कहते हैं कि भूखे, नंगों, गरीबों का बजट नहीं है, दलितों का बजट नहीं है, कैसे कहते हैं ? बेवाओं के लिए कोई बजट नहीं है । मान्यवर, बेवाओं की बात तो यह है कि इन्होंने तो अपनी हुकूमत में, माननीय नेता विरोधी दल जिस वक्त मुख्य मंत्री थे, 1991-92 में, तो उस समय जाने कितनी महिलाओं को बेवा कर दिया, जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए । "ये क्या जाने पीर पराई, जिनके पांव न फटी बेवाई ।" मान्यवर, यह गरीबों के चेहरे पर मुस्कराते हैं । यह कहते हैं कि बजट स्पष्ट नहीं है । इनकी जब सरकार थी, तो इन लोगों ने देश और प्रदेश को खाली कर दिया । किसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ, पेय जल की कोई योजना नहीं बनाई गई है, पेय जल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, विधवाओं के लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, विकलांगों के लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने देश को जलाया है, देश को बनाया नहीं है, यह किस मुंह से बातें करते हैं ।

"हमने इनको खूब देखा है मिसाले आइना
पीठ पीछे कुछ हैं और रूबरू कुछ और हैं ।"

मान्यवर, इनको हमने खूब देखा है, क्या बात है । मान्यवर, क्या बात है इनकी, न बात है नर की और न नारी की ।

मान्यवर, यह संविधान को तोड़ने वाले हैं । इन्होंने प्रदेश की स्थिति को तोड़ डाला है । आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने इनके पसीने की कीमत समझी है, उन्होंने पसीना बहाने वालों को रियायत देने की बात कही है, उनके श्रम को समझा है और इसी कारण उनकी मजदूरी को बढ़ाया है, गरीबों और दलितों की मजदूरी में दस रुपये की वृद्धि की है । आपको क्या इस पर भी एतराज है । हमारे मुख्य मंत्री ने एक एलान किया है कि हम गरीबों को रोजगार देंगे और हम उनकी गरीबी को दूर करेंगे और लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जायेगा, इससे क्या आपको तकलीफ हो रही है । हमारा जो बजट है वह गरीबों का बजट है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला बजट है ।

"एक ही सफे में खड़े हो गये महमूद अयाज
न कोई बन्दा रहा न कोई बन्दा नवाज ।"

हमारी सरकार गरीबों की सरकार है । मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार गरीबों की सरकार बनी है अब तक जो सरकारें बनती थीं वह गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती थीं । जब गरीबों की सरकार आयी है, तो वह गरीबों के हित के लिये खर्च करेगी, उनके हितों के लिए प्रोग्राम बनायेगी और बजट में प्राविधान किया जायेगा, इसमें आपको क्या एतराज है ?

मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वह गंगा जमुना और बेतवा नदियों के बीच में पड़ता है । बुन्देल खण्ड के लिये जो 12 करोड़ रुपया दिया गया है, वह बहुत कम है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस धनराशि को बढ़ाया जाये । हमें विकास करना है, तो इस धनराशि को बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिससे वहां पर पानी की योजनायें लग सकें, नलकूप बनाये जा सकें, जिससे इन्सानियत को सुविधा मिले हमें इन्सानियत को मारना नहीं है, इन्सानियत को बचाना है । आज हम लोगों ने सरकार बना लिया है और हम भाई-भाई बन गये हैं ।

"हर मुसीबत का तबस्सुम का दिया मैंने जवाब
इस तरह गर्दिश दौरां को रुलाया मैंने ।
वक्त पड़ा गुलशन पे तो खूं हमने दिया
जब बहार आयी तो कहते हैं तेरा काम नहीं ।"

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

(समय 5 बजकर 15 मिनट)

डा0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, आपने मुझे जो बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । आज जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, उसकी यह भा0ज0पा0

के लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनको आलोचना करने का हक नहीं है, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो इन्होंने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया है। आज दुनिया का इन्सान चंद्रमा तक पहुंच गया है और मंगल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और ऐसे समय में ये लोग ईंट बालू को पुजवाने का काम करते रहे और इस तरह से इन्होंने हिन्दुस्तान को पीछे ढकेलने का काम किया है। इसलिए इनको बजट की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। इस वैज्ञानिक युग में देश के निर्माण की बात होनी चाहिये। यह लोग भगवान राम को 4 मीटर लम्बाई की कोठरी में कैद करना चाहते हैं, जब इनका समय आया तो इन्होंने सारा समय इन्हीं कार्यों में बिताया और विकास का कोई काम नहीं किया।....

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कोरम है।

(व्यवधान)

डा0 शिव प्रताप यादव–

वहां पर जो लोग खड़े थे उनसे राम ने पूछा कि चौदह साल तक क्यों खड़े रहे, उस समय राम खुश हुए थे उन्होंने कहा था तुम लोगों ने चौदह साल तक कष्ट किया है इसलिये तुम्हारा कलयुग में एक बार राज्य होगा, वही एक बार इनको राज्य मिला था। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी जनपद गोण्डा में पिछड़ा और तराई इलाके में स्थित है और नेपाल से सटा हुआ है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसका आधे से अधिक भाग जंगल से ढका हुआ है।

मान्यवर, यहां भांभर रमधापुर जनकपुर रेंज में साखू और शीसम की लकड़ी प्रचुर मात्रा में होती है तथा बोल्डर और पत्थरों से भी सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है परन्तु उस आमदनी से क्षेत्र के विकास पर दस प्रतिशत भी खर्च नहीं किया जाता है। पंचपेड़वा व गैसड़ी विकास खण्ड के सादर क्षेत्र बरसात के समय बाढ़ से डूबे रहते हैं वहां पर सड़क का नाम नहीं है वहां के लोग पशुओं की जिन्दगी जी रहे हैं। भीषण बाढ़ से किसान तबाह होते हैं। मान्यवर, पचपेड़ा बड़नी मार्ग से भगवानपुर सादर मार्ग का लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता है।

इसी तरह से पचपेड़वा बड़नी मार्ग से लालभरिया मार्ग बनाये जाने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी को एवं माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को, कि पचपेड़वा उतरौला मार्ग 22 किलोमीटर की स्वीकृति दी है लेकिन सड़क की महत्ता तब बढ़ेगी जब वहां धोबहा नाले पर पुल बन जायेगा। माननीय नारायण दत्त तिवारी जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने गोण्डा की सभा में कहा था कि पचपेड़वा में चीनी मिल के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है सरकार से आग्रह करता हूं कि चीनी मिल की स्थापना शीघ्र कराई जाये वहां पर डिग्री कालेज की स्थापना कराई जाये और जंगलों की भरमार को देखते हुए पेपरमिल की स्थापना कराई जाये।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

डा0 शिव प्रताप यादव–

सड़कों की जो बात है, गनेशपुर आदमतारा बरगदहा मार्ग और गनेशपुर नौबस्ता मार्ग तथा उतरौला गनेशपुर मार्ग से बल्देवनगर भैंसहवा मार्ग बनाया जाय । पिपराघाट और भांभर-नाला पर पुल दें ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

डा0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, वह पथरीला क्षेत्र है वहां बोरिंग नहीं होती है वहां के लिए रिंग बोरिंग की व्यवस्था कराई जाये और गांव-गांव में नलकूप की व्यवस्था कराई जाये । मान्यवर, पचपेड़वा में पेयजल की बहुत दिक्कत है वहां टंकी का निर्माण तेजी से नहीं हो रहा है । इसी तरह से गैसड़ी बाजार में भी टंकी का निर्माण पेयजल की सुविधा की दृष्टिकोण से कराई जाये । पिपरा कोहरगड्डी में टंकी का निर्माण कराया जाये । मान्यवर, गोण्डा जनपद क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से बड़ा जिला है और यह अत्यन्त पिछड़ा है पं0 जवाहर लाल नेहरू जब बलरामपुर गये थे तो उन्होंने सभा की थी वहां पर मांग की गई थी कि बलरामपुर को जिला बनाया जाये । मान्यवर, जहां पर यह सरकार विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रही है । तमाम नये जिले की घोषणा हुई है मैं चाहूंगा कि बलरामपुर को भी जिला बनाया जाय । वह चाहे श्रावस्ती के नाम से नया जिला घोषित किया जाये उसका मुख्यालय तुलसीपुर या बलरामपुर बनाया जा सकता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जायेगा ।

डा0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, एक मिनट और सुन लें । मान्यवर, हमारे यहां तुलसीपुर में तहसील भवन एवं मुंसिफ न्यायालय की अत्यन्त आवश्यकता है हमारे यहां एक ओर बाढ़ से तबाही रहती है, अभी कुछ समय पूर्व वहां भयानक ओलावृष्टि हुई थी प्रभावित इलाके में वसूली रोका जाये उनको राहत देने हेतु अनुदान दिया जाये । गरीबों को न्याय दिलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

डा0 शिव प्रताप यादव–

हमारे यहां शिक्षा की बहुत कमी है । गैसड़ी में राजकीय स्कूल का निर्णय 5 साल पहले लिया गया था, भवन नहीं बना है जमीन पड़ी हुई है । वहां भवन की स्थापना करायी जाय । इस समय एक ही भवन में दो प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं हाई स्कूल भी उसमें चल रहा है विद्यालयों के लिये अलग-अलग भवनों की स्थापना करायी जाय । इस समाजवादी बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

**विधायकों की सुविधाओं से सम्बन्धित नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की दी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय**

श्री अध्यक्ष–

प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी और श्री स्वयंवर चौधरी द्वारा दिनांक 18 मार्च, 1994 को प्रक्रिया नियमावली के नियम–63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की जो सूचना दी गयी है वह किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, न ही ऐसे मामले में विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता है । अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं फिर भी प्रश्नगत मामला विधायकों की सुविधाओं से संबंधित होने के कारण मैं इस मामले में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, क्योंकि सम्पूर्ण सदन इस समय बैठा हुआ है और विधायकों की सुविधाओं का प्रश्न है अतः इसमें क्या-क्या सुविधाएं हैं इस पर चर्चा हो जाये ।

श्री अध्यक्ष– ।

इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न ही नहीं बनता है । आपके मकान की सफाई नहीं हुई है और पानी नहीं मिल रहा है यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं बन सकता ।

**नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें**

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 मार्च, 1994 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिसमें पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री राम कुमार शुक्ल की जनपद मेरठ के भोला की झाल ग्राम में जिले सिंह नामक युवक की जिन्दा जलाकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । मैं इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार करता हूं । दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश जी की जनपद मुरादाबाद के सम्भल नगर में अनधिकृत रूप से पशुओं को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । तीसरी सूचना श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक'' की जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेजों के जीर्ण-शीर्ण हुए भवनों से छात्र-छात्राओं के जीवन को भारी खतरा उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में है । मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । चौथी सूचना श्री राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के तहसील मुख्यालय बीसलपुर में परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । मैं इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं । पांचवीं सूचना श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी जी एवं श्री स्वयंवर चौधरी जी की जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर एवं देवरिया जनपदों में विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान को मुक्त कराने के सम्बन्ध में है । मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । छठी सूचना श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह जी की बाराबंकी पुलिस लाईन में

वायरलेस आपरेटर पद पर कार्यरत पुलिसकर्मी द्वारा ग्रामवासियों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में है । मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । इसके अतिरिक्त डा0 राम बाबू हरित, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री मित्रसेन यादव, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री लक्ष्मीनारायण पांडे, श्री बची सिंह रावत, श्री शिवदानी, श्री हृदय नारायण, श्री सुरेश संगल, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया एवं श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें अस्वीकार किया जाता है ।

अब हम उठते हैं दिनांक 21-3-94 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे । (इसके बाद सदन 5 बजकर 28 मिनट पर सोमवार 21 मार्च, 1994 दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
19 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 74 विधान सभा (113)-1994-81 .